खण्ड-337, अंक-7
शुक्रवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1901
(23 मार्च, 1979 ई0)

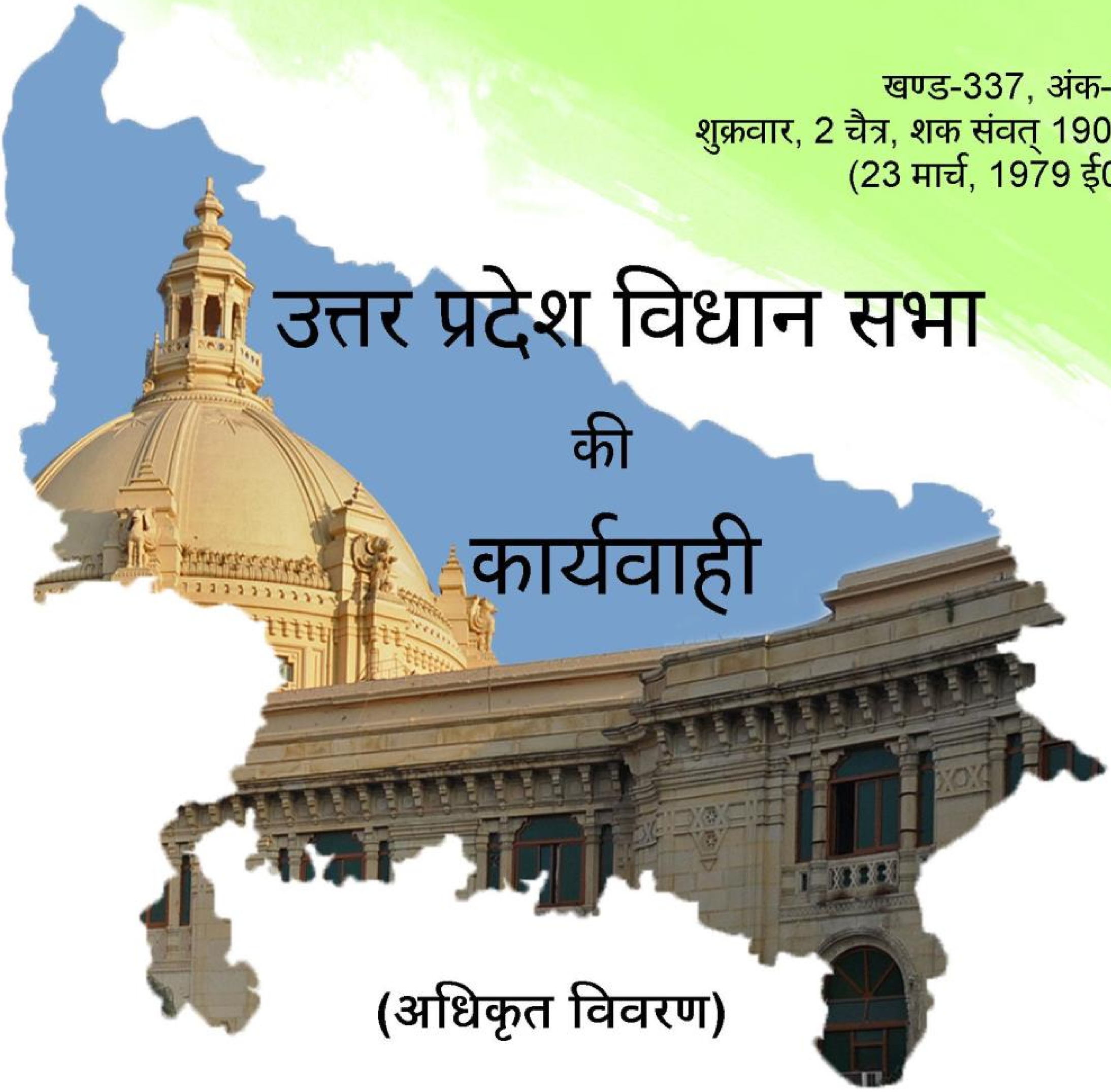

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 337 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
फ्लाइंग क्लब के एरोप्लेन में शराब की बोतलें होने की सूचना ..	772
प्रदेश में कोयले के संकट के सम्बन्ध में जानकारी की माँग ..	773
विद्युत मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	773
सहकारिता मंत्री रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव बैंक एवं जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	773–774
वित्त मंत्री श्री मधुकर दिघे तथा सूचना निदेशक के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	774
सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री त्रिलोक चन्द के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	774–775
श्री औसान सिंह, सदस्य, विधान सभा के सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	775–778
श्री पूरन चन्द्र, सदस्य, विधान सभा का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (वापस लिया गया)	778–781
श्री औसान सिंह व श्री पूरन चन्द्र के निलम्बन प्रस्ताव रखे जाने पर आपत्ति	781–782
श्री मुकीमुर्रहमान को श्री औसान सिंह व श्री रणवीर सिंह द्वारा मारे पीटे जाने की घटना के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	782–783
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	783
श्री सत्य देव त्रिपाठी द्वारा दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर जानकारी की माँग	783–784
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1977 (वापस लिया गया)	784–786
उत्तर प्रदेश जाति प्रथा उन्मूलन विधेयक, 1978 (जारी) ..	786–802
प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में एक सुनिश्चित, स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	802–806
विधान सभा के अध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन हेतु श्री राज्यपाल द्वारा तिथि के निर्धारण के सम्बन्ध में सूचना	806
प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में एक सुनिश्चित, स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत)	806–809
प्रदेश के प्रशासन तंत्र को कुशल उपयोगी एवं दक्ष बनाने हेतु सदन के सदस्यों की एक समिति बनाने का संकल्प (जारी)	809–817
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	817
श्री औसान सिंह के निलम्बन पर आपत्ति	817–818
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	81[illegible]
नत्थियाँ	819–820

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—371

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर, आर्य श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री

गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय' श्री,
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद श्री
जगदीश सिंह, श्री
जन्गन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहरवार, श्री
डी0 पी0 बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान' श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुल बारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चाँदना, श्री
बरफियालाल जुबाँठा, "अरविन्द"
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)

बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज' श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचूराम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रजबल्लभ, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगलराम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नूराम, श्री
मन्नूलाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री

राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
रामपति, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खाँ, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य देव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखद राज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री

अस्थायी प्रतिलिपि

सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिशचन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरि कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा, खां श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती, भी सदन में उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 23 मार्च, 1979

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

श्री छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में गठित 'सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग" की रिपोर्ट एवं संस्तुतियां

** 1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि छेदीलाल साथी की अध्यक्षता में गठित 'सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग' की रिपोर्ट और उसकी मुख्य संस्तुतियों को लागू करने के बारे में शासन ने अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया है ? यदि हाँ, तो पूरा विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो उक्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करने तथा लागू करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

श्री छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में गठित 'सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग' की रिपोर्ट और उसकी मुख्य संस्तुतियों को लागू करने के बारे में शासन ने अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

संस्तुतियों पर अभी विचार हो रहा है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि आयोग की कौन-कौन संस्तुतियाँ है उनमें किन-किन पर विचार हो चुका है और पूरी रिपोर्ट पर विचार करके कितने समय तक पूरे विवरण फैसलों के साथ इस सदन के पटल पर रख दिये जायेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती—

आयोग ने 8 सिफारिशें किया है और उनको विभिन्न विभागों को विचार-विमर्श के लिये भेजा गया है। इस प्रकार जो विचार आयेंगे उनको मंत्रि परिषद् के पास भेजा जायेगा और तब सदन के पटल पर रखा जायेगा।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)---

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छेदी लाल साथी की जो संस्तुतियाँ प्राप्त हुई है वह शासन को कब प्राप्त हुई है, कब से शासन विचार कर रहा है और अंतिम रूप से उन पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा।

श्रीमती चन्द्रावती---

संस्तुतियाँ शासन को 24 मार्च, 1978 को प्राप्त हुई हैं। श्री छेदी लाल साथी ने 24 मार्च को शासन को पत्र लिखा कि आयोग का काम पूरा हो गया है और तब से यह शासन के विचाराधीन है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है कि माननीय मंत्री जी कहें, मंत्राणी न कहें।

श्री उपाध्यक्ष---

मंत्री जी ही कहा है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, क्या यह सही है कि सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश की सारी पिछड़ी जातियों को पिछड़ेपन के आधार पर अ, ब, स तीन सूचियों में सूचीबद्ध किया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करके आरक्षण की मौजूदा नीति में संशोधन करके सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण में वरीयता प्रदान करेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती---

मैंने बतला दिया है कि यह शासन के विचाराधीन है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)---

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आयोग ने संस्तुतियाँ दी है उनमें जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि अ, ब, स तीन सूचियों में पिछड़ी जातियों का उल्लेख है, तो बहराइच और लखीमपुर खीरी में जो बोट जाति के लाखों लोग रहते है, उनके संबंध में मैंने एक पत्र लिखा था क्या उनका सर्वेक्षण करके उनको पिछड़ी जाति में शामिल किया जायेगा ? छेदी लाल साथी आयोग ने जो संस्तुतियाँ किया है उसमें क्या मंत्री जी बतायेंगी कि बोट जाति को शामिल किया है कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्या इसकी पुनः जाँच करके पुनः उनको शामिल करेंगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह विस्तार का प्रश्न है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

अब आप दुबारा पूछेंगे, तो विचार करेंगे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि जो छेदीलाल साथी की रिपोर्ट मार्च, 1978 में प्राप्त हुयी है उसमें सर्वाधिक पिछड़े वर्ग की कुछ जातियाँ नामजद की गयी हैं यदि हाँ, तो वे जातियाँ कौन-कौन सी हैं और क्या 15 प्रतिशत सर्वाधिक पिछड़ी जाति के लिये संस्तुति की है ? यदि हाँ तो वे उस पर कब तक निर्णय करेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती---

मान्यवर, यह जो काका कालेलकर आयोग गठित हुआ था उसके हिसाब से 27 जातियाँ हैं और दूसरा प्रदेश के लिये पिछड़े वर्ग की जातियों की जो सूची है, उसमें 14 हैं। इन्हीं को लिया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

उनकी संस्तुतियों पर कब तक विचार करेंगी ? नाम भी नहीं पढ़े गये जातियों के।

श्री उपाध्यक्ष---

संस्तुति पर कब तक विचार करके निर्णय ले लेंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, यह मन्त्रि परिषद् के पास जाने के बाद तय होगा। यह शीघ्र होगा, कोई वैसी बात नहीं है। इसमें कार्यवाही चल रही है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, क्या माननीया मंत्री जी बताने की कृपा करेंगीं कि जब तक पिछड़े वर्ग के अनुपात में लोगों को नौकरियों में स्थान नहीं मिल जाता, तब तक अन्य लोगों के लिये नौकरियों में जाने पर प्रतिबन्ध लगायेंगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह उससे नहीं उठता।

श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि मुसलमानों में कौन-कौन सी जातियां हैं जिनको इस आधार पर लाभ मिल सकता है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

वह तो मैंने बता दिया कि 27 जातियां है और . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अगर सूची है आपके पास तो मुस्लिम वर्ग की कौन-कौन सी जातियां शामिल हैं, उनके नाम कृपया बता दें।

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, मोमिन अन्सारी है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या माननीया मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जो इस संबंध में संस्तुति है, या जो जातियों की सूची दी हुयी है, उसमें क्या लोध जाति शामिल है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, मैं सभी के नाम पढ़े देती हूं—

काका कालेलकर की रिपोर्ट में संस्तुति की गई जातियाँ:—

1—अहिबासी, 2—बन्जारा, 3—बारी, 4—बिन्द, 5—मल्लहार केवट, चाई सोरहिया, बाथम, 6—डफाली, 7—बलेरा, 8—तंवर, 9—धीमर, धीवर, 10—गड़रिया, 11—गन्धिला, 12—कहार, धारुक, कामकर, 13—हलालखोर, 14—कबड़िया, कुंजड़ा, 15—खंगर, 16—किरार, 17—नोनिया, लोनिया, 18—माँझी, 19—मिरासी, 20—मेवाती, 21—नायक, 22—नक्काल, 23—नियरिया, 24—रमैया, 25—रावा, 26—सोयरी, 27—तियार।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लिये बनाई गई पिछड़े वर्ग की सूची की जातियाँ:—

1—नाई, 2—कुम्हार, 3—माली/सैनी, 4—भर या राजभर, 5—बढ़ई, 6—लोहार, 7—बियार, 8—काछी, 9—भुर्जी (भड़भूजा), 10—मुस्लिम धोबी, 11—पटुवा/पटहार, 12—तुरहा, 13—गोड़िया, 14—भिश्ती।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीया वित्त मंत्री

(हंसी)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

नाम तब्दील हो रहे हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

होली का त्योहार है, इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए।

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)—
मान्यवर, धोबी तो हरिजन माने जाते हैं। वे बैकवर्ड कैसे हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष—
अब मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

लखनऊ राजकीय कोषागार के कर्मचारियों का 'नियमानुसार काम करें' आन्दोलन तथा मांगें

**2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर), श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया), श्री श्याम देव (जिला वाराणसी) तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज कल लखनऊ राजकीय कोषागार के कर्मचारी गत 15 दिनों से किन माँगों को लेकर 'नियमानुसार काम करें' आन्दोलन कर रहे हैं ? उनको पूरा करने हेतु शासन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि प्रश्न में उल्लिखित आन्दोलन के कारण 1 मार्च, 1979 को फरवरी मास का वेतन काफी कर्मचारियों में वितरित नहीं किया जा सका है ?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—
जी हाँ, लखनऊ कोषागार के कर्मचारी 15 फरवरी, 1979 से अपनी माँगों को लेकर "नियमानुसार काम करें" आन्दोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों की न्यायोचित माँगों तथा उन पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है। यह सही है कि उक्त आन्दोलन के कारण 1 मार्च, 1979 को फरवरी, 1979 मास का वेतन काफी कर्मचारियों को वितरित नहीं किया जा सका।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 819 पर)

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—
मान्यवर, इस आन्दोलन से प्रदेश का कितना घाटा हुआ, कुछ अनुमान मंत्री जी दे सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—
यह जानकारी इस समय उनके पास उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
मान्यवर, माँग संख्या 2, 3, 4 और 7 जिनमें क्रमशः कोषाधिकारियों के पदों पर होने वाली सम्पूर्ण रिक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा न करके प्रधान लिपिकों की पदोन्नति द्वारा सारे पदों को भरा जाय, उप कोषागारों में उपकोषाधिकारी की नियुक्ति की जाय तथा यह पद प्रधान लिपिकों की पदोन्नति द्वारा भरे जायं, प्रति 8 कर्मचारी के अनुपात पर एक अतिरिक्त मुख्य लिपिक की नियुक्ति की जाय इत्यादि इनके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह माँगें शासन के विचाराधीन हैं। तो क्या सरकार ने इन माँगों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। यदि हाँ, तो अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री मधुकर दिघे—
जब मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था तब से स्थिति में फर्क पड़ गया है। अब आन्दोलन समाप्त हो गया है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने माँग संख्या 2, 3 और 7 के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा है उनसे मेरा कहना है कि शासन ने एक समिति बना दी है और उसे अधिकार दे दिया गया है और एक निश्चित अवधि सीमा भी बाँध दी गयी है कि तीन महीने के अन्दर कार्य के नार्म्स तथा नियंत्रण की दृष्टि से प्रधान लिपिकों के पदों की आवश्यकता की जाँच करके रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दे। जैसे ही रिपोर्ट आ जायेगी, शासन उस पर विचार कर लेगा। कमेटी बनाने के बाद कर्मचारियों ने शासन की बात मानकर ही अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मंत्री जी ने कहा कि 'नियमानुसार काम करें' आन्दोलन कर रहे हैं अपनी माँगों को लेकर। मैं जानना चाहूंगा कि अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति उनसे काम न लेकर अधिक काम क्यों लिया जा रहा है। यदि हाँ, तो और कर्मचारियों में और इनमें क्या अन्तर है। मंत्री जी कृपया इसे स्पष्ट करें।

श्री मधुकर दिघे—

जो जबाव मैंने दिया उसमें इसका उत्तर निहित है। शासन ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें अधिक काम करना पड़ता है तभी तो मैंने उन पर अधिक बोझा महसूस किया और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया है जो सारी बातों को जाँच करके नार्म्स तय करेगी कि कर्मचारियों की संख्या आदि कितनी हो, कमेटी इन सभी बातों पर विचार करेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी माँग संख्या 5 और 6—प्रशिक्षण में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को 25 रुपया विशेष वेतन के रूप में दिया जाय तथा कोषागार कर्मचारियों के लिये गृह निर्माण अग्रिम, सवारी साधन अग्रिम की व्यवस्था अलग से की जाय, के बारे में जो उत्तर दिया है कि निर्णय ले लिये गये हैं मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह निर्णय केवल पत्रावली पर हैं अथवा निर्णय के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो संस्तुति क्या है ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जिस दिन यह प्रश्न मेरे सामने आया उसी दिन यह आदेश दे दिये है और आदेश देने के बाद अभी क्या कार्यवाही हो रही है, यह मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मेरे द्वारा वे आदेश दे दिये गये हैं।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

एक प्रश्न माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो कमेटी मंत्री जी ने बनाई है उसके सदस्य कौन-कौन से हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वित्त मंत्री, अगर आपके पास सूचना हो तो बता दें।

श्री मधुकर दिघे—

इसमें तो शासन का जो कार्मिक विभाग है उसके कुछ लोग होते हैं, वैसे अभी मैं यह तो नहीं बता सकता कि उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजिये माननीय वित्त मंत्री जी के पास, जो सूचना आप चाहते है, वे दे देंगे।

वेतन आयोग 1971-73 में सरकारी कर्मचारियों के लिये "समान कार्य के लिये समान वेतन" की नीति

**3—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों में समान कार्य के लिये समान वेतन की नीति को निर्धारित करने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा ?

श्री मधुकर दिघे—

उत्तर प्रदेश वेतन आयोग 1971–73 ने अपनी संस्तुतियाँ देते समय अन्य मानदण्डों के अतिरिक्त "समान कार्य के लिये समान वेतन' की नीति को भी ध्यान में रखा। किसी नये परीक्षण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री राम नरायन वर्मा—

मान्यवर, अगर समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति को ध्यान में रखा है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस नीति को कार्यान्वित करने का कब तक प्रयास करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

यहाँ पर भी मान्यवर, जब इस प्रश्न का जवाब हमारे यहाँ से जा चुका था उसके बाद जब कर्मचारी मिले और मेरे ध्यान में लाया गया कि इस पर विचार करने के सिलसिले में एक बार मुझसे पहले कभी उनसे बात चीत हुई थी भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी के यहाँ। तो जैसे ही मेरे ध्यान में यह बात लाई गई तो उसको ध्यान में रखकर मैंने कार्मिक विभाग को आदेश दिये हैं कि किस-किस प्रकार के भेदभाव हैं काम की दृष्टि से, उसका एक पूरा विवरण तैयार करके मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया जाय ताकि मैं उस पर विचार कर सकूं और उसका निराकरण करने की दृष्टि से निर्णय ले सकूं।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित है, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि सरकार ने समान कार्य के लिये समान वेतन की नीति स्वीकार कर ली है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसी मापदण्ड को ले कर क्या सरकारी और जो आपके स्थानीय निकायों के कर्मचारी हैं, उनके बीच में समान कार्य के लिये समान वेतन वितरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

मैं यहाँ नेगी साहब की बात में थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूं। मान्यवर, इसको शासन ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और जो सिद्धान्त है उससे कोई भी शासन अगर अपने को न्याययुक्त शासन मानता है, वह अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन मान्यवर, इसको अमल में लाने में जो कठिनाइयाँ रहती हैं, उन कठिनाइयों को ध्यान में रख कर वे जो बात कहते हैं उसके लिये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन बुनियादी तौर पर अगर कोई एक ही प्रकार के कर्मचारी हैं, उनकी अर्हतायें, उनके कार्य करने के तरीके और अन्य बातें एक जैसी हैं और उनमें विभेद है तो उसमें कितनी कमी की जा सकती है, इसका प्रयत्न करने की दृष्टि से मैंने यह उत्तर दिया था और इसी बात को ध्यान में रख कर मैंने कार्मिक विभाग से कहा कि इस बात का पता लगाया जाय। जब मेरे सामने आयेगा तो मैं विचार करूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पूर्व में गठित वेतन अभिनवीकरण की असंगतियों को दूर करने के लिये गठित मंत्रि मंडलीय उप समिति की सिफारिशें अभी तक पूरी से लागू नहीं हुई हैं, नई जो कमेटी बनाई जा रही है उसे इन असंगितयों को दूर करने के लिये भी कहा जायगा और इस तरह से पूरे प्रदेश में वेतन में समानता को स्थापित करने का पूरा काम इस कमेटी को देने की कृपा करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, अभी यह तो संभव नहीं है। मैंने शुरुआत में जवाब दिया कि वैसे तो एनोमेलिज कमेटी जो थी उसने सभी प्रकार की इन बातों पर विचार करने के बाद ही अपनी संस्तुतियाँ दी हैं। मैंने के ल इस बात को स्वीकार किया है कि जैसा कि कर्मचारियों ने कहा है उन कर्मचारियों की बात में कितना तथ्य है यह जानकारी हासिल करने के लिये कार्मिक विभाग को मैंने आदेश दिये हैं कि इस बात का पता लगायें कि क्या समान काम करने वाले लोगों के वेतन में असंगतियाँ हैं, यदि हैं, तो उन का निराकरण कैसे करना है। इसे बाद में सोचा जायगा।

श्री राम नरायन वर्मा—

मान्यवर, केन्द्र सरकार और प्रान्त सरकार के वेतनों में भिन्नता है और दोनों सरकार के कर्मचारी अपनी दैनिक जीवन की वस्तुयें मारकेट से एक ही भाव में खरीदते है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन मिलता है क्या उसी आधार पर बाजार में मूल्यों को भी निर्धारित करने पर विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इससे यह प्रश्न नहीं उठता ।

वनस्पति उत्पादकों को कच्चे माल की खरीद पर बिक्री-कर की छूट देने का आधार

**4—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वनस्पति उत्पादकों को कच्चे माल की खरीद पर बिक्री-कर से छूट दी गई है। यदि हाँ, तो इसका क्या आधार है ?

श्री मधुकर दिघे—

जी हाँ, इसका मुख्य कारण पंजाब, हरियाणा, देहली आदि पड़ोसी राज्यों में भी वनस्पति उत्पादकों को कच्चे माल की खरीद पर ऐसे ही सुविधा का उपलब्ध होना है।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वनस्पति उद्योगपतियों ने किन कारणों को लेकर माँग की थी कि कच्चे माल पर उनको बिक्री कर माफ कर दिया जाय ?

श्री मधुकर दिघे—

यह उत्तर में दिया है। चूंकि पड़ोसी राज्य में कच्चे माल पर बिक्री कर नहीं लगता था और अपने राज्य में लगता था तो उत्पादन का दाम बढ़ता था, कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा पड़ती थी, बाजार में हमारे माल की खपत कम होती थी, हमारे सेल्स टैक्स पर असर पड़ता था इसलिए यह कर दिया गया है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

इस छूट से उत्तर प्रदेश के मारकेट में जो महंगाई है, उस पर कितना अंतर पड़ा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इससे नहीं उठता ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो बिक्री-कर पर छूट दी गयी है इससे राजस्व में कितनी हानि होगी और क्या यह छूट देने के बाद बनस्पति की कीमत में भी इसी प्रकार कमी की जायगी ।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मेरे पास इस वक्त आँकड़े तो एकदम सही नहीं है जो मैं यहाँ उपस्थित कर सकूं कि कितनी हानि हुई है लेकिन इस समय मैं नेगी साहब को एक और सूचना देना चाहता हूं कि अभी पिछले दिसम्बर से फरवरी तक जो छूट दी थी, और कारण जो मैंने उत्तर में बताया, इस प्रश्न पर पूर्ण तरीके से विचार करके और क्या निर्णय फाइनली लेना है यह मंत्रि परिषद् में ही होने वाला है। अभी इसके पूरे आँकड़े नहीं है जिसके कारण सूचना देने लायक नहीं हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, दूसरे भाग का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---

वनस्पति उत्पादनों की व्याख्या की गयी है तो किन-किन चीजों को वनस्पति उत्पादन में लिया गया है ?

श्री मधुकर दिघे---

यह तो मैं इस समय नहीं बतला सकता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

सरकार विचार नहीं कर सकी और छूट भी दे दी गयी है और वनस्पति के दाम किस तरह से बढ़ गए हैं। उसका प्रोडक्शन क्या है, उनका प्राफिट कितना है इन सब बातों को सदन के सामने रखने की जरूरत है। इस पर आध घंटा की चर्चा करा दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिखकर भेज दीजिएगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

पंजाब, हरियाना तथा अगल-बगल के राज्यों की कीमतों को देखते हुए यह निर्णय करना पड़ा। मेरी सूचना यह है कि यहाँ पर वनस्पति उत्पादक संघ के लोगों ने सरकार के सामने जो रिप्रेजेंटेशन किया था वह नफा तथा नुकसान की बुनियाद पर किया था। विभाग से जो जाँच कराई गयी उसमें जो आँकड़े दिए गए थे वह गलत पाये गये इसी बुनियाद पर यहाँ संस्थागत वित्त मन्त्री ने छूट नहीं दी थी और उन्होंने यह निर्णय लिया था सारी रिपोर्ट देखने के बाद कि इस उत्पादन पर उनको न घाटा हो रहा है न प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और मन्त्री महोदय के इस निर्णय के बाद तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने यह एडहाक एक्सटेंशन दिया था क्या वह सही है ?

श्री मधुकर दिघे---

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के प्रश्नों का एक साथ ही मैं जवाब दिए देता हूं। वनस्पति के दाम यहाँ तय नहीं होते, उनको दिल्ली सरकार तय करती है। हमारे सामने एक ही प्रश्न था जिस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है और जो निर्णय लिया भी गया था वह आज से कई महीने पहले लिया गया था। लिहाजा उस समय के वनस्पति तथा आज के वनस्पति के दामों में जो फर्क है उसका बिक्री-कर की छूट से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह छूट फरवरी तक दी गयी थी और अभी इस प्रश्न पर हमको विचार करना है। आम तौर पर यह होता है कि दो प्रकार के प्रश्न सामने आते हैं। एक तो बिक्री-कर के मामले में आते हैं। जिन वस्तुओं पर हम बिक्री-कर अधिक लगा देते हैं पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में तो यह रोजगार उठ कर पड़ोसी राज्य में चला जाता है। सदन को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कई ऐसी वस्तुएं हैं जो गाजियाबाद में अधिक दाम पर मिलती हैं तो उनको लोग सस्ते दाम पर दिल्ली में खरीदने जाते हैं। इस तरह से हमारा बिक्री-कर भी जाता है और व्यापार भी चला जाता है। इस तरह से दो प्रकार के नुकसान हमको होते हैं। आम तौर से पड़ोसी राज्यों में जो बिक्री-कर की व्यवस्था है और अपने यहाँ जो माल बनता है उसकी लागत क्या पड़ती है तथा बिक्री-कर लगा कर वह दूसरे प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा मंहगा न पड़े ताकि उसकी खपत हो सकेगी इन सब बातों को हमें तय करना पड़ता है। चूंकि अभी आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं इसलिए कोई अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है इस सम्बन्ध में। बाद में मन्त्रि परिषद अन्तिम निर्णय लेगा तभी सारे आँकड़े प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

व्यापारियों का रिप्रेजेंटेशन क्या था और विभागीय जाँच कराई गई थी या नहीं ? क्या वित्त मन्त्री ने वह आदेश दिए या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

जितनी जानकारी उनके पास थी वह उन्होंने दे दी उन्होंने यह भी कहा कि अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या विभाग के द्वारा जाँच कराई गयी थी और उस जाँच के आधार पर संस्थागत वित्त मन्त्री ने आदेश दिए थे कि इस उत्पादन पर न घाटा हो रहा है और न प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसके विपरीत तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री राम नरेश यादव ने एडहाक एक्सटेंशन दिया है। क्या यह सही है ? मान्यवर, जब आपने प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी है तो उसका जवाब भी दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष---

इसका जवाब उन्होंने दे दिया है।

श्री गनेशी लाल चौधरी---

मान्यवर, इस पर आधे की घंटा चर्चा दिला दें क्योंकि मन्त्री जी तैयार नहीं हैं। यदि वे तैयार हों तो मैं एक प्रश्न और पूछ लूं ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी---

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष---

यह सब कुछ नहीं लिखा जायगा।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लिये जाने तथा श्री मधुकर दिघे तथा अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

आप देखा करें, मैंने श्री शम्भूनाथ चौधरी को बुला लिया है। प्रश्न संख्या 1 का जवाब दें

तारांकित प्रश्न

बलिया जनपद में कृष्णा टाकीज के पास कौव्वाली का आयोजन तथा मनोरंजन कर

*1---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बलिया जनपद में दिनाँक 22 जनवरी, 1979 को कृष्णा टाकीज के पास इस टाकीज के प्रबन्धक के संयोजकत्व में कौव्वाली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध कौव्वाली गायक परवीन बानू और जानी बाबू का मुकाबला हुआ, जिसके लिए टिकट की दर 25 रु0, 15 रु0, और 7 रु0 श्रेणीवार निश्चित था किन्तु इसका मनोरंजन कर स्थानीय अधिकारियों की साजिश से नहीं जमा कराया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों और यदि नहीं, तो इस प्रतियोगिता में कुल कितनी धनराशि के टिकटों की बिक्री हुई और उस पर कितना मनोरंजन कर लिया गया है ?

श्री मधुकर दिघे---

कव्वाली मनोरंजन कर से मुक्त है। अतः कथित आयोजन पर मनोरंजन कर लगाने या उससे सम्बन्धित टिकटों आदि का ब्योरा प्रशासन द्वारा रखे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शम्भू नाथ चौधरी---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे मनोरंजन के कार्यक्रमों पर कर की छूट वहाँ है जो धर्म के उद्देश्य से की जाती है। बलिया में यह निजी लाभ के लिए किया गया है तो फिर किस आधार पर छूट दी गयी है ?

नोट---[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो बहस कर रहे हैं। सीधा प्रश्न करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, मैं यह पूछ रहा हूं कि यह जो मनोरंजन कार्यक्रम वहाँ हुआ वह अपने निजी काम के लिए और व्यापार के लिए किया गया है। इस पर छूट नहीं है। मैंने पूछा है कि किस आधार पर छूट दी गयी है ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मेरे पास सरकारी गजट उत्तर प्रदेश, विधायी परिशिष्ट, भाग–4, खण्ड (ख) की अधिसूचना है जिसमें लिखा है कि संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 8, 1937) की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त पूर्ववर्ती आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल आदेश देते हैं कि निम्नलिखित आमोद के वर्ग, तात्कालिक प्रभाव से, आमोद कर के, जिसमें अधिभार भी सम्मिलित है, भुगतान से मुक्त होगा—

1—नाटक, 2—शास्त्रीय तथा अशास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय तथा अशास्त्रीय नृत्य, 3—कवि सम्मेलन, 4—मुशायरा, 5—वैरायटी प्रोग्राम जिनमें अनन्य रूप से उपर्युक्त मद 1 से 4 तक के दो या उससे अधिक कार्यक्रम सम्मिलित हों, 6—खेलकूद (गेम्स ऐंड स्पोर्ट्स) चाहे वे रजिस्ट्रीकृत खेदकूद संघों (स्पोर्ट्स एसोसियेशन्स) या किसी अन्य निकाय द्वारा कराए जायं, इसमें स्केटिंग भी सम्मिलित है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है वह आपने उत्तर दे दिया लेकिन क्या यह व्यापार के लिए किया गया या नहीं? यह बता दें ?

श्री मधुकर दिघे—

वही बता रहा हूं इसमें दंगल, कुश्ती, कव्वाली और नौटंकी भी हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मान कर क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस सन्दर्भित आयोजन में कव्वाली के एक दो ही आइटम थे बाकी वे कार्य-क्रम किए गए जिनके ऊपर मनोरंजन कर अभीष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

गोरखपुर जनपद की ग्राम सभा देऊखा में हरिजन आबादी के लिए छोड़ी गई भूमि तथा आवंटन

*2—श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, तहसील महराजगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा देऊरवा में चकबन्दी द्वारा हरिजन आबादी के लिए जमीन छोड़ी गयी है और अभी तक बाँटी नहीं गयी है तथा हरिजन आबादी की जमीन पर अवैधानिक तरीके से शक्तिशाली व्यक्ति कब्जा कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो न बाँटने का क्या कारण है ?

उप मुख्य मन्त्री (श्री नारायण सिंह) —

जी हाँ। जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के ग्राम सभा देऊरवा में कुल 2.39 एकड़ भूमि हरिजन आबादी के लिए छोड़ी गयी है जिसका आवंटन अभी तक नहीं किया जा सका है स्थानीय जाँच से पता चला है कि प्रश्नगत भूमि पर किसी का अवैधानिक कब्जा नहीं है। भूमि को शीघ्र आवंटित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री दुक्खी प्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय. माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वह भूमि कब छोड़ी गयी थी और उसका अभी तक हरिजनों में आवंटित न करने का क्या कारण है ।

श्री नारायण सिंह—

मान्यवर, तहसील महाराजगंज में आज्ञा नं0 1450–60, 147x1–00 व 150/0–79, दिनाँक 10 मार्च, 79 के अनुसार कुल 2.39 एकड़ जमीन हरिजन आबादी के लिए छोड़ी गई है । यह आवंटन अभी तक क्यों नहीं किया गया ? इसकी वजूहात यह बतायी गयी कि बरसात हो गयी थी इसलिए वहाँ नहीं जा सके और बाढ़ आ गई जिसमें गेहूं आदि बाँटने का काम हो गया। इनसे मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूं मैंने जवाब तलबी की है कि भूमि आवंटित करनी चाहिए थी । जिन्होंने आवंटन नहीं किया उनके खिलाफ मैंने कार्यवाही कर दी है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि गोरखपुर की बात है वैसे ही तमाम प्रदेश के सभी जिलों में जो हरिजनों की आबादी के लिए छोड़ी गयी है उसका आवंटन नहीं किया गया है अभी तक मौके पर कब्जा नहीं दिया जा सका है जिससे हरिजन परेशान हैं और लूट-खसोट हो रही है । तो क्या आप कोई सुनियोजित योजना बना कर पूरे प्रदेश में गोरखपुर को भी उसमें शामिल करके एक निश्चित समय में जो हरिजनों के लिए जमीन छोड़ी गयी है, दिला देंगे ?

श्री नारायण सिंह—

मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं यह अकेले गोरखपुर की बात नहीं है तमाम प्रदेश में आवंटित की जा रही है। लेकिन एक साथ, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, नहीं कर सकते क्योंकि जमीन जो है वह सीलिंग में आती है उसमें कहीं मुकदमें चल रहे हैं कहीं आज फैसला हो गया कहीं 1978 में हो गया तो इस प्रकार भूमि आती रहेगी । जैसे-जैसे आती जायगी आवंटित की जायगी । अगर कहीं किसी को शिकायत हो कि फलाँ जगह 1973 से आवंटित नहीं की गयी तो विश्वास दिला सकता हूं कि उसमें मैं जाँच करके आवंटित कराने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर मैंने कहा. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने जवाब दे दिया ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

जो जमीन आज तक हरिजनों के लिए छोड़ दी गयी है उसके लिए मैंने कहा था कि कोई सुनियोजित योजना बना कर एक निश्चित समय के अन्दर आवंटित कर कब्जा दिला देंगे। उस पर आपने कहा कि जमीन आती रहेंगी । मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो जमीन हरिजनों के लिए छोड़ दी गयी है उसे आवंटित कर कब्जा कब तक दिला देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इनका प्रश्न यह है कि कागज के ऊपर तो कहीं-कहीं वितरण दिखाया गया है, लेकिन गाँव समाज, आबादी और सीलिंग की जमीन का वितरण अभी सही रूप में नहीं हो पाया है और कब्जा जिसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल पाया है, इसलिए क्या ऐसी कोई योजना फिर सरकार शुरू करने जा रही है ?

श्री नारायण सिंह—

जहाँ तक मुझे जानकारी है, वह तो केवल यह है कि जहाँ जिस गाँव में अतिरिक्त भूमि हो, वह आवंटित होनी चाहिए और वह कार्य हो रहा है। वह योजना क्या होनी चाहिए, उसके बारे में कोई खास बात आप कहना चाहते हैं तो उस पर हम विचार कर लेंगे।

श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मन्त्री जी हरिजनों की आबादी हेतु छोड़ी गयी जमीन के विषय में यह आश्वासन और जानकारी देंगे कि क्या उक्त जमीन सिर्फ हरिजनों को मिलेगी, दूसरों को नहीं और उस पर अगर कोई दूसरा कब्जा करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

(अगला प्रश्न लेने पर—व्यवधान)

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

मुझे एक प्रश्न. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप वितरण के बारे में जो सुझाव देना चाहें, लिखकर मेज दीजिएगा, प्रश्न नहीं।

*3—श्री राम आसरे वर्मा—

[8वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

*5—श्री जयशंकर पाण्डेय—

[9-3-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 9 द्वारा उत्तरित]

*6—श्री मित्रसेन—

[9-3-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 5 द्वारा उत्तरित]

*7—श्री गनेशी लाल चौधरी—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

सरकारी कर्मचारियों के लिए नवीन वेतन आयोग के गठन पर विचार

*8—श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए नवीन वेतन आयोग गठित करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं एवं जिला परिषदों) के सम्बन्ध में भी वेतन आयोग बैठाने की कृपा करेगी ?

श्री मधुकर दिघे—

सरकारी कर्मचारियों के लिए नवीन वेतन आयोग के गठन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अत. स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में भी वेतन आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त निर्णय कब तक ले लिया जायगा ? और निर्णय लेते समय स्थानीय निकायों को शामिल करने पर विचार किया जायगा या नहीं ?

श्री मधुकर दिघे—

अभी विचार ही नहीं हो रहा है, तो मैं कब तक बता दूं कि निर्णय ले लिया जायगा। इसके बारे में निर्णय लेना इतना आसान काम नहीं होता है।

अभी 1973 में वेतन आयोग के निर्णय को शासन ने लागू किया है और 70 करोड़ रुपए का भार शासन पर पड़ा है, जनता पर पड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कर्मचारी बदली परिस्थितियों में वेतन आयोग की माँग करें। शासन ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है। जब इस तरह का निर्णय होगा तो उसकी सूचना सदन को दे दी जायगी।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। तो क्या माननीय मन्त्री जी उसी नीति के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन को प्रदेश स्तर के कर्मचारियों के बराबर करने पर विचार करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

ऐसा लगता है कि सेहरा जी मेरा पहला वाला उत्तर नहीं समझ पाए हैं। मुझे शक है, मैंने यह नहीं कहा कि शासन ने उस नीति को स्वीकार कर लिया है। मैं तो इसकी जाँच कर रहा हूं। अभी यह तय करना बड़ा मुश्किल है कि समान कार्य किसको कहते हैं। समान वेतन के लिए जो माँगें आई हैं उनको कार्मिक विभाग मुझे बताए। मैंने कोई बात स्वीकार नहीं की है। वेतन आयोग के मामले में उससे सम्बन्धित और जो प्रश्न हैं उन पर भी विचार करना पड़ता है। इसलिए इस पर विचार नहीं हुआ है।

जनपद सीतापुर, परगना बिसवां में 8 वर्षों में ली गयी सीलिंग भूमि तथा उसका आवंटन

*9—श्री राम नरायन वर्मा तथा श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर, तहसील बिसवां, परगना बिसवां में कितनी भूमि सीलिंग के माध्यम से पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा ली गई? सीलिंग से प्राप्त भूमि क्या सभी भूमिहीनों में वितरित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

जनपद सीतापुर की तहसील बिसवां, परगना बिसवां में पिछले पांच वर्षों में (1974 से 78 तक) कुल 234–36 एकड़ भूमि सीलिंग के माध्यम से सरकार द्वारा ली गयी। इसमें से 6–99 एकड़ भूमि अकर्षिक होने के कारण गांव सभा में निहित कर दी गयी तथा शेष 227–37 एकड़ भूमि पात्र व्यक्तियों में वितरित कर दी गयी है। वितरण हेतु कोई अतिरिक्त भूमि शेष नहीं है।

श्री राम नरायन वर्मा—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को पट्टे पर भूमि दी गयी थी उस पर क्या उनको कब्जा मिल गया है ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां। मैंने जवाब दिया है कि कब्जा हो गया है।

श्री राम नरायन वर्मा—

जिन लोगों को भूमि आवंटित की गयी थी क्या उनको कब्जा न देने के सम्बन्ध में कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, आप अपना प्रश्न दुहरा दें।

श्री राम नरायण वर्मा—

जिन लोगों को जमीन मिली है उनको कब्जा नहीं मिला और उन लोगों ने इस सम्बन्ध में शिकायती-पत्र भेजे हैं। तो क्या वह शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी।

श्री नारायण सिंह—

मैं माननीय सदस्य को फिर से जानकारी दे देना चाहता हूं। 1974 से 1978 तक 234·36 एकड़ जमीन सीलिंग से आई थी जिसमें से 6.99 एकड़ खराब होने के कारण गांव सभा में वेस्ट कर दी गयी। 227.37 एकड़ बांटी गयी। यह जमीन 312 व्यक्तियों में बांटी गयी जिसमें से 226 व्यक्ति हरिजन थे। 86 अन्य व्यक्ति हैं जिनको 49·34 एकड़ भूमि दी गयी और हर एक व्यक्ति का उस जमीन पर कब्जा है।

श्री राम नरायन वर्मा—

वहां पर जिन किसानों को पट्टे दिए गये थे, उनको कब्जा नहीं मिल पाया बल्कि जिन लोगों की सीलिंग में जमीन निकली थी वे ही लोग उसे जोते हुए हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आपने पट्टे तो बांट दिए हैं लेकिन क्या उनको कब्जे मिले हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या आप इंक्वायरी कराकर जिन लोगों को कब्जे नहीं मिले हैं, उनको दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण सिंह—

इस प्रकार की कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है। अगर माननीय सदस्य लिख कर मुझे दे देंगे तो मैं वायदा करता हूं कि अगर कब्जा दिलाने में कोई गड़बड़ी हुई है तो मैं उसमें सुधार करवाऊंगा।

श्री अशर्फी लाल यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974—78 के बीच में जिन लोगों की जमीन सीलिंग में ली गयी, है वे कौन-कौन से लोग हैं और क्या उन्हें यह जानकारी है कि जिन लोगों की जमीन सीलिंग में ली गयी थी उन्होंने अपने नौकरों के नाम फर्जी पट्टे कराकर जमीन पर खुद कब्जा किए हुए हैं ? यदि हां, तो क्या वे पट्टों को रद्द कराकर उनको कब्जा दिलायेंगे जिनके नाम वास्तविक पट्टे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न के यह भाग की मैं इजाजत नहीं देता हूं। दूसरे भाग का वे पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

*10—श्री कमला प्रसाद वर्मा तथा श्री गजाधर प्रसाद—

[4थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*11—श्री संगम लाल शुक्ल—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

*12—श्री जगन्नाथ सिंह गौतम—

[9-3-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 9 द्वारा उत्तरित]

*13—श्री कौशल किशोर—

[9-3-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 7 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ के फिल्मिस्तान चलचित्र गृह के स्वामी तथा पट्टेदारों के बीच विवाद से मनोरंजन कर की क्षति

*14—श्री राम लखन (जिला इटावा) (अनुपस्थित)†—

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ का चलचित्र गृह फिल्मिस्तान का प्रकरण दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से विचाराधीन होने के कारण शासन को मनोरंजन कर की लाखों रुपये के धनराशि की क्षति हो रही है? यदि हां, तो इसका निर्णय कब तक हो जावेगा?

श्री मधुकर दिघे—

यह सही है कि 'फिल्मिस्तान' सिनेमा बन्द होने के कारण शासन को मनोरंजन-कर के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि की क्षति हो रही है। भवन स्वामी तथा पट्टेदारों के बीच दिनांक 8 मार्च, 1979 को पारस्परिक समझौते के फलस्वरूप, दोनों पक्षों के बीच चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया है और सिनेमा गृह को लाईसेन्स देने के प्रश्न पर निर्णय लेने हेतु लाईसेंसिंग अधिकारी को आदेश दिए गए हैं।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। मैंने इजाजत दे दी है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में एडवोकेट जनरल और एटार्नी जनरल की भी कोई ओपीनियन ली गयी थी, यदि हां, तो वे ओपीनियन्स क्या हैं? क्या दोनों में कुछ मतभेद है?

श्री मधुकर दिघे—

मेरे पास इसकी तो कोई सूचना नहीं है कि एडवोकेट जनरल से कोई राय ली गयी थी या नहीं?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

तो मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

स्थगित नहीं करूंगा।

*15–20—[नियम 47(1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त]

*21—श्री मित्रसेन—

[6ठें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर जनपद में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति

*22—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आय के आधार पर पिछड़ा वर्ग (जैसा कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों के लिए निर्धारित फार्म में अंकित है) का तात्पर्य क्या है? तथा इस कोटि के कितने छात्रों को सीतापुर में वर्तमान शिक्षा सत्र में छात्रवृत्ति दी जा चुकी ह तथा कितनों को देना विचाराधीन है?

श्रीमती चन्द्रावती—

आय के आधार पर पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य ऐसे छात्रों से है जिनके अभिभावकों की वर्षिक आयं 4000 रु0 तक है और जो सूचीबद्ध जातियों अथवा आरक्षित जातियों में नहीं आते हैं।

---

†नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 14 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने पूछा।

सीतापुर जनपद में इस कोटि के 12 छात्रों को वर्तमान शिक्षा सत्र में छात्रवृत्ति दी जा चुकी है तथा शेष नवीन 67 छात्रों के प्रार्थनापत्रों पर धनाभाव के कारण विचार नहीं किया जा सका ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आय के आधार पर पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती है क्या उसका कोई प्रतिशत निर्धारित रहता है अथवा वह जिलाधिकारी की मर्जी पर ही रहता है कि वह जैसे चाहे दे ?

श्रीमती चन्द्रावती—

उसका प्रतिशत निर्धारित रहता है और जिलाधिकारी ही उसे देता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि सीतापुर जनपद के लिए इस मद में कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गयी थी और क्या वह पूरी वितरित कर दी गयी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

8,888 रुपए निर्धारित थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

उत्तर में ही यह बताया है कि केवल 12 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी, और अब यह बताया कि 8,888 रुपए की धनराशि स्वीकृत थी, तो शेष धनराशि कहां चली गयी, उसका आवंटन क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती—

माननीय सदस्य की सूचना पर मैं इसकी जांच करवा लूंगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसको श्रीमन्, स्थगित कर दीजिए, पूरी सूचना इनके पास नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप फिर लिख कर दे दें, जांच का आश्वासन तो उन्होंने दे दिया है । इसको स्थगित नहीं करता हूं ।

लखनऊ के चकबन्दी अधिकारी, श्री शान्ति स्वरूप, का स्थानान्तरण

*23—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में ही कार्यरत चकबन्दी अधिकारी, श्री शान्ति स्वरूप वर्ष 1974 से कार्यरत थे परन्तु ग्राम लोहरामऊ, थरी की गम्भीर शिकायतों के कारण उनका स्थानान्तरण वर्ष 1976 में जनपद रायबरेली को कर दिया गया था ? यदि हाँ, तो क्या उक्त चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध उक्त अवधि के दौरान हुई शिकायतों पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही है और इसी बीच उनका स्थानान्तरण रायबरेली जनपद से पुन: लखनऊ कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

लखनऊ जनपद में कार्यरत चकबन्दी अधिकारी श्री शान्ति स्वरूप का वर्ष 1976 में लखनऊ से रायबरेली को स्थानान्तरण ग्राम लोहरामऊ, थरी की शिकायतों के अवसर पर नहीं किया गया था बल्कि लखनऊ जनपद में चकबन्दी अधिकारी का एक पद कम होने के कारण इनका स्थानान्तरण किया गया था। उक्त अधिकारी के विरुद्ध ग्राम थरी से सम्बन्धित 11 जनवरी, 1976 की एक शिकायत पर कराई गई जाँच के आधार पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है और दिनाँक 22 अप्रैल, 1976 को आरोप पत्र दिया जा चुका

है। जुलाई, 1978 में इनको रायबरेली से पुनः लखनऊ उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरित किया गया था।

श्री संगम लाल--

मन्त्री जी ने बताया कि आरोप-पत्र सम्बन्धित अधिकारी को दे दिया गया और विभागीय कार्यवाही की जा रही है, तो अब तक कार्यवाही न होने का क्या कारण है और क्या उनको मुख्यालय से तुरन्त ट्रान्सफर कर देंगे ?

श्री नारायण सिंह--

यह कार्यवाही एक ज्वाइन्ट डायरेक्टर को 3-4-76 को करने के लिए दी गयी, उन्होंने रिपोर्ट दी, उसके बाद चार्जशीट दी गयी, 22 अप्रल, 1976 को यह जाँच तथा कार्यवाही का काम एक दूसरे ज्वाइन्ट डायरेक्टर को दिया गया, उनका ट्रान्सफर हो गया, उसके बाद फिर वह काम एक दूसरे ज्वाइन्ट डायकरेंटर को दिया गया, 22 सितम्बर को उनका भी ट्रान्सफर हो गया, अब यह तहकीकात का काम दूसरे अधिकारी को दिया गया है और जल्दी ही उनकी रिपोर्ट आ जायगी और इस पर कार्यवाही की जायगी।

सुल्तानपुर कोषागार से भविष्य निर्वाह निधि को जाली वाउचरों द्वारा निकाला जाना

*24--श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री लाल दास (जिला सीतापुर)--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि 1978-79 में जनपद सुल्तानपुर के खजाने से भविष्य निधि सम्बन्धी साठ हजार रुपए जाली वाउचरों द्वारा निकाला गया है ? यदि हाँ, तो इस घटना के तथ्य क्या है और कौन-कौन व्यक्ति दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मधुकर दिघे--

सुल्तानपुर कोषागार से भविष्य निर्वाह निधि से सम्बन्धित कुल रु0 31,524 की धन-राशि जाली वाउचरों द्वारा निकाली गयी है। भविष्य निर्वाह निधि लेखा से आहरण हेतु तीन प्राधिकार पत्र इस जनपद में प्राप्त हुए थे जो क्रमश. रु0 9,885, रु0 9,875 तथा रु0 11,764 के थे। ये प्राधिकार पत्र पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त हुए थे जिनके लिफाफे पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रथम) की मोहर भी लगी हुई थी। प्राधिकार पत्रों की प्रतियाँ जाली व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गयी थीं जिनकी पहचान कोषागारों एवं बैंक में स्थानीय वकीलों द्वारा की गयी थी जिसके आधार पर भुगतान किया गया। तीनों मामलों की रिपोर्टें स्थानीय पुलिस स्टेशन में लिखा दी गयी हैं। प्राप्तकर्ता की पहचान करने वाले तीन वकील तथा बिल पारण लिपिक जमानत पर हैं। बिल पारण लिपिक को निलम्बित कर दिया गया है। जिला स्तर पर विभागीय जाँच हेतु जाँच अधिकारी नियुक्त किए गये हैं। जांच अधिकारी एवं पुलिस की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी तथा विभागीय कार्यवाही की जायगी।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री कृष्णा राय--

(5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

बिक्री-कर विभाग की विचाराधीन अपीलों एवं हरिजनों का निस्तारण

2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में बिक्री-कर की भारी संख्या में विचाराधीन अपीलों एवं रिवीजनों को शीघ्र निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किया जा रहा है ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 23 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री मधुकर दिघे—

विभाग में बिक्री-कर की 1.11 लाख विचाराधीन अपीलों के शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

1—वर्ष 1976 तक की अपीलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर दिनाँक 31-3-79 तक सुनिश्चित करने के लिए सभी सहायक आयुक्तों (न्याय) को निर्देश दिए जा चुके हैं ।

2—बिक्री-कर निर्धारण के विरुद्ध की गयी ऐसी अपीलों को जिनमें विवादित बिक्री-कर या क्रय-कर की धनराशि रु0 500 तक है और जिनमें कोई विधिक बिन्दु निहित नहीं है, सम्बन्धित व्यापारी द्वारा विवादित कर की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करके अपील वापस ले लेने पर और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर शेष 50 प्रतिशत धनराशि माफ करने की सुविधा दी गयी है ।

3—स्वत: कर निर्धारण की योजना के सफल कार्यान्वयन के कारण दिनाँक 21-12-78 तक पिछले वर्ष की तुलना में 12,347 अपीलें कम दायर की गयी हैं ।

4—सहायक आयुक्त (न्याय) की कार्यरत शक्ति 43 से बढ़ाकर 49 कर दी गयी है ताकि अपीलों का निस्तारण शीघ्र हो सके ।

5—25 लाख से अधिक धनराशि के मामलों में कर निर्धारण कार्यवाही सहायक आयुक्तों को दी गयी है ताकि अच्छे स्तर का कर निर्धारण हो और अपीलें कम दायर हों ।

6—इस बात के भी आदेश दिए गए हैं कि व्यापारियों के लेखे जोखों का गहराई से परीक्षण होवे और अकारण या छोटी बातों पर उनके लेखे अस्वीकार न किए जायं । लेखे अस्वीकार होने पर अपीलों की संख्या बढ़ती है ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम ढ़ोलीपुर में हुई चकबन्दी के विरुद्ध शिकायती पत्र

3—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ परगना तहसील सगड़ी, ग्राम ढ़ोलीपुर के रामदेव, मोलई, जयराम, राजदेव आदि हरिजनों ने चकबन्दी क्रिया-कलापों के विरुद्ध श्री मंगलदेव विशारद एम0 पी0 के पत्र के साथ माननीय मुख्य मन्त्री व चकबन्दी आयुक्त को दिनाँक 9 अगस्त, 1978 व 15 अगस्त, 1978 के बीच में कुल कितने आवेदन-पत्र दिए हैं ? यदि हाँ, तो जाँच में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गयीं और उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

4—श्री रवीन्द्र सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

5—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[9-3-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित ।]

जिला गोरखपुर की ग्राम सभा चौक में हरिजन बस्ती कालोनी हेतु भूमि आवंटन

6—श्री दुक्खी प्रसाद—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर, तहसील महाराजगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा, चौक में हरिजन बस्ती कालोनी हेतु सरकार द्वारा एक्वायर भूमि अभी

तक बाँटी नहीं गयी ? यदि हाँ, तो सरकार तत्काल बंटवाने की कृपा करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री नारायण सिंह—

जी हाँ ।

ग्राम सभा चौक तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर में हरिजनों को आवास स्थल आवंटन हेतु 3.10 एकड़ भूमि अध्याप्त करने की अधिसूचना दिनाँक 16 अक्तूबर, 1975 को जारी की गयी थी । अध्याप्त भूमि गाँव की आबादी से डेढ़ किलोमीटर दूर जंगल के किनारे असुरक्षित होने के कारण आवंटित नहीं की गयी ।

चकबन्दी प्रक्रिया शुरु हो जाने पर चकबन्दी विभाग द्वारा 5 16 एकड़ भूमि छोड़ी गयी । हरिजनों की इच्छानुसार चकबन्दी विभाग द्वारा छोड़ी गयी 5.16 एकड़ भूमि को आवास स्थल हेतु परगनाधिकारी की स्वीकृति लेकर ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनाँक 4-3-78 द्वारा 172 परिवारों को आवंटित कर दिया गया था । अत: अध्याप्त की गयी भूमि के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर की महाराजगंज तहसील में कथित उपल वृष्टि

7—श्री दुक्खी प्रसाद—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में अक्तूबर, 1978 में भयंकर ओला पड़ा था जिसमें सरकार द्वारा सहायता दी गयी थी ? यदि हाँ, तो वह धन कितना था और किस गाँव में कितना-कितना धन और उनके नाम व पते क्या हैं ? कृपया उसकी एक सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण सिंह—

जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में अक्तूबर, 1978 में उपलवृष्टि नहीं हुई थी । शेष प्रश्न नहीं उठते ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण की योजनाएं

8—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने का अनुग्रह करेगी कि चालू वर्ष 1979, जो अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, शासन ने प्रदेश के करोड़ों नौनिहालों के कल्याण की कोई ठोस प्रभावी योजना बनाई हैं ? यदि हां, तो योजना क्या है और कब तक कार्यान्वित की जायगी । क्या सरकार यह बतायेगी कि इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में बिशुनपुरा विकास खण्ड (पडरौना) के 99 प्रतिशत गरीब बीमार बालकों के लिए पोषण व स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रभावी योजना लागू की जायगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां । जन्म से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के निराश्रित, निर्बल, बाधित, कुपोषित बच्चों के सर्वांगीण विकास की विभिन्न अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजनायें तैयार की गयी हैं, जिनका विवरण संलग्न है† । कार्यान्वियन की स्थिति भी संलग्न विवरण में दर्शायी गई है ।

विशुनपुर विकास खण्ड (पडरौना) क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण के पश्चात् ही विचार करना सम्भव होगा ।

9—श्री राजकुमार शर्मा—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

---

†छापी नहीं गयी ।

10—श्री बिशुन दयाल—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

हरिजन छात्रावासों के लिए स्वीकृत धन का उपयोग

11—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष 1974–75, 1975–76, 1976–77, 1977–78 में कितना-कितना धन हरिजन छात्रावास हेतु स्वीकृत था ? किस-किस वर्ष में किस-किस जिले में कितने छात्रावास बन कर तैयार हुए और कितने छात्रावास बनना शेष हैं ? कितना धन खर्च हुआ तथा कितना धन शेष है ? छात्रावासों के निर्माण में विलम्ब होने का कारण जमीन उपलब्ध न होना है ? यदि हां, तो जहां जमीन उपलब्ध हो, वहां शीघ्र छात्रावास बनाने का आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती चन्द्रावती—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद बहराइच में कार्यरत सीधी नियुक्ति वाले चकबन्दी अधिकारी एवं उनका स्थायीकरण

12—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बहराइच में इस समय कार्यरत सीधी नियुक्ति (डाइरेक्ट भर्ती) वाले कुल कितने सहायक चकबन्दी अधिकारी हैं और उन्होंने चकबन्दी विभाग में कितने वर्षों तक निरन्तर सेवा की है और उनमें से कितने की सेवाएं स्थायी की गयी हैं ? यदि कोटिक्रम सूची में अंकित उनसे बाद के अधिकारियों की सेवाएं स्थायी की जा चुकी हैं तो उन्हें कब तक सेवा में स्थायी किया जायगा ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

जनपद बहराइच में इस समय कार्यरत सीधी नियुक्ति (डाइरेक्ट भर्ती) वाले कुल 6 सहायक चकबन्दी अधिकारी सर्वश्री कृष्णकान्त भारद्वाज, कालूराम वर्मा, सच्चिदानन्द सिंह, सत्यदेव प्रसाद श्रीवास्तव, मो0 कामिल अन्सारी, उपेन्द्रनाथ त्रिपाठी कार्यरत हैं। इन अधिकारियों ने चकबन्दी विभाग में क्रमश: 22 वर्ष, 17 वर्ष, 15 वर्ष, 15 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष तक निरन्तर सेवा की है और इन में से केवल 2 सहायक चकबन्दी अधिकारियों श्री कालूराम वर्मा एवं श्री सच्चिदानन्द सिंह को स्थायी किया जा चुका है। शेष 4 सहायक चकबन्दी अधिकारियों में से केवल दो अधिकारी ऐसे हैं जिनसे कनिष्ट अधिकारियों को स्थाई किया जा चुका है। इन अधिकारियों का स्थायीकरण उनके अनुपयुक्त पाए जाने के कारण नहीं हो सका है ।

बस्ती जिले के ओला पीड़ित क्षेत्र में टेस्ट वर्क

13—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में अप्रैल, 1978 में ओला से पीड़ित क्षेत्र में कहां-कहां टेस्ट वर्क कब-कब चालू किया गया और कितना रुपया खर्च किया गया ? क्या यह सही है कि टेस्ट वर्क की मांग होते हुए टेस्ट वर्क का कार्य बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

बस्ती जिले में अप्रैल, 1978 में कोई टेस्ट वर्क नहीं चलाया गया क्योंकि उस समय टेस्ट वर्क चलाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी थी। धन व्यय किए जाने और टेस्ट वर्क बन्द करने सम्बन्धी प्रश्न नहीं उठते ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को नया वेतनमान

14—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 1778/26-78-7/88/74, दिनांक 4 अप्रैल, 1978 के अनुपालन में विभागीय सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों को नया वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां ।

दिनांक 4-4-1978 से नया वेतनमान देने के आदेश दिनांक 20-9-78 को दिए जा चुके हैं ।

बांदा जिले के बबेरू गांव में चकबन्दी अधिनियम लागू किया जाना

15—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि बांदा जिले के बबेरू तहसील के ग्राम जसे कुमेढ़ासानी, पनाह व कमासिन ब्लाक के अन्य तमाम ग्राम अभी तक चकबन्दी से वंचित हैं ? यदि हां, तो इन ग्रामों में कब तक चकबन्दी कराने का कार्य पूर्ण करा दिया जायगा ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां, कुमेढ़ा गांव को छोड़कर, जिसके बारे में 22 जुलाई, 1978 को जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, बबेरू तहसील के पनाह तथा कमासिन ब्लाक के अन्य सभी ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के योग्य नहीं पाये गये हैं। अतः उनमें चकबन्दी कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आपात्काल में ग्राम पिपरा, जिला बस्ती निवासिनी मुसम्मात पुदना की जमीन का कथित आवंटन

16—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल के समय मु0 पुदना बेवा मोहरत, ग्राम पिपरा प्रथम (करमहवा), तहसील बांसी, जिला बस्ती के चक की जमीन गलत ढंग से आवंटित कर दी गयी थी ? क्या इस सम्बन्ध में दिनांक 5 जुलाई, 1978 को एक प्रार्थना-पत्र राजस्व मन्त्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

जी नहीं। मुसम्मात पुदना के चक की जमीन आवंटित नहीं की गयी थी। बचत की भूमि का आवंटन किया गया था परन्तु चकबन्दी के पुष्टिकृत नक्शे की नम्बर अन्दाजी में त्रुटि होने के कारण पट्टे की जमीन की निशानदेही श्रीमती पुदना के चक के पूर्वी भाग में कर दी गयी जिससे उनका चक छोटा हो गया। बचत में छोड़ी गई जमीन अब मौके पर आबादी हो गयी है अतः चकदार का चक पूरा करने के लिए पट्टा रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है। पट्टा रद्द होने के बाद श्रीमती पुदना के चक की पैमाइश पुनः करा दी जायगी। इस विषय पर कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 5 जुलाई, 1976 को प्राप्त नहीं हुआ, अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती के ग्राम धोबहा, नागचौरी तथा मैनिहवा में जमीन का आवंटन

17—श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत तहसील डुमरियागंज, तप्पा बारिकपार के ग्राम धोबहां, नागचौरी तथा मैनिहवा में खेती योग्य बन्जर

भूमि अलग-अलग कितनी है जिसे अभी तक भूमिहीनों को आवंटित नहीं किया गया है ? आवंटन न होने का कारण क्या है ? आवंटन कब तक हो जायगा ?

श्री नारायण सिंह—

बस्ती जिले के अन्तर्गत तहसील डुमरियागंज, तप्पा बारिकपार के ग्राम धोबहा में 39 एकड़, ग्राम नागचौरी में 3 एकड़ तथा ग्राम मैनिहवा में 79 एकड़ खेती योग्य बंजर भूमि भूमिहीनों में आवंटित होने से शेष है ।

ग्राम धोबहा की भूमि अनधिकृत कब्जे में थी तथा नियम 115-सी के विचाराधीन थी। अब भूमि उपलब्ध हो गयी है जिसके आवंटन की कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम नागचौरी की भूमि पर भी अनधिकृत कब्जे हैं और नियम 115-सी के मुकदमें विचाराधीन हैं । निर्णय के उपरान्त आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी ।

ग्राम मैनिहवा में भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव, जो भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था, त्रुटिपूर्ण होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया। पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रगति में है ।

बस्ती जनपद में बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त बांटे जाने वाले गेहूं व दलिया में कथित घोटाला

18—श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के उसका बाजार बस्ती में जुलाई से सितम्बर, 1978 तक बाढ़ पीड़ितों में मुफ्त वितरित किए जाने वाले गेहूं और दलिया को अनियमित रूप से ले जाते हुए स्थानीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के ऊपर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण सिंह—

जी नहीं । वस्तु स्थिति यह है कि ब्लाक के कर्मचारी को टड़िया क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों में निःशुल्क वितरण हेतु गेहूं तथा दलिया दिया गया था, जिसमें से कुछ सामग्री परिवहन व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण उनके द्वारा श्री राम कौल मिश्र कामदार (मारकेटिंग) की सुपुर्दगी में श्री महाबीर जैसवाल के घर में रखवा दी गयी थी जिसकी शिकायत जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। शिकायत के आधार पर थाना अध्यक्ष उस्का ने सामग्री अपने कब्जे में ले ली और कामदार को जेल भेज दिया किन्तु बाद में तफतीश होने पर किसी को दोषी न पाया जाने के कारण पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी तथा उक्त सामग्री बी0डी0ओ0, उस्का को वापस दे दिया, जिसका वितरण बाढ़ पीड़ितों में किया जा चुका है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

19—श्री हरि गोविन्द सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

तहसील मंझनपुर के ग्राम पूरब शरीरा में चकबन्दी की धारा 52 का प्रकाशन

20—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मंझनपुर के ग्राम पूरब शरीरा में चकबन्दी का कार्य 1963 में आरम्भ हुआ है और अब तक धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है तो उक्त ग्राम के लिए धारा 52 का प्रकाशन कब तक हो जायेगा ?

श्री नरायण सिंह—

जी हाँ, इलाहाबाद जिले की मंझनपुर तहसील के गाँव पूरब शरीरा में चकबन्दी का कार्य 1963 में आरम्भ हुआ था। इस ग्राम की चकबन्दी की सभी प्रक्रियायें समाप्त कराये जाने के पश्चात् उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना 6 मार्च, 1979 को जारी कर दी गयी है ।

21—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—
(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जिला बांदा के क्षेत्र चक मुरवां की चकबन्दी से सम्बन्धित श्री मैकू लाल आदि का पत्र

22—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 3 अगस्त, 1978 को मैकूलाल, निवासी मुरवाँ, तहसील नरैनी, जिला बांदा के पत्र के साथ प्रश्नकर्त्ता का संलग्न पत्र उक्त ग्राम के एक भाग में चकबन्दी न होने के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो अभी तक सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण सिंह—

जी हाँ। इस सम्बन्ध में श्री मैकूलाल एवं अन्य काश्तकारान का जनपद बाँदा की तहसील नरैनी के क्षेत्र चक मुरवाँ की चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में एक आवेदन-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था। इस पर स्थानीय जाँच कराने पर यह विदित हुआ है कि उपरोक्त क्षेत्र चकबन्दी योग्य है। कुछ औपचारिकतायें पूरी कराये जाने के पश्चात इस क्षेत्र को चकन्बदी के अन्तर्गत लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही यथासमय की जायेगी।

श्री होरी लाल सैनी, प्रधान सहायक, कार्यालय उपायुक्त (शासकीय) बिक्री-कर, अलीगढ़ परिक्षेत्र के निलम्बन का समाप्तिकरण

23—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपायुक्त (शासकीय), बिक्री-कर, अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ ने अपने पत्र संख्या 2671—स्थापना/अ0 शा0 बि0 क0 अ0, दिनाँक अलीगढ़ 28 नवम्बर, 1978 द्वारा (प्रशासन) बिक्री-कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से श्री होरी लाल सैनी, प्रधान सहायक, कार्यालय उपायुक्त (शासकीय), बिक्री-कर, अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ का निलम्बन समाप्त कर बहाल करने की सिफारिश की है ? यदि हाँ, तो क्या श्री होरी लाल सैनी का निलम्बन समाप्त कर उनको बहाल कर दिया गया है ?

श्री मधुकर दिघे—

जी हाँ। किन्तु अलीगढ़ परिक्षेत्र के तत्कालीन उपायुक्त (शासकीय), बिक्रीकर, की यह संस्तुति नहीं मानी गई तथा जाँच अधिकारी को श्री सैनी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जाँच शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिये गये।

24—श्री रघुबर दयाल वर्मा—
(6ठे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में कृपया नियम 34 देखने का कष्ट करें। मान्यवर, इस नियमावली के नियम 34 में यह स्पष्ट दिया हुआ है। आप उसे पढ़ने की कृपा करें। मान्यवर, इसमें लिखा है 'प्रश्नों के उत्तर देने के लिये उपलब्ध समय सम्बद्ध मंत्री अथवा मंत्रियों से सम्बद्ध प्रश्नों के उत्तर देने के लिये भिन्न-भिन्न दिनों में चक्रानुक्रम से उस प्रकार नियत किया जायगा जैसा कि अध्यक्ष महोदय समय-समय पर उपबंधितकरें'। इस नियम के अनुसार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

माननीय राजस्व मंत्री से संबंधित मेरा एक प्रश्न आपने स्वीकार किया। इसमें लिखा है 4 थे शुक्रवार के लिये स्थगित। मान्यवर, अगर कोई मंत्री उस दिन जो कि आपके द्वारा तय किया गया है, उसको उत्तर न देना होगा, तो उसे आपकी अनुमति लेना पड़ेगा। मान्यवर, आपकी अनुमति ले ली गयी। इसमें लिखा है कि---"क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले में बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ विदेश से आए कम्बल व पौष्टिक आहार के वितरण में हुए घोटाले की जाँच दिसम्बर, 1978 अथवा जनवरी, 1979 में कराई गयी ? यदि हाँ, तो आरोप क्या थे ? जाँच का क्या परिणाम हुआ ?"

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इस को स्थगित कर दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस पर मैं मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इसको स्थगित कर दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस पर मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं फाइल मंगा कर देख लूं, तो आपको बता दूंगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब कोई व्यवस्था नहीं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो माननीय सदस्य लोग करते है, उसको आप स्वीकार करते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी मैं इजाजत नहीं देता। अगर कोई बात आपको समझना है, तो आप मेरे कक्ष में आ जायं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैं प्रश्न के बारे में नहीं कह रहा हूं। उत्तर के बारे में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

मोहनलालगंज में लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग पर बनी हुई दूकानों को तोड़वाने की नोटिस दिए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। लखनऊ जनपद की मोहनलाल गंज तहसील के अन्तर्गत आने वाले लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित बक्कास, गोसाईगंज, अमेठी और गंगागंज आदि स्थानों पर लगभग 150

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुकाने एवं भवनों के जो सुल्तानपुर रोड के किनारे काफी समय से बनी हुई है, सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड,लखनऊ के एस0 ओ0 (सहायक अभियन्ता) के आदेशानुसार गोसाई गंज बाजार में दिनांक 19-3-79 को डुग्गी द्वारा सूचना दी गयी है कि उक्त दूकानों एवं भवनों को खाली कर दिया जाय क्योंकि उक्त दूकानों एवं भवनों को एक सप्ताह में बुल्डोजरों से गिरा दिया जायेगा जिससे अनुमानत: 50 लाख रुपये की हानि होगी। इस सूचना के कारण उक्त समस्त दुकान एवं भवनपतियों तथा आम जनता में घोर निराशा एवं चिन्ता व्याप्त हो गयी है। साथ ही जनता में यह भी चर्चा हो रही है कि जनता पार्टी की सरकार आपात्काल से भी अधिक नागरिकों पर ज्यादतियाँ करने जा रही है।

अत: मैं आपके माध्यम से शासन एवं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि शीघ्र ही इस संबंध में जनता को राहत देने हेतु उचित कार्यवाही करें।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने के सम्बन्ध में छात्रों द्वारा शान्तिपूर्ण आन्दोलन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने के लिये जनवरी, 1979 से छात्र शान्ति पूर्ण ढंग से आन्दोलन चला रहे हैं। संघर्ष के इस क्रम में सभा, प्रदर्शन, भूख, हड़ताल, धरना आदि जारी है तथा आगे आमरण अनशन तथा विश्वविद्यालय के कारोबार को पूर्णतया अवरुद्ध कर देने का छात्र निश्चय कर चुके हैं।

छात्रों का कहना है कि माननीय कुलपति द्वारा यू0 जी0 सी0 ग्रान्ट पुस्तकों तथा दूसरे सामानों की खरीद 77 की सी0 पी0 एम0 टी0 परीक्षा में प्राप्त धनराशि के दुरुपयोग की गम्भीर वित्तीय अनियमितता महाविद्यालयों की मान्यता,शिक्षकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता एवं पक्षपात, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति का खुल कर दुरुपयोग, परीक्षाओं तथा परीक्षाफल घोषित करने में अनियमितता अपनी ही लड़की को अपने विभाग में टाप करना, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सुधार में रुचि न लेना अवांछनीय एवं आसामाजिक तत्वों को बढ़ावा देना, लगभग डेढ़ वर्ष से कार्यालय में न आना लगभग दो हजार रुपया प्रतिमाह खर्च कर पुलिस के पहरे में रहना, आदि शिक्षा के इस विशिष्ट केन्द्र के समक्ष एक गम्भीर चुनौती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह शिक्षा केन्द्र 10 जिलों के लगभग 100 डिग्री कालेजों को जोड़ता है यहाँ की अशान्ति, अनिश्चय, आतंक की स्थिति उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा को कुप्रभावित कर रही है विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल हो रहा है।

इस कुलपति के कार्यकाल में 50 से अधिक बार शिक्षक, कर्मचारी तथा छात्र हड़ताल हो चुकी है, कई बार परिसर पुलिस छावनी के रूप में बदल चुका है, दर्जनों विभागाध्यक्ष पद त्याग की धमकी दे चुके हैं।

विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रतिनिधि मण्डल पिछले दिनों तमाम माननीय विधायकों, मंत्रियों, मुख्य मंत्री जी, एवं महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर वस्तु स्थिति से अवगत करा चुका है। यदि समय रहते सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो स्थिति बदतर हो सकती है।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट कर प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूं।

मान्यवर मैं एक मिनट का अतिरिक्त समय चाहता हूं। इससे पूर्व भी इसके ऊपर मान्यवर.....

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, आप सरकार को आदेश दें कि कुलपति को हटाकर कार्यवाही करें। मान्यवर, पिछले सत्र के आखिर दिन आप ही उस कुर्सी पर बैठे थे। श्री सत्य प्रकाश मालवीय, जो आज मंत्रि परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने इस विश्वविद्यालय के विषय में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। इस विश्वविद्यालय की मौजूदा परिस्थिति में सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, दो, ढाई, तीन महीने बीत गये हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं देता ।

श्री बीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

मान्यवर, इतनी बड़ी तादाद में विद्यार्थी इसमें आते हैं, आप सरकार को आदेश दें

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

श्री रवीन्द्र सिंह ने जो कहा है तो उस कुलपति को हटाने के संबंध में आप सरकार को आदेश दें कि उनको तुरन्त हटा दिया जाये ।

जनपद जौनपुर में परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत रुपैया बेगम एफ० डब्लू० डब्लू० को वेतन न दिए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, जनपद जौनपुर में परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत अनाथ अल्प संख्यक रुपैया बेगम एफ0 डब्लू0 डब्लू0 को गत जून, 1978 से अब तक वेतन नहीं मिला है। जिसकी वजह से यह खाने बिना परेशान है और जिले के अधिकारी से लेकर प्रान्तीय अधिकारी को कई निवेदन पत्र दिया गया है। अधिकारी गण कान में तेल डाल कर मौन है जब अधिक परेशानी बढ़ गई तो दिनाँक 14 फरवरी, 1979 को जिले एवं प्रान्तीय अधिकारियों को आमरण अनशन की सूचना टेलीग्राम द्वारा दी गई, समाचार पत्रों में निकल गया फिर भी अभी तक वेतन न मिलने से वह असहाय हो गई है इसी प्रकार गत वर्ष 2 जुलाई को जौनपुर जनपद में महराजगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वहाँ के डा0 नरेश चन्द्र श्रीवास्तव ने महिला कार्यकर्त्ता अल्प संख्यक एलिजाबेथ को बुरी तरह पीटा, जिसकी सूचना उसने 21 जुलाई, सन् 1978 को अन्य उच्च अधिकारियों को दिया तथा इस संबंध में जनपद परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण संघ के संरक्षक के नाते तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री यादव जी को पत्र लिखा 29 जुलाई, सन् 1978 को और उनका उत्तर भी 7 अगस्त सन् 78 को मिला कि जाँच करा कर दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड दिया जायेगा। परन्तु आज तक इस पर कुछ कार्यवाही नहीं हुई। आज भी डाक्टर कर्मचारियों का वेतन रोके बैठे हैं और कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं।

उपरोक्त विषय जो अल्प संख्यक महिला से संबंधित है महत्व का है। सरकार उस पर कुछ भी नहीं कर रह रही है सरकार के ध्यान में यह विषय पुनः डाला जा रहा है कि सरकार इस संबंध में वक्तव्य देने का कष्ट करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बस्ती की हरैया तहसील के किसानों का बभनान चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य तथा किसानों से राजस्व की वसूली में कठोरता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

मान्यवर, बस्ती जिले की हरैया तहसील के किसान जिन्होंने अपना गन्ना बभनान चीनी मिल को दिया है और चीनी मिल ने दो वर्षों के गन्ने का मूल्य बकाया कर रखा है जिसे माननीय गन्ना विकास मंत्री जी ने दिनाँक 19-3-78 को मेरे ताराँकित प्रश्न सं० 9 के उत्तर में सदन में स्वीकार भी किया है। फिर भी तहसील के अधिकारी तथा अमीन आदि कर्मचारी किसानों को तथा उनके बैलों को पकड़--2 कर हवालात तथा काँजी हाउसों में बंद कर रहे हैं। यही नहीं अब तक हरैया तहसील के 75 प्रतिशत किसानों को न जोतबही मिली है और न तहसील में कोई रिकार्ड है कि किस किसान को कितना लगान देना है। कलेक्शन अमीनों को ही अधिकार दकर गाँवों में भेज दिया गया है कि जाकर अधिक से अधिक पैसा वसूल करके ले आओ। अमीन अपनी जमाबन्दी में 30 रुपये की जगह पर 300 रुपये और 50 रुपये की जगह पर 500 रुपये लिखकर पकड़ पकड़ कर लोगों को हवालातों में और मवेशियों को काँजी हाउस में बंद कराकर आतंक मचाये हैं। पूरी तहसील का किसान परेशान व हैरान है कि मेरी लगान 30 रुपये की जगह 300 रुपये कैसे हो गयी? तहसील में जाने पर तहसीलदार आदि कहते हैं कि यहाँ कोई रिकार्ड नहीं है। अमीन के पास रिकार्ड है। पूरी तहसील में हाहाकार तथा कोहराम मचा है। किसान गाँव छोड़कर उसी तरह भाग जाता है, जैसे नसबन्दी के जमाने में नसबन्दी वालों से डरकर सीवान में भाग जाता था।

आपके माध्यम से सदन की जानकारी में ला रहा हूं।

गढ़वाल विश्वविद्यालय का अनुदान बन्द किए जाने से उत्पन्न विषम परिस्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

मान्यवर, गढ़वाल के एक मात्र विश्वविद्यालय गढ़वाल का अनुदान बन्द हो गया है। इससे पूरे मंडल के पाँचों जनपदों में रोष तथा निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। छात्रों में असंतोष व्याप्त हो गया है। इससे पठन-पाठन व शोध कार्यों में बड़ी बाधा उत्पन्न हो गयी है। इस क्षेत्र के पिछड़ा होने के कारण पूर्ववर्ती सरकारों ने इसके विकास हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अनुदान को बंद होने से नयी पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। और अराजक तत्वों को युवकों को दिशा भ्रमित करने का अवसर मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार तथा सदन का ध्यान इस विषम परिस्थिति की ओर आकृष्ट करते हुये निवेदन करता हूं कि उच्च शिक्षा मंत्री इस पर वक्तव्य दें।

बाराबंकी के थाना कोठी के दरोगा द्वारा ग्राम सेठमऊ के कतिपय हरिजनों के घर पर लूट पाट तथा गिरफ्तारी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, दिनाँक 4-2-79 की रात 11 बजे कोठी थाना जिला बाराबंकी के दो थानेदार 7 सिपाही ढुन्ना हरिजन ग्राम सेठमऊके मकान के अन्दर घुस कर उसकी लड़की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित]

के कुछ चाँदी के जेवर तथा 125 रुपये नकद उठा ले गये। ढुन्ना, भगौती, कल्लू, श्याम तथा दुखहरन को पकड़ कर जंगली कहार का घर बताने के लिये विवश किया। इन लोगों को बाँध कर जंगली के घर पर ले जाकर उसका घर घेर लिया। जंगली को छतपर देख कर उसे पकड़ने और गोली से मार देने को धमकी दी। पुलिस वालों ने जंगली को खेदकर उसके घर के पीछे तालाब में कुदवा दिया और पूरा तालाब घेर लिया। जंगली को किसी तरफ से निकलने न दिया। जब जंगली डूब गया तो पुलिस वाले इन व्यक्तियों को पकड़ कर थाने ले गये। 14 दिन तक तरह तरह की यातनायें देते हुये, भगौती, कल्लू और श्याम से 100 रुपया लेकर छोड़ा और टुन्ना तथा दुखहरन से 400 रुपये लेकर 8 दिन बाद छोड़ दिया।

दिनाँक 18-8-79 को जब जंगली की लाश पानी के ऊपर आयी तो पुलिस के दलालों ने तालाब के किनारे उसे गड़वा दिया। जब टुन्ना हरिजन एस0 पी0 के पास शिकायत करने गया तो उसे एस0 पी0 ने बहुत बुरी-बुरी गालियाँ देकर अपमानित किया। एस0 पी0 स्वयं अभी तक घटनास्थल पर निरीक्षण करने नहीं गये हैं। मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। टुन्ना गाँव से बाहर पड़ा हुआ है और उसको जानमाल का पूरा खतरा है।

उक्त घटना से शासन के प्रति अविश्वास एवं असंतोष बढ़ता जा रहा है। अतः ऐसे लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये उक्त घटना को सी0 आई0 डी0 विभाग से जांच करवा कर सदन को अवगत कराने की अपेक्षा करता हूं।

'स्वतन्त्र भारत' में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की वाराणसी में मौजूदगी के समाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मन्नू राम (जिला बलिया)—

मान्यवर, स्वतंत्र भारत दिनांक 21 मार्च, 1979 के पृष्ठ संख्या 5 पर छपा है कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस वाराणसी में मौजूद हैं। इसकी पुष्टि नार्दन इंडिया पत्रिका नामक समाचार पत्र में भी सुर्खियों से छपे समाचार से किया गया है। इसी पत्र में यह भी छपा है कि श्री जे0 एन0 द्विवेदी, ए0 डी0 एम0, वाराणसी उक्त मामले की जांच में लग गये हैं। जिला प्रशासन को इसके संबंध में जानकारी नहीं है। यह भी बताया गया है कि ऐसी खबर को पाकर वाराणसी शहर में जनता के बीच सनसनी खेज खबर फैलने का समाचार मिला है। इन पत्रों में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के वाराणसी में मौजूद रहने की छपी खबरों को पाकर जनता जनार्दन में उनसे मिलने और देखने का कौतूहल उत्पन्न होता जा रहा है। यही नहीं सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब नेता सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु सरकार द्वारा घोषित कर दी गयी तो इसकी जांच करने के लिये कि नेता जी वाराणसी में कहा हैं ए0 डी0 एम0 श्री द्विवेदी किन तथ्यों पर नियुक्त किये गये? क्या प्रशासन ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि नेता जी अभी जीवित हैं और वाराणसी में हैं?

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि क्या नेता जी का अब तक पता लग सका है और क्या उनको जनता का दर्शन हो सकेगा, जिससे लोगों का कौतूहल शांत किया जा सके और भाग दौड़ में होने वाला नाजायज सरकारी व जनता के खर्च का बचत किया जा सके।

प्रदेश में बिक्री-कर समाप्त न किए जाने से व्यापारियों के असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मान्यवर, सरकार द्वारा बिक्री-कर समाप्त न किये जाने के विरोध स्वरूप उ0 प्र0 के व्यापारी प्रतिनिधियों ने दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से बिक्री-कर न वसूल करने तथा सरकार को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न देने की घोषणा कर दी है। बिक्री-कर की मद से सरकार को पौने तीन सौ करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति हो रही है। वर्तमान संघर्ष और टकराव से प्रदेश की संपूर्ण आर्थिक स्थिति के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।

वर्तमान जनता सरकार के चुनाव घोषणा पत्र में बिक्री-कर समाप्त किये जाने का स्पष्ट आश्वासन था। वर्तमान संस्थागत वित्त मंत्री ने सदन में और सदन के बाहर बारबार 1 अप्रैल, 1979 से प्रदेश में बिक्री कर समाप्त कर देने की शासन की नीति उद्घोषित की थी किन्तु भूतपूर्व मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री के विपरीत वक्तव्यों ने स्थिति संघर्ष पूर्ण बना दी।

सरलीकरण समिति की सिफारिशों पर आधारित गत सरकार की रियायतों का क्रियान्वयन भी स्वार्थी और भ्रष्ट बिक्रीकर अधिकारियों के रवैये के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। स्वतः कर निर्धारण योजना भी मखौल बनकर रह गयी ह। अपमानजनक सर्वेक्षण जगह-जगह संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं: अतः बिक्री कर का विरोध बढ़ता ही जा रहा है।

गत 12 फरवरी को संपूर्ण प्रदेश के छोटे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान कर के विरोध में सफल हड़ताल करके अपनी एकता और विरोध की प्रबलता प्रदर्शित कर चुके हैं।

अतः सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अविलम्ब बिक्रीकर के संबंध में अपनी स्पष्ट नीति घोषित करें और 1 अप्रैल, 1979 से प्रस्तावित "नो टैक्स" की संघर्ष पूर्ण स्थिति से प्रदेश को आर्थिक संकट में पड़ने से बचायें।

प्रान्तीय सेवाओं हेतु एस०डी०ओ० परीक्षा में उत्तीर्ण पिछड़े वर्ग के छात्रों की नियुक्तियां न किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान मे लाना

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रदेश में वर्ष 1977–78 के लिए प्रान्तीय सेवाओं हेतु (एस0 डी0 ओ0) परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों में से 60 व्यक्तियों की नियुक्ति एस0 डी0 ओ0 के पद पर की जानी है। इस परीक्षा में कुल विषयों के प्राप्तांकों में 548 अंक तक सभी उत्तीर्ण छात्र लिये गये जिसमें पिछड़े वर्ग के 9 छात्र हैं जिन्होंने 548 अंक प्राप्त किये। केवल दो छात्र पिछड़े वर्ग के ऐसे हैं जिन्होंने 548 से 2 अंक कम प्राप्त किये जिन्हें भी साक्षात्कार और चयन हेतु आमन्त्रित किया गया।

मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन छात्रों ने 548 अंक सामान्य आंकड़ें वर्ग के छात्रों के बराबर प्राप्त कर इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुये और साक्षात्कार में भी पास हुये लेकिन अब उन्हें नियुक्ति और मेडिकल कालेज के लिए आमन्त्रित नहीं किया गया है। कहा यह गया है कि आरक्षण को उच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है।

मान्यवर, इस अन्याय से आप हमारे पिछड़ें वर्ग की रक्षा करें और सरकार को सदन के माध्यम से अनुरोध है कि उन 9 छात्रों को भी तुरन्त मेंडिकल में और नियुक्ति में लें जिन्होंने अगले वर्ग के बराबर अंक प्राप्त किये हैं। श्री शाहबउद्दीन, श्री शमी उल्लाह, श्री राम कुमार, कु0 हेमलता गुप्ता आदि को तुरन्त बुलाया जावे वरना फिलहाल जब तक सरकार निर्णय नहीं ले तब तक सरकारी नियुक्ति रोकी जावे। कृपया मंत्री जी से तुरन्त वक्तव्य दिलावें।

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

मान्यवर, इसमें एक मिनट और कहना चाहूंगा। यह इतना बड़ा अन्याय है कि जिसको सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। एक परीक्षा हुयी और उसमें 548 अंक तक के छात्रों को लिया गया। पिछड़े वर्ग के 9 छात्रों की नियुक्तियां न करना अन्याय है। आप, मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से तुरन्त वक्तव्य दिलायें। यदि यह लड़के नहीं लिये जाते, तो शेष 51 लड़कों को भी रोक लिया जाय जब तक कि सदन कोई निर्णय न ले ले।

श्री उपाध्यक्ष—

शासन कृपया इस पर तुरन्त जांच करके देखे ताकि इन लोगों के साथ ज्यादती न हों।

शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की छटनी से उत्पन्न विस्फोटक स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् गठित होने के पश्चात् प्रदेश के तमाम नगरपालिकाओं द्वारा चलाये जा रहे प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार से निकल कर बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीनस्थ हो गये थे और इस प्रकार इन विद्यालयों में कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारी मान लिये गये हैं। इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या हजारों में है। यह अपनी सेवा की लम्बी अवधि शिक्षा विभाग के कर्मचारी क रूप में पूरी कर चुके हैं और बहुत से तो रिटायरमेंट के नजदीक हैं। शिक्षा विभाग ने अपने शासनादेश संख्या 532/15/5–78–370–73 शिक्षा अनुभाग लखनऊ, सितम्बर 13, 1976 के अनुसार इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्राइमरी स्कूलों में आवश्यकता को व्यर्थ बताया जिसके अनुसार अभी हाल में शिक्षा-परिषद् ने उन कर्मचारियों को सेवामुक्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की है।

पूरे प्रदेश में इन हजारों कर्मचारियों के सेवा-मुक्त होने के आदेश से गम्भीर बेचैनी है और इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों और उनमें पारिवारिक जनों की स्थिति बड़ी विस्फोटक बन रही है। यही नहीं, शिक्षा विभाग मे अभी तक प्रदेश की कुछ नगरपालिकाओं जिनकी जनसंख्या एक लाख से ऊपर है, के शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों और कर्मचारियों को साढ़े सात प्रतिशत का हाउस एलाउन्स भी देना प्रारम्भ नहीं किया है। इससे भी घोर असंतोष बढ़ रहा है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी से वक्तव्य और छोटे कर्मचारियों को सेवा मुक्त करके बेरोजगार होने से बचाने का आश्वासन की भी मांग करता हूं।

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में बाढ़ के प्रकोप से बचाव के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)—

मैं आपके माध्यम से सदन तथा सरकार का ध्यान बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील जो बाढ़ से एवं सूखा तथा ओला से पीड़ित रहती है, की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, यह तहसील आये साल से बाढ़ से अत्यधिक संकटग्रस्त रहती है। कारण नौगढ़ तहसील नैपाल भारत वार्डर पर स्थित है। नैपाल की पहाड़ियों से निकलकर सभी नदियां भारत होकर इसी क्षेत्र से आगे को जाती हैं। जिसमें बूढ़ी राप्ती, वानगंगा, जमुगार, घोडइया, सोतुआ, कूड़ाघोघी, राप्ती आदि हैं। बाढ़ से बचाव के लिए कोई स्थायी हल सरकार द्वारा नहीं निकाला जा रहा है। नदियों के किनारे बसे हुए गरीब किसानों का जीवन संकट तथा जानमाल खतरे में है। बूढ़ी राप्ती के दक्षिण तरफ बंध जाने की वजह से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और भी जीवन संकटमय हो गया है जो पानी खुला रहता था और वह बह जाता था वह उस बन्धों के कारण उत्तर की तरफ ही बहता ह। पिछले साल बाढ़ से 237 गांव सरकारी आंकड़ों के अनुसार पानी में डूबे थे। कई हजार घर गिर गये, और पशु बह गये। बूढ़ी राप्ती के उत्तर तरफ बानगंगा से अतर्रा तक बन्धा है, उस बन्धा को मान्यवर, अतर्रा से बूढ़ी राप्ती के ककरई घाट तक अगर नहीं बनाया गया तो आगे वाले बाढ़ में हजारों लोगों की जाने जायेंगी। पिछले साल की बाढ़ की सरकारी रिपोर्ट से भी मान्यवर, देखा जा सकता है कि यदि दक्षिण तरफ का बन्धा न टूटा होता तो या न तोड़ा गया होता तो दसियों हजार लोग नौगढ़ तहसील के मौत के घाट उतरते।

मान्यवर, बड़े खेद की बात है कि इस रिपोर्ट के बाद भी और मेरे बराबर सरकार से आग्रह के बाद भी बूढ़ी राप्ती के उत्तर तरफ नौगढ़ तहसील की जनता के बचाव का कोई उपाय सरकार द्वारा नहीं किया गया, न सोचा जा रहा है। क्या मान्यवर, नौगढ़ तहसील की जनता की सरकार यह सरकार नहीं है, कोई दूसरी है? नहीं तो फिर जब कि जिले में सबसे अधिक तहसील नौगढ़ ही बाढ़ से प्रभावित रही यहां तक जिला मुख्यालय का सम्बन्ध नौगढ़ तहसील से कट गया था। राहत सामग्री वाया गोरखपुर होकर भेजी जाती थी, फिर इतनी उदासीनता क्यों? मान्यवर, यह तो समाजवादी, समग्रक्रान्ति तथा गरीबों को राहत देने वाली किसानों की सरकार है तो फिर किसानों के साथ यह उदासीनता क्यों? दक्षिण का बन्धा तो और 3 फिट ऊंचा किया जा रहा है और उत्तर की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। मान्यवर, बन्धा ऊंचा होने से और दूसरी तरफ बंधा न बनने से जनता में भय, रोष व्याप्त है। मान्यवर, मरता क्या न करता वह स्थिति आने वाली है। हर साल बांसी और नौगढ़ तहसील की जनता में बाढ़ के दिनों संघर्ष रहता है। एक तरफ बन्धा काटकर जान बचाने का दूसरी तरफ बन्धा न कटने देकर अपनी तरफ पानी न आने देने के फलस्वरूप सरकार को बन्धा बचाने के लिये पुलिस का पहरा करना पड़ता है, लेकिन बाढ़ की भयंकरता से वह कच्ची मिट्टी का बन्धा टूट ही जाता है। फलस्वरूप दोनों ही तरफ की जनता कष्ट में है। अगर मान्यवर, उत्तर में भी बन्धा बंध जाय तो नौगढ़ तहसील के उन लोगों का जीवन सुरक्षित रह सकता है।

मैं मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर लावें ताकि नौगढ़ तहसील की जनता का भी जनजीवन सुरक्षित रहे। मान्यवर, एक मिनट और लेना चाहूंगा। पिछले वर्ष भी इस बन्धे के टूट जाने से काफी जन धन की हानि हुई है। इसलिए फिर अगर इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वही स्थिति आयेगी।

न्योली शुगर फैक्ट्री, एटा के कर्मचारियों की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)—

मान्यवर, जनपद एटा में न्योली शुगर फैक्ट्री के श्रमिकों व कर्मचारियों की यूनियन व फैक्ट्री के प्रशासन के बीच यूनियन की उचित मांगों को लेकर कई महीने से संघर्ष छिड़ा है। इसी सन्दर्भ में दिनांक 25 मार्च सन् 1979 को फैक्ट्री गेट पर दोपहर को एक विशाल आम सभा का आयोजन फैक्ट्री के कर्मचारियों की ओर से किया गया है जिसको असफल बनाने के लिये और मजदूरों का उत्पीड़न करने के लिये न्योली शुगर फैक्ट्री के मैनेजर श्री बी0 आर0 दुबे तथा अन्य अधिकारी गण गैर कानूनी तरीके से समाजविरोधी तत्वों के सहारे गुण्डागर्दी करने पर उतारू है जिससे इस आन्दोलन को दबाया जा सके जिसकी वजह से उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मानपाल सिंह एडवोकेट]
क्षेत्र में शान्ति भंग होन का गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। पिछले साल 7 फरवरी को श्रमिकों की न्यायोचित मांगों के समर्थन में आयोजित आम सभा में किराये पर बुलाये गये गुण्डों स श्रमिकों को पिटवाया गया और यूनियन के पदाधिकारियों को जबरदस्ती जीपों में भरवाकर फैक्ट्री स दस दस मील दूर छोड़वाया गया। उक्त काण्ड से पूर हजार मजदूर क्षुब्ध और रोषित हैं और किसी समय भी कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जिससे कस्बे का जन जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है।

आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करके श्रमिकों की चली आ रही उचित मांगों को अविलम्ब पूरा कराये और श्रमिक शान्ति स्थापना में सहयोग करें।

कानपुर में शराब बन्दी के बावजूद शराब व टिंचर जिंजर की बिक्री होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, कानपुर जिला उन बारह जिलों में से एक है जहां प्रदेश सरकार की ओर से पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया गया है किन्तु कानपुर महानगर में मद्यनिषेध कानून का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा ह। एक मोटे अनुमान के अनुसार सम्पूर्णनगर में मद्य-निषेध लागू होने के बावजूद भी लगभग दो लाख रुपए की शराब तथा अन्य मादक वस्तुएं प्रति दिन बेची तथा खरीदी जाती हैं। विदेशी शराब का सबसे बड़ा केन्द्र है ट्रांसपोर्ट नगर जहां दिल्ली, बम्बई तथा अन्य बड़े शहरों से ट्रकों द्वारा विदेशी शराब आयात की जाती है। इसी केन्द्र से शहर के अन्य भागों जैसे गोविन्दनगर, फजलगंज, गुमटी नं 0–5, नई सड़क, फेथफुलगंज सदर बाजार आदि में भेजी जाती है वहां वह शराब खुले आम बिकती है। देशी शराब मुख्य रूप से जाजमऊ तथा नबावगंज की गंगा पटरी में भट्ठियां लगाकर निकाली जाती है। इन भट्ठियों से ही सारे शहर को कच्ची शराब सप्लाई की जाती है। इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट से लिए गए स्थगन आदेश के नाम पर ऐसी अनेक दूकाने चलती है जिनमें टिंचर जिंजर बेचा जाता है जबकि इन दूकानों में से बहुतों के पास स्थगनादेश भी नहीं है। शहर में कुछ नई होम्योफार्मेसी भी मादक वस्तुएं बेचने का काम करती हैं। किन्तु सबसे आश्चर्य एवं चिन्ता की बात यह है कि शराब तथा अन्य मादक वस्तुएं बेचने का यह अवैध धंधा स्थानीय पुलिस एवं आबकारी विभाग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के संरक्षण में चलता है। इस प्रकार वे भी अवैध धंधा करने वाले लोगों के साथ ही अपनी जेबें भी भर रहे हैं।

अत: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान उक्त गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध करता हूं कि वह महानगर में मद्यनिषेध कानून को सख्ती से लागू करे जिससे लोगों के स्वास्थ्य एवं धन की रक्षा की जा सके तथा समाज को एक भयंकर बुराई से बचाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं विशेषाधिकार के प्रश्नों को लेता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री संगमलाल जी, इसकी जांच हो रही है। वह शासन से संबंधित नहीं है और इसकी जांच हो रही है।

(पुन:) यह लिखा नहीं जाएगा, कई लोग एक साथ बोल रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रणवीर सिंह व श्री राजनाथ सिंह की नियम 301 की सूचनाओं को स्वीकार न किए जाने पर आपत्ति

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, मैने कल 51 में एक सूचना दी थी। आपने और सचिव महोदय ने आश्वासन भी दिया था। सात व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, एक ट्रक उलट गया है, आपने यह आश्वासन दिया था कि 301 के अन्तर्गत हम इसको स्वीकार कर लेंगे लेकिन आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

*श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं पहले भी उठ चुका हूं और आपने कहा था कि बाद में आपको अनुमति दी जाएगी। मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, नियम 301 के अन्तर्गत जो भी सूचनायें आपके कार्यालय को दी जाती है, उन सूचनाओं में जो भी मामले रहते हैं उन मामलों के महत्व के आधार पर ही आप सूचनायें स्वीकार करते हैं। [* * *]
और दूसरी बात यह है मान्यवर किसी भी.....

श्री उपाध्यक्ष—

आक्षेप न करें। निर्णय को तो मना नहीं कर सकते।

श्री राजनाथ सिंह—

पूरी बात तो सुन लीजिए ...

श्री उपाध्यक्ष—

आप आक्षेप कर रहे हैं। इसको कृपया वापस लीजिए

(व्यवधान)

(शोर)

(सर्वश्री रणवीर सिंह, औसान सिंह, मुकीमुर्रहमान तथा अन्य सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष—

इस वापस लीजिए।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर....

(व्यवधान)

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

इसे कृपया वापस लीजिए। (शोर) अगर आप सदन को नहीं चलने देंगे तो मैं स्थगित कर दूंगा। माननीय राज नाथ सिंह इसे वापस लें।

श्री राजनाथ सिंह—

मान्यवर, आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राजनाथ सिंह इसे वापस लें ।

(व्यवधान)

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(श्री रणजीत सिंह, श्री औसान सिंह तथा अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायगा ।

(शोर)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

आप सदन चलाना चाहते है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप जब चलायेंगे तब चलेगा ।

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठ जायं । सदन को चलने दें । (शोर) मै ऐसी नौबत नहीं आन देना चाहता कि किसी को इंगित करना पड़े और मेरा विश्वास माने कि मैं पूर्ण निष्पक्षता से काम करता हूं । हो सकता है कि किसी सदस्य का नाम छूट जाता हो लेकिन एक दिन में सब नहीं लिये जा सकते । 27–28 सूचनायें आती हैं तो सब को नहीं लिया जा सकता । सूचनायें 10–12 ज्यादे से ज्यादा ली जा सकती है । पहले पांच ली जाती थीं । कोई विशेष सूचना होगी तो दूसरे दिन ले ली जायगी लेकिन इस तरह से सदन को न चलने देना यह कुछ ठीक नहीं है । इसको मैं उचित नहीं समझता । राजनाथ सिंह जी आप को इजाजत नहीं देता हूं । आप बैठ जायं ।

(श्री रणवीर सिंह, श्री औसान सिंह, तथा अन्य सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(अत्यधिक शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें । मैं तीसरी बार कह रहा हूं । (शोर) वरना सदन को स्थगित करना पड़ेगा ।

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई । 12 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई ।)

फ्लाइंग क्लब के एरोप्लेन में शराब की बोतल होने की सूचना

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । फ्लाइंग क्लब का एक एरोप्लेन डेढ़ बजे उतरेगा । कल भी उसमें शराब की बोतलें आई थी और आज भी आयेंगी । लखनऊ मद्य निषेध के क्षेत्र में आता है इसलिए जो आबकारी मन्त्री हैं उनको आदेश दिया जाय कि जैसे ही जहाज उतरे उसकी वह तलाशी कराएं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप शासन के पास इसको लिख कर भेज दें ।

प्रदेश में कोयले के संकट के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

इस वक्त प्रदेश कोयले के संकट से ग्रस्त है। पोजीशन खराब होती जा रही है और कोयले से सम्बन्धित जितने भी उद्योग हैं उनके मजदूर बेकारी की स्थिति में आ गये हैं। नियम 301 में कुछ लोगों ने प्रश्न किये थे कि प्रदेश में जलाने वाला कोयला ब्लैक में बिक रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि ऊर्जा मन्त्री, केन्द्रीय सरकार से क्या बातचीत हुई है और कब तक कोटा आने वाला है, कितना आवंटन प्रदेश को हुआ है इस सम्बन्ध में सदन को पता चलना चाहिए। कम से कम इस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न कई दफा इस सदन में आ चुका है और नियम 51 में वक्तव्य भी स्वीकार हो चुका है। सरकार का वक्तव्य आ जायगा तो उस पर जो भी अनुपूरक प्रश्न आप लोग पूछना चाहेंगे पूछ सकते हैं।

विद्युत् मन्त्री के विरूद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय देव बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने माननीय विद्युत् मन्त्री श्री रेवती रमण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार एवं सदन के अवमान के प्रश्न को उठाने की सूचना दी है। माननीय सदस्य श्री देव बहादुर सिंह का कहना है कि प्रदेश के विद्युत् मन्त्री श्री रेवती रमण सिंह ने जिला प्रतापगढ़ के कुण्डा में आयोजित युवा जनता कार्यकर्ताओं की बैठक में घोषणा की है कि आगामी 1 अप्रैल, 1979 से प्रदेश के किसानों को राहत देने हेतु विद्युत् शुल्क की दर 15 रुपए प्रति हार्स पावर से घटा कर 12 रुपए प्रति हार्स पावर कर दी जायगी। सदस्य का कहना है कि माननीय मन्त्री की उक्त घोषणा दैनिक 'तरुण भारत' के दिनाँक 21 मार्च, 1979 के अंक में पृष्ठ 2 पर प्रकाशित है और माननीय सदस्य ने उक्त समाचार-पत्र के उद्धरण की प्रतिलिपि प्रमाणित करके संलग्न की है। माननीय सदस्य का कहना है कि सदन के सत्र के चलते समय सरकार की नीति की घोषणा सदन के बाहर करना विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन का अवमान है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मेरी बात जरा सुन लें। यह परम्परा रही है कि जब सत्र चलता हो तब नीति विषयक कोई घोषणा सदन के अन्दर ही करना चाहिए। मन्त्री जी जानते थे कि सदन का सत्र चल रहा है और फिर भी प्रतापगढ़ में कुण्डा में यह घोषणा कर दी कि 15 रुपए से 12 रुपया बिजली की दर कर दिया गया। यह सदन की अवहेलना है और सदन की अवहेलना विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। लिहाजा इसे विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेज दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अप्रैल, 1952 से 22 दिसम्बर, 1967 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पृष्ठ 524 पर निर्णय संख्या 90 के अनुसार मन्त्रि परिषद् के नीति सम्बन्धी निर्णय का सदन में आने से पूर्व प्रकाशन परम्पराओं के विरुद्ध और अनुचित होते हुए भी विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता है। अतः मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

सहकारिता मन्त्री रजिस्ट्रार कोआपरेटिव बैंक एवं जिला अधिकारी प्रतापगढ़ के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विद्या शंकर पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ने माननीय सहकारिता मन्त्री एवं रजिस्ट्रार यू0 पी0 कोआपरेटिव एवं जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के विरुद्ध सदन के अवमान

[श्री उपाध्यक्ष]
की सूचना दी है । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 64 के दूसरे पैराग्राफ के अनुसार यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्विप्रतिक होगी जिसकी एक प्रति सम्बन्धित सदस्य को भेज दी जायगी । माननीय श्री विद्याशंकर पाण्डेय ने अपनी सूचना की केवल एक प्रति ही दी थी । सूचना नियमानुसार न होने के कारण मैंने उसे अग्राह्य कर दिया है ।

वित्त मन्त्री श्री मधुकर दिघे तथा सूचना निदेशक के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रामजी, सदस्य, विधान सभा ने माननीय वित्त मन्त्री श्री मधुकर दिघे तथा सूचना निदेशक के विरुद्ध सदन के अवमान की सूचना दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि 19 मार्च, 1979 को विधान सभा में श्री राजनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा ने माननीय श्री ईश्वर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने के बारे में एक प्रस्ताव दिया था । माननीय श्री राजनाथ सिंह तथा सदन के कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में सदन में अपने विचार भी व्यक्त किए थे । इनमें से कुछ अंश सदन की कार्यवाही से निकालने के लिए भी माननीय उपाध्यक्ष ने आदेश दिए थे । माननीय श्री रामजी का कहना है कि सूचना निदेशक ने समाचार पत्रों के मालिकों तथा सम्पादकों को उसी दिन टेलीफोन से वित्त मन्त्री जी से सम्बन्धित समाचार को छापने से मना किया । लखनऊ से छपने वाले या बाहर से आने वाले किसी भी समाचार पत्र में इस समाचार का न छपना इस बात की पुष्टि करता है । माननीय सदस्य का कहना है कि सदन की कार्यवाही को प्रकाशित करने से रोक कर माननीय वित्त मन्त्री तथा सूचना निदेशक ने इस सदन का अवमान किया है ।

सदन की कार्यवाही जब तक सदन के प्राधिकार से छपवाकर वितरित न कर दी जाय तब तक गोपनीय होती है । समाचार पत्रों में उसका प्रकाशन व्यवहार में सहन किया जाता है किन्तु यदि कार्यवाही का गलत प्रकाशन होता है तो प्राथमिक रूप से सदन की गोपनीय कार्यवाही को छाप कर अपराध करने के कारण दंडित किया जाता है और उसके गलत प्रकाशन से अपराध गम्भीरतर हुआ माना जाता है और ऐसी दशा में सूचना में जो आरोप लगाए गए हैं कि माननीय वित्त मन्त्री एवं सूचना निदेशक ने सदन की कार्यवाही को समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने से रोक कर सदन का अवमान किया है, उसमें प्राग्दर्शन में सदन के अवमान का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं, प्रतीत नहीं होता है और मैं इसे सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री श्री त्रिलोक चन्द्र के विरुद्ध उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय श्री रवीन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा ने माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री श्री त्रिलोक चन्द के विरुद्ध 22 मार्च, 1979 को विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने 19 मार्च, 1979 को हिन्दी साप्ताहिक पत्र "भावी पीढ़ी" के एक प्रतिनिधि से वार्ता करते हुए एक घोषणा की है कि राज्य विद्युत् परिषद् की तरह सार्वजनिक निर्माण विभाग का विकेन्द्रीकरण करना चाहता हूं । प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश को चार या पाँच जनों में शीघ्र बाँट दूंगा । प्रत्येक जोन का एक फुल फ्लैज्ड उप मुख्य अभियन्ता होगा जो उक्त जोन के निर्माण विभाग की सभी शाखाओं का मुख्य अधिकारी होगा । माननीय सदस्य का कहना है कि सदन के चलते समय सदन के बाहर ऐसी घोषणा करके माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने विशेषाधिकार भंग किया है. . . .

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—
मान्यवर, एक बात सुन लें. . . .

श्री उपाध्यक्ष—
आप बीच में नहीं बोल सकते हैं। बैठ जायं।

श्री रवीन्द्र सिंह—
आपका निर्णय शिरोधार्य है लेकिन इस प्रकार की घोषणा करना जो नीति से सम्बन्धित हो सदन में करनी चाहिए. . . .

श्री उपाध्यक्ष—
आप बैठें मुझे निर्णय देने दें।

अप्रैल, 1952 से 22 दिसम्बर, 1967 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पृष्ठ 524 पर निर्णय संख्या 90 के अनुसार मन्त्रि परिषद् के नीति सम्बन्धी निर्णयों का सदन में आने से पूर्व प्रकाशन परम्परा के विरुद्ध और अनुचित होते हुए भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं माना गया है। अतः मैं इस सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री औसान सिंह, सदस्य, विधान सभा का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

*मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—
मान्यवर, आज आपने सदन स्थगित किया कुछ व्यक्ति इस बात के लिए संकल्पबद्ध हैं कि इस सदन को चलने न दें, अभद्र व्यवहार करें, अशिष्टता का व्यवहार करें और इस तरह से सदन को स्थगित किया जाय। आज श्री औसान सिंह ने, मैं अपने कमरे से सुन रहा था, ठीक है मेरें गले में तकलीफ है लेकिन यह अत्यन्त लज्जा की बात है कि जिस तरह से कोई असभ्य, जिस तरीके से कोई संस्कृतिहीन व्यक्ति जंगल से आया हुआ हो . . .

(शेम-शेम के नारे लगे)

नकल करें अत्यन्त अनुचित है। मैं मूव करता हूं कि उन्होंने सदन का अवमान किया है। चूंकि सदन के सामने किया है इसलिए आप उनके खिलाफ इस सदन के अन्दर कार्यवाही करें। मेरा यह भी निवेदन है कि सदन को बार-बार स्थगित करना इस विधान सभा की गरिमा को बाहर नजरों में गिराना है। जो व्यक्ति आपकी आज्ञा के बिना खड़े होते हैं उसमें आपका कर्त्तव्य होता है कि सदन से उनको बाहर निकाले।
कुछ व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूं अशिष्टता. . . .

(शेम-शेम की आवाज)

असभ्यता और जंगलीपन का व्यवहार कर इस सदन का अवमान किया है। मैं रोज-रोज देखता हूं कि श्री औसान सिंह, श्री राजनाथ सिंह और कुछ व्यक्ति हैं ये समझते हैं कि हम डण्डे के बल से, यहाँ पर हिंसा के बल से सदन को नहीं चलने देंगे

(व्यवधान)

इसका फैसला कीजिए ऐसे नहीं चलने दिया जायगा। यहाँ इस तरह से घटना करें, चार छः व्यक्ति हैं जो सदन का समय नष्ट करते हैं जोकि नियमों के खिलाफ है। कुछ व्यक्ति जो यहाँ पर बार-बार औचित्य का नाम लेकर नियमों का उल्लंघन करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कठोरता के साथ इस सदन की गरिमा को कायम रखें। जो व्यक्ति इस तरह से नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए। इससे हम सब की प्रतिष्ठा गिरती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैंने स्वयं सुना है अगर उनको शौक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसी दास]
है तो वह इस तरीके से करें। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का फख्र है कि मैं बुलन्दशहर जेल में जिस वक्त इंदिरा कांग्रेस के जेल में था मुझको तकलीफ थी।

मुझे इस बात का आश्चर्य है कि कुछ व्यक्ति उनको, कल भी देखा, प्रोत्साहित करते हैं इस तरह का जंगलीपन और असभ्य व्यवहार करने के लिए। मैं तो कहता हूं कि इस तरह की घटना के लिए इसी सदन ने निर्णय लिया था और सुन्दर लाल जी के खिलाफ सदन की कमेटी बनाई थी। औसान सिंह जी जिस तरह का व्यवहार करते हैं, इस तरह के व्यक्ति इसमें रहने के योग्य नहीं हैं। तो मैं सदन के अवमान का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। और प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि उन्होंने सदन का अवमान किया है उनको तीन दिन के लिए सदन से निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि. . . .

श्री मुकीमर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—
मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. . .

श्री उपाध्यक्ष—
आप बैठिए. . .

श्री मुकीमुर्रहमान।
मैं 10 मिनट पहले आपके कक्ष से निकला. . .

श्री उपाध्यक्ष—
आप बैठिए मैं प्रश्न उपथित कर रहा हूं।

(व्यवधान)

मुझे प्रश्न उपस्थित करने दें। प्रश्न यह है कि जैसा नेता सदन ने प्रस्ताव किया है श्री औसान सिंह को तीन दिन के लिए इस सदन से निलम्बित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

(घोर शोर)

श्री उपाध्यक्ष—
कृपया औसान सिंह सदन छोड़ें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—
मान्यवर, हम इस पर डिवीजन माँगते हैं।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—
उपाध्यक्ष महोदय, आपको ऐसा निर्णय लेने से पूर्व दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था, यह आपने सदन का बहुत बड़ा अपमान किया है।

(व्यवधान)

श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—
उपाध्यक्ष ने जनतन्त्र की हत्या की है, यह रहने लायक नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण रस्तोगी—
यह न्याय की कुर्सी है, यह धर्म की कुर्सी है, ऐसा अन्याय करके आपने लोकतन्त्र का घोर अपमान किया है।

(श्री औसान सिंह तथा उनके साथ कुछ अन्य सदस्य सदन छोड़कर चले गए।)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। मुझे इस बात से स्वयं दुख है कि नेता सदन को एक माननीय सदस्य के आचरण पर इस प्रकार से आपत्ति करनी पड़ी। मान्यवर, इस बारे में मतभेद हो सकता है, मैं भी इस बात के लिए अपना दुख प्रकट कर सकता हूं. . .

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव त्रिपाठी (जिला इटावा)—

डंडा इस सदन को चलने से नहीं रोक सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर सदन का एक निर्णय हो चुका है। अब इस पर कुछ नहीं।

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री जी, आप कृपया अपने पीछे बैठे सदस्यों को शान्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव किस नियम के अन्तर्गत था ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह सदन का निर्णय हो चुका है, इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

(भीषण शोर गुल)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

आप बैठिए, हमारे मुकीम साहेब को मारा भी गया है। मैं यह बताना चाहता हूं।

श्री पूरन चन्द्र—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं देता हूं। इस पर सदन का निर्णय हो चुका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव पेश हुआ है वह किस नियम के अन्तर्गत पास हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह सदन का निर्णय है।

श्री पूरन चन्द्र—

क्या यह सदन इस नियमवली के नियमों के बाहर आकर भी कोई निर्णय ले सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

सदन की पूरी शक्ति है कि कोई प्रस्ताव पास कर सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस नियमावली के नियम 299 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

(स्वास्थ्य मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कौशिक जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं खड़ा हुआ हूं और आपने उनको बुला लिया ।

स्वाथ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं नियमावली के नियम 63 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप मेरी बात नहीं सून रहे हैं । और. . .

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको समय नहीं दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप आबकारी मन्त्री को कैसे बुला रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उनको बुलाया है । वह कुछ कहना चाहते हैं और वह मेरी इजाजत से खड़े हुए हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं नियम 299 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने मन्त्री जी को बुला लिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जिस प्रकार से नियमावली का उल्लंघन किया गया है उसके विरोध में मैं इस सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री रेवती रमण रस्तोगी, श्री पूरन चन्द्र आदि माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गए । बाहर जाते समय नौकरशाही नहीं चलेगी के नारे कुछ माननीय सदस्यों ने लगाए)

श्री पूरन चन्द्र, सदस्य, विधान सभा का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव वापस लिया गया

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, इनको आप इंगित क्यों नहीं करते हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)--

श्रीमान् जी, मैं नियमावली के नियम 63 के परन्तुक की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

"परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगी ।"

अभी पूरन चन्द्र यहां पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे । उन्होंने सदन का अपमान किया है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय । वह इस समय इस सदन में नहीं हैं । इसलिए मैं अनुमति चाहता हूं कि एक प्रस्ताव पास किया जाय और पूरन चन्द्र की भर्त्सना की जाय और उनको तीन दिन के लिए निलम्बित किया जाये ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री मैनेजर सिंह को बुला लिया है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत दुखी हूं जो वातावरण यहां पर उत्पन्न हुआ है । श्रीमन्, 2–3 दिन पहले पूज्य श्री जयप्रकाश जी के स्वास्थ्य के लिए कामना की गयी थी और कल दुखी मन से शोक प्रस्ताव पास हुआ, गलत सूचना मालूम होने पर खेद भी प्रकट किया गया था । पुनः जब सही सूचना सदन को दी गयी तो एक उल्लास का वातावरण व्याप्त हुआ और लोगों ने खुशी जाहिर की । आज आप जानते हैं कि लोक नायक मरण शय्या पर पड़े हुए हैं । जनता पार्टी के लोग आज उनके अरमानों के विरुद्ध दिल्ली से लेकर प्रान्तों में आचरण कर रहे हैं । कुर्सी की लड़ाई से जीते जी उनको ये मार रहे हैं जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने जीते जी गांधी जी को मार डाला था वैसे ही आज जनता पार्टी वालों पर कुछ असर नहीं हो रहा है । लोकनायक मरण शय्या पर हैं उसकी यहां पर कोई चिन्ता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां पर जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा उसी के बारे में आप कहें ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, यह बड़ी शर्मनाक बात है । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो आपत्ति उठाई है, वह ठीक नही है । जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सदन के नेता हैं, वे औसान सिंह नहीं हैं । मैं भी मान्यवर, आपके कक्ष में बैठा हुआ सुन रहा था । माननीय सदस्य जिस प्रकार से माननीय मुख्य मन्त्री की नकल कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उनका वह व्यवहार शोभनीय नहीं है । मैं इसको उचित नहीं ठहराता हूं । माननीय मुख्यमन्त्री का गला खराब है इसके लिए माननीय सदन के सभी सदस्यों को दुःख होना चाहिए । उस पर अगर हम मजाक करेंगे कदापि शोभनीय नहीं । काफी देर तक उन्होंने सुनाया । उस समय सदन के माननीय सदस्यों को मांग करनी चाहिए थी कि वे ऐसा न करें किन्तु खेद है कि किसी ने मना नहीं किया । माननीय मुख्य मन्त्री जी कुछ आवेश में आए, गुस्से में आए । उन्होंने भी 2–4 शब्दों का प्रयोग किया जो नेता सदन होने की हैसियत से उन्हें नहीं करना चाहिए था । मान्यवर, वे जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ सुनना होगा, पूरे जीवन में सुना है, इस सदन में भी सुना है । मैंने कभी उनको इस प्रकार से उत्तेजित होते नहीं देखा । मुझे आशा है उन्होंने जो 2–4 शब्दों का प्रयोग किया, उन पर वे विचार करेंगे । वे संसदीय शब्द नहीं कहे जा सकते ।

अभी यहां पर नौजवान सदस्य, पूरन चन्द्र बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाया कि वे क्या बोल रहे थे । मैं सही कहता हूं कि मैं नहीं सुन पाया कि वे क्या बोल रहे थे । (शासन पक्ष की ओर से-वे गाली दे रहे थे ।) हमारे साथी सामने वाले कह रहे हैं कि वे गाली दे रहे हैं, चोर कह रहे थे । यदि उन्होंने ऐसा कहा तो गलत था । वे एक नौजवान सदस्य हैं, उनको ठीक करने के और तरीके हैं । यदि आप (माननीय मुख्य मन्त्री) भी आवेश में आ जायेंगे और हर एक सदस्य को निकालने के बारे में प्रस्ताव लायेंगे किसी को 3 दिन के लिए और किसी को और अधिक दिन के लिए तो यह उचित नहीं होगा । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि नेता सदन ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर वे बहुत गम्भीरता के साथ और संयम के साथ विचार करके इस गाड़ी को चलायें ताकि जो कुछ हो रहा है वह न होवे । मैं पुनः नेता सदन से प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने जो प्रस्ताव किया है उस पर वे पुनर्विचार करें । यदि उन्होंने ऐसा किया भी है तो उनको दंडित करने के और तरीके हो सकते हैं ।

*श्री बनारसी दास—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुकीमुर्रहमान साहब सदन में आ रहे थे। उनका कुर्ता फाड़ दिया और औसान सिंह ने उनको मारा। यह इस हद तक हो गया कि कुछ व्यक्तियों ने यहां बैठकर यहां पर हिंसा करने के लिए, लोगों को अपमानित करने के लिए, उभारते हैं।

मैंने अपने कानों से सुना पूरनचन्द जी को गाली देते हुए। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब यह गाली न देते हो और मैं कहना चाहता हूं कि उनको उभारा जाता है और एक वकील होकर जिस तरह का वे व्यवहार करते हैं उस कारण वे इस सदन को सदस्यता के योग्य नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर कोई सीमा, मर्यादा, आचार संहिता और शिष्टता इस सदन की होगी या नहीं। उधर विरोध पक्ष के लोग हैं, इधर जनता पार्टी के लोग हैं, आपस में भी मतभेद हो सकता ह, माननीय मैनेजर सिंह जी को मानसिक वेदना है, और मैं स्वयं लज्जा महसूस करता हूं और आज जबकि लोकनायक मृत्यु शय्या पर पड़े हैं, इस सदन में इस तरह का निन्दनीय आचरण देखकर मुझे खुद लज्जित होना पड़ता है।

मैं खुद समझता हूं कि इसमें मेरा भी दोष है कि यहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह नियमावली है, नियमावली के अनुसार बहस चल सकती है, काम रोका जा सकता है, नियम 51 की सूचना भी दी जा सकती है, लेकिन सदन में औचित्य का प्रश्न लाकर जिस तरह से चीत्कार होता ह, जिस प्रकार से सदन का समय नष्ट किया जाता है क्या ऐसा करके हम विद्यार्थियों के सामने कोई आदर्श उपस्थित करते हैं ?

मैं कहना चाहता हूं कि इसमें मेरा अपमान नहीं है, तुलसी दास जी ने जैसा कहा है—'खल के वचन सन्त सह जैसे, बुन्द अघात सहें गिरि तैसे'—मैं सहन कर सकता हूं, मेरे कमरे में आकर माननीय पूरनचन्द जी मुझे गाली दें, मैं उसे माला समझूंगा, मैं उसे सहन कर लूंगा, औसान सिंह जी मेरे कमरे में आकर मुझे गालियां दें मैं सहन कर लूंगा, मगर यहां सदन में इस तरह की बात करना कहां तक ठीक है ? क्या यही उनकी सभ्यता और संस्कृति है ?

(व्यवधान)

इस सदन की गरिमा की रक्षा करना, उपाध्यक्ष महोदय, आपका कर्तव्य है। नेता सदन होने के नाते मेरा भी कर्त्तव्य हो जाता है और अन्य सभी माननीय सदस्यों का भी कर्त्तव्य है कि सदन की मर्यादा की रक्षा हो। जो सदस्य नियमों का पालन नहीं करते हैं, सदन स्थगित होता है, यह हास्यास्पद है। आखिर दिन में इस सदन पर कितने हजार रुपए खर्च होते हैं और यहां पर हम इस प्रकार की कार्यवाही करें तो क्या यह उचित है? इसलिए मुझे मजबूर होकर यह करना पड़ा।

माननीय राजेन्द्र कुमार जी, मैं देखता हूं, रोज नियमावली को लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन नियमावली उच्छृंखलता की रक्षा नहीं कर सकती। उनका यह कर्त्तव्य था कि वे अपने साथियों को समझाते। इस तरह की उच्छृंखलता और उद्दण्डता और सदन के कार्य में व्यवधान डालना सदन का अवमान है और सदन की गरिमा के विरुद्ध है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसे वापस लेने में, मगर सदन में माननीय सदस्य पर इस तरह अगर हमला किया जायगा, यहां पर गार्ड्स भी मौजूद हैं, क्या आप समझते हैं कि कुछ लोग या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वालेन्टियर्स यहां आकर हमला कर सकते हैं ? इस तरह का कार्य उच्छृंखलता और कायरता है कि किसी पर हमला किया जाय। हमें गांधी जी के चरणों में बैठने का अवसर मिला, हमने लाठियां भी सही हैं, बेंत और डंडे भी खाए हैं, मगर इस तरह का आचरण सहन करना हम कायरता समझते हैं।

(मेजों की थपथपाहट—सत्ता पक्ष से)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर आप चाहते हैं, श्री मैनेजर सिंह जी समझते हैं कि यह प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए, तो मैं प्रस्ताव वापस ले सकता हूं। लेकिन यह उनका कर्तव्य है, यह कहें, जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, वह कहें। सदन में शान्ति हो, सदन शान्तिपूर्वक चले। कल ही, उनका अधिकार था, कुछ लोगों ने जनता पार्टी के विरुद्ध वोट किया। तो यह उनका अधिकार था और वह वोट कर सकते थे, यह बात दूसरी है। लोक तन्त्र के कफन में कील लगाना, लोक तन्त्र की हत्या करना यह उचित नहीं। मुझे तो आश्चर्य है, मेरे कमरे में 20 वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए थे, उन्होंने भी सुना। ऐसा तो लड़कों में भी नहीं होता। तो इसमें मुझे एतराज नहीं है, अगर मैनेजर सिंह जी समझते हैं कि मैं पूरन चन्द्र के विरुद्ध प्रस्ताव वापस ले लूं तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। आप देखते हैं जय प्रकाश जी की जो स्थिति है, क्या इन लोगों को गम है? सन् 1948 में मेरे एक बहनोई ने महात्मा गाँधी के मर्डर पर मिठाई बाँटा। मैंने कहा कि जीवन में इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। इस तरह से व्यवहार करके स्वयं जय प्रकाश नारायण जी की हत्या की जा रही है। कम से कम जब जय प्रकाश जी मृत्यु शैय्या पर हैं, तो ऐसे समय में गम्भीरता से बात करना चाहिए। मुझे एतराज नहीं, अगर माननीय मैनेजर सिंह जी चाहते हैं, मैं प्रस्ताव वापस ले सकता हूं।

श्री अशफाक अहमद खां (जिला गोण्डा)---

मान्यवर, मुझे दो मिनट दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं देता।

प्रश्न यह है कि माननीय नेता सदन ने श्री पूरन चन्द्र, को 3 दिन के लिए सदन से निलम्बित करने का जो प्रस्ताव रखा है, उसे वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय?

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस हुआ।)

श्री देव बहादुर सिंह---

किस प्रस्ताव को मान्यवर, वापस लिया गया?

श्री उपाध्यक्ष---

यह पूरन चन्द्र जी के बारे में जो प्रस्ताव था वह वापस लिया गया।

श्री औसान सिंह व श्री पूरन चन्द्र के निलम्बन प्रस्ताव रखे जाने पर आपत्ति

श्री अशफाक अहमद (जिला गोण्डा)---

मान्यवर, दो मिनट सुन लें। मैं नया सदस्य हूं। मैं आपके माध्यम से नेता सदन से कहना चाहता हूं कि आप नेता सदन चुन लिए गए, इसमें कोई दो राय नहीं, आप नेता सदन हैं। अब एक सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है, इससे पहले भी सदन में हंगामें हुए हैं, जब समझाने के बजाय उलटे उसमें नेता सदन स्वयं अध्यक्ष कुर्सी पर सुशोभित थे। आपकी इस नेता सदन की कुर्सी पर जो पहले नेता सदन रहे हैं, उन्होंने इस तरह की कार्यवाही को कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया। माननीय नेता सदन का यह कर्त्तव्य होता था कि वह उन सदस्यों को बुलाकर समझाते।

(व्यवधान)

(शोर गुल की आवाजें)

देखिए मान्यवर, यही रवैया है, आपके वरिष्ठ लोग इसी तरह से करते हैं। मैं माननीय नेता सदन से अर्ज करना चाहता हूं, हम लोग नये आए हुए हैं. हम लोगों की भी कुछ इच्छाएं हैं, आप तो पुराने हैं। माननीय रमाशंकर कौशिक, माननीय सत्य देव त्रिपाठी जी किसी को सुनने नहीं देंगे। आप बुजुर्ग हैं, आप यहाँ पर एक छायादार वृक्ष के समान हैं। आप छाया दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप बैठें।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह सदन में जो व्यवस्था की बात कह रहे हैं तो नियम 299 में यह दिया हुआ है कि सदन नेता अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य इस आशय का प्रस्ताव करेंगे। मान्यवर, नियमावली और प्रक्रिया के अन्तर्गत ही कार्यवाही हो और अगर इसके बाहर कोई कार्यवाही हो तो मान्यवर, यह सदन नहीं चल पायेगा। नियम 299 में है कि अगर कोई अव्यवस्था हो तो आप इंगित करेंगे और नेता सदन या कोई अन्य सदस्य प्रस्ताव करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 63 आप देखें। सदन के सामने कोई घटना घटी हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा, आप नियम 63 पढ़िए।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, नियम 299 ही लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

वह सदन का अपमान कर रहे थे इसलिए वह नियम 63 में आ गया।

श्री देव बहादुर सिंह---

आपके समक्ष जो घटना हुई उस समय नेता सदन नहीं थे। उस समय अगर आप इंगित करते तो निश्चय ही 3 दिन के लिए निष्कासित किया जा सकता था। आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष---

हमारे सामने अलावा इसके कि सदन स्थगित कर दिया जाय कोई दूसरा उपाय नहीं था। एक खड़ा होता, दो खड़े होते, लेकिन जब कई माननीय सदस्य, लगभग एक दर्जन एक साथ खड़े हुए और शोर शराबा होने लगा तो मेरे सामने सदन को स्थगित करने के सिवा कोई उपाय नहीं था। मैंने सदन स्थगित करके और उन माननीय सदस्यों को अपने कक्ष में बुला कर बात की तब मैंने नियम के अनुसार सदन की कार्यवाही का संचालन किया।

श्री मुकीमुर्रहमान को श्री औसान सिंह व श्री रणवीर सिंह द्वारा मारे-पीटे जाने की घटना के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, अभी आपने सदन को स्थगित किया और मैं आपके कक्ष में भी गया और जैसे ही बाहर निकला श्रीमन्, जब तक ये लोग शान्ति नहीं रखेंगे मैं भी नहीं मानूंगा, औसाम सिंह, मालवीय जी, मान सिंह आजाद मौजूद हैं, औसान सिंह और रणवीर सिंह ने मुझे मारा, मुझे धमकी दी। श्रीमन्, आपके स्टाफ के जो कर्मचारी हैं मुझे बचाया, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मुझे धमकाया जाता है। सदन के अन्दर मुझे धमकी दी जाती है। श्रीमन्, इस मामले में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, हम लोग माइनारिटी के 10-20-40-50 सदस्य हैं, श्रीमन। हम लोगों को इस प्रकार मजबूर किया जाता है तो श्रीमन्, बाहर ही नहीं अन्दर भी हम लोग अपने को सुरक्षित नहीं समझते हैं। मेरा निवेदन है इस सम्बन्ध में आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी शासन की ओर से माननीय सदस्यों की जान की हिफाजत का और उनकी इज्जत की हिफाजत की पूरी व्यवस्था रखेंगे। समय-समय पर इसी तरह के निर्देश इस पीठ से अध्यक्ष की ओर से होते रहे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

मान्यवर, यह आपके परिवार का मामला है।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मान्यवर, आपका स्टाफ वहाँ मौजूद था। मार्शल और जो भी स्टाफ था उनसे आप पूछ सकते हैं।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें। यह आपके परिवार का ही मामला है। आपके परिसर में ही यह घटना हुई।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर यह विधान सभा के परिसर में हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरे सचिवालय की है और अगर बाहर हुआ है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की है। अब आप इस सम्बन्ध में पूरा वाकया लिख कर दे दें. . .

श्री मुकीमुर्रहमान—

श्रीमन्, मैं लिखकर आपको दे चुका हूं। बाहर गैलरी में ही यह वाकया हुआ है और मैं समझता हूं कि इसकी व्यवस्था आप करेंगे। अगर आपकी गैलरी से बाहर वाकया हुआ होता तो माननीय मुख्य मन्त्री जी की जिम्मेदारी आती, लेकिन आपके परिसर में मण्डप के बाहर हुआ। मैं तो आपसे यह कह रहा था कि गैलरी में यह हुआ और बाबूलाल सरोज, रमाशंकर कौशिक गवाह हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह हमारे पास लिखित सूचना आ गयी है।

'जब आपने विधान सभा को 15 मिनट के लिये स्थगित किया तब मैं इस सदन की गैलरी से निकल रहा था। तब श्री औसान सिंह व श्री रणवीर सिंह, सदस्य विधान सभा ने मुझे मारा और मेरे सब कपड़े फाड़ डाले। श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री रमाशंकर कौशिक, श्री बाबू लाल सरोज ने मुझे बचाया वरना मुझे गम्भीर चोट आ जाती। श्री औसान सिंह, श्री रणवीर सिंह ने मुझे यह भी कहा कि सदन से बाहर निकलते ही तुम्हारी मार-मार कर अकल ठीक कर देंगे। अतः मान्यवर, मैं आपको सूचना देता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाय।'

मैं इसके ऊपर विचार कर लूंगा और इसकी सूचना आपको सोमवार को दूंगा कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है या नहीं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सोहन वीर सिंह तोमर व श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है यह सूचना यदि नेता विरोधी दल विधान सभा को भंग करने का प्रस्ताव करें तो माननीय मुख्य मंत्री उसका समर्थन करेंगे, दिनाँक 22 मार्च, 1979 की उक्त घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में किया है। मैंने इसको अस्वीकार किया है।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी द्वारा दी गयी विशेषाधिकार भंग की सूचना पर जानकारी की मांग

श्री सत्य देव त्रिपाठी (जिला इटावा)—

मान्यवर, मैंने आपको एक विशेषाधिकार भंग की सूचना दी थी।

श्री उपाध्यक्ष—

वह सूचना श्री राज मंगल पाँडेय को भेजी गयी है। माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं। उनके पास हमने नोटिस भेजी है लेकिन उन्होंने अभी उसे प्राप्त नहीं किया इसके बारे में 26 मार्च को जब वह भी हों तब इसके बारे में बात हो जायगी।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1977†

श्री उपाध्यक्ष—

अब श्री सोहन वीर सिंह तोमर सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विवाद जारी होगा।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, यह प्रस्ताव मैंने रखा था और अभी भी इस प्रस्ताव में निहित सिद्धान्तों से मैं पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन हमारे बहुत से साथी, माननीय सदस्य मुझसे मिले। व्यक्तिगतरूप से उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि वह नहीं चाहते है कि इस पर विचार हो और यह पारित हो। तो मैंने उनकी इच्छा, अरमानों का स्वागत करते हुये और उनकी सलाह को मानते हुये इसको वापस लेने का निर्णय मैंने किया है। इसकी सूचना मैंने आपको दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना प्रस्ताव पढ़ दें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों कीउपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1977 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश.....

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि यह जो वापस करने का प्रस्ताव करते हैं, मैं इसका विरोध करता हूं श्रीमन्, एक प्रस्ताव श्री तोमर जी ने सदन के सामने रखा उस पर चर्चा हुई और संशोधन पर चर्चा हुई। तो हो सकता है कि कुछ लोग उससे सहमत हो और कुछ असहमत हों। उन्होंने कहा विधेयक को एक प्रवर समिति को दे दिया जाय। हमने संशोधन रखा कि एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय और जो वह कहे वह मान्य हो। अब उस प्रस्ताव को वह वापस ले लें तो हम उसको व्यापक करना चाहते हैं उपलब्धियों के सम्बन्ध में तोमर जी का कुछ कहना है और हमको तथा अन्य सदस्यों को कुछ कहना है सरकार को कुछ कहना है। इसलिये हम चाहते हैं कि दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति बनायी जाय जो उपलब्धियों के संबंध में विचार करे। हम तोमर जी से सहमत नहीं है। हो सकता है कि वहाँ कोई नई बातें निकलें और वह सरकार के सामने आयें। पिछले सत्र में लगभग 180 लोगों ने हस्ताक्षर करके प्रस्ताव प्रतिवेदन उपलब्धियों के संबंध में दिया गया था। उसमें किसी को कुछ कहना है और किसी को कुछ तथा सरकार को कुछ कहना है। इसलिये एक मौका आया है तो हम उसको वापस नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द करने का हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय और जितने संशोधन है वह समिति में रखे जायं। मान लिया कि श्री हरी सिंह ने अभी तक कुछ कहा और तोमर जी ने कहा ऐसा नहीं लेकिन हो सकता है कि तोमर जी समिति में सुधर जायं। इसलिये तोमर जी का जो प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं।

---

†30 दिसम्बर, 1978 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

नियमावली के नियम 171 को देखें जिसके अनुसार माननीय सदस्यों को अपने प्रस्ताव वापस लेने का पूरा हक है।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

श्रीमन्, सदस्यों की उपलब्धियों के संबंध में बहुत से सुझाव आये लेकिन श्री तोमर जी ने विधेयक में प्रस्ताव पेश किया कि उसको वह वापस लेना चाहते हैं तो श्यामधर मिश्र जी को इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिये। जो भी सदस्यों के संबंध में प्रश्न है उन पर संसदीय कार्यमंत्री विचार करेंगे और आवश्यकतानुसार इसमें सदस्यों के विचार जानकर अवश्य संशोधित विधेयक सदन में लाने की कोशिश करेंगे।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, तोमर जी अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं लेकिन श्यामधर जी का संशोधन है। इसलिये वह डर रहे हैं कि यदि यह प्रस्ताव वापस हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम सदन की एक कमेटी बनायेंगे। इस समय वित्त मंत्री, श्री दिवे जी हैं नहीं, तो मुख्य मंत्री जी आज घोषणाकर दें कि सदन की कमेटी बनायी जायेगी, तो दोनों ही प्रस्ताव वापस हो जायेंगे। इसलिये मुख्य मंत्री समिति बनाने की बात कह दें।

*श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य इस सदन में कोई प्रस्ताव पेश करें तो हमारे नियमों में है कि हम प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और उसको वापस भी कर सकते हैं और सदन चाहे तो उसकी अनुज्ञा दे सकता है, तो इसमें श्यामधर जी को क्या आपत्ति है? यदि गलत है तो दूसरा प्रस्ताव लायें। तोमर जी प्रस्ताव वापस लेना चाहते है तो सदन की इस पर अनुज्ञा लें और यदि पार्लियामेंटरी अफेयर मंत्री जी कमेटी बनाना चाहते है तो बनायें, यह अलग बात है। लेकिन पहले जो प्रश्न निश्चित है, उसको वापस करें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मैं एक सदन का सदस्य भी हूं साथ ही साथ एक पार्टी का भी सदस्य हूं। मैं माननीय श्यामधर जी और माननीय देवबहादुर सिंह जी से सहमत हूं कि कोई आश्वासन अवश्य नेता सदन को देना चाहिये जिससे उपलब्धिओं के बारे में विचार हो और अगर आश्वासन नहीं देते, तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लूंगा। मैंने तो सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये प्रस्ताव वापस लिया था—वैसे मैं श्यामधर जी और देव बहादुर जी की बातों से सहमत हूं।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, माननीय तोमर जी ने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। उसके बाद फिर इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

एक प्रस्ताव उन्होंने रखा, तो उस पर बोलने का उनको अधिकार है।

श्री बनारसी दास—

मान्यवर, श्री तोमर जी को अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय। लेकिन जो सदस्यों सम्बंधी उपलब्धियों के सुझाव हैं, उन पर विचार करने के बाद फिर आवश्यक विचार भी किया जायेगा और आवश्यकता हुयी तो पहले इस पर सरकार विचार कर लेगी और फिर विचार विमर्श करने की आवश्यकता हुयी, तो सदस्यों की एक कमेटी भी गठित कर दी जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1977" को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जो प्रश्न है, उसके संबंध ही में है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं, वह वापस हो गया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आरक्षण किया है, उसको निरस्त करने के लिये देखेंगे धारा 2 का खण्ड (3).....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं, जब उस पर विचार हो, तब कहिएगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

नियम 59 पर बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह मामला अदालत में विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश जाति प्रथा उन्मूलन विधेयक, 1978†

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मान्यवर, माननीय शम्भूनाथ चौधरी जी जो कहना चाहते हैं, उसका समावेश करते हुये कहना चाहता हूं। जाति प्रथा विधेयक के संबंध में जब मैंने कहा था, उस समय मेरी मन्शा यही रही कि इस देश और प्रदेश में जाति प्रथा समाप्त कर दी जाय। माननीय शम्भूनाथ जी जो बात कहना चाहते हैं, वह है कि आरक्षण के संबंध में। मैं तहेदिल से उनका स्वागत करना चाहता हूं और चौधरी जैसे ... माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि हमारी जनता पार्टी की सरकार में हिम्मत है, तो वह सारी सहायता पिछड़े वर्ग के लिये (जो कि जाति के नाम पर न हो) करे और नहीं कर सकती, तो हम शर्म, शर्म के नारे लगायें। मैं पहले भी अपने विचारों को व्यक्त कर चुका हूं कि प्रदेश में 60 प्रतिशत गरीब लोगों का आरक्षण कर दें। 70 प्रतिशत निरक्षर को आरक्षण प्रदान कर दें। प्रदेश में सामाजिक दृष्टि से जो हेय समझे जाते हैं, उनको आरक्षण प्रदान कर दें।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, पहले विधेयक तो प्रस्तुत करें। चर्चा बाद में आयेगी।

श्री अधिष्ठाता—

डाक्टर राकेश चतुर्वेदी जी, पहले आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

---

†दिनांक 17 मई, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मेरी एक वैधानिक आपत्ति है। पहले तो यह कि डा० राकेश चतुर्वेदी ने अपना प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया और अपने विचार व्यक्त करना प्रारम्भ कर दिया। क्या यह नियमों की अवहेलना नहीं है ? दूसरा निवेदन यह है कि इनका जो प्रस्ताव है उसमें आरक्षण सम्बन्धी नीति की भी चर्चा होगी जिसके बारे में अपील सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन है। जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो क्या इस पर इस सदन में चर्चा हो सकती है ?

श्री अधिष्ठाता—

उनको अपना प्रस्ताव पेश करना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला विचाराधीन नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं मान सकता हूं।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश जाति प्रथा उन्मूलन विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए अपने चन्द ख्यालात का इजहार करना चाहता हूं। बीच में शम्भूनाथ चौधरी ने इसकी मुखालिफत किया और मैं जानता था कि वे इसके खिलाफ कुछ न कुछ कहेंगे, इसलिये मुझे भी कुछ न कुछ कहना चाहिए था। जब मैं जाति प्रथा उन्मूलन विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं तो जो इसकी मंशा है वह स्पष्ट है। मेरा मन्तव्य यही है कि उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान में जाति नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सदन में बैठे हुए सभी सदस्य मेरी इस बात की ताइद करेंगे कि जाति प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाय, जाति बिरादरी का भेदभाव मिटा दिया जाय और नफरत की दीवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाय। इसी पुनीत मन्शा को लेकर मैंने इस विधेयक को प्रस्तुत करना उचित समझा। मेरी यह भी धारणा है कि जहाँ कहीं भी जाति के बिरादरी के आधार पर कार्यकलाप सम्पन्न किये जाते हैं, चाहे वह किसी वर्ग विशेष को उत्साहित करने के लिए या उनकी तरक्की के लिए, नौकरियों में आरक्षण देने के लिए, इस प्रकार का चाहे जो भी कार्य किया जाय जो जाति बिरादरी में भेदभाव उत्पन्न करे और इसके लिए सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य मेरे विचार से जाति बिरादरी को बढ़ावा देना और उस भावना को उद्वेलित करना है। विधेयक की मन्शा साफ है। हमारे नाम के आगे से चतुर्वेदी हटे, चौधरी साहब के नाम से चौधरी हटे, वर्मा के नाम के आगे से वर्मा हटे।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जितने भी संस्थान है चाहे वे शिक्षा संस्थाएं हों, चाहे अन्य संस्थान हों, कोई भी ऐसी संस्था न रहे जिससे जाति-बिरादरी या फिरकेवाराना बू आये। विधेयक को प्रस्तुत करते हुए मैं यह भी मन्शा व्यक्त करना चाहता हूं। अभी बड़े-बड़े नारे लगाये गये है जब वर्तमान नेता सदन का चुनाव हो रहा था कि हम साम्प्रदायिकता के खिलाफ निरन्तर संघर्ष करते रहेंगे। हम इसके द्वारा साम्प्रदायिकता को किसी सीमा तक समाप्त कर देंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप साम्प्रदायिक तत्वों को, जो भी तत्व हैं, जातितत्व में समावेश करते रहेंगे, और उसके आधार पर जब तक कार्य-प्रणाली संचालित करते रहेंगे, साम्प्रदायिकता को खत्म करने की बात करना बेकार होगी। बड़े आश्चर्य की बात है, अभी अब हमारे मुख्य मंत्री जी नेतापद के चुनाव के अखाड़े में थे तो अखबारों में पढ़ने को मिला कि माननीय नेता सदन बनिया नहीं तेली है और हिन्दुस्तान के एक बड़े नेता ने इस बात को कहा तो मुझे ऐसा लगा कि हिन्दुस्तान में जाति प्रथा की जड़े गहरी होती जा रही है।

मैं फिर कह दूं हमारा आपका सबका अनुभव है, हम अपने चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं और जाति के आधार पर और फिरकापरस्ती के आधार पर वोटों का बंटवारा होता है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। मेरी यह भी मंशा है कि जो हमने सपना देखा था गाँधी जी की क्रान्ति के साथ, जय प्रकाश जी की क्रान्ति के साथ और लोहियाजी की क्रान्ति के साथ, उसमें निश्चित

[डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश']

रूप से हमें जातियों को समाप्त करना था लेकिन जो भी प्रक्रिया चलती रही है वह बढ़ती ही गई है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संविधान निश्चित रूप से हमारे देश का सर्वोच्च कानून है लेकिन आखिर में इस विधेयक पर विचार प्रस्तुत करते हुए मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि संविधान के अन्तर्गत जो भी धारायें हैं, उन धाराओं का थोड़ा समावेश मैंने इसमें किया है कि कहीं भी जाति और रंग का भेद नहीं किया जाएगा और समता की बात की जाएगी। तो क्या किसी के लिए जाति के आधार पर ही सारी की सारी कार्य प्रणाली संचालित करके हम दलित लोगों को क्या आगे बढ़ा सकते हैं ?

जब हम कुछ विशेष जातियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारे देश में कुछ ऐसे रहे हैं कि उन पेशों को करने वाले कुछ विशेष जातियों के लोग रहे हैं और उनको विशेष रूप से पीड़ित रखा गया है और आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिये भंगी की एक जाति है जिसे निश्चित रूप से हमारे समाज में हेय समझा जाता है। वैश्यायें हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर वे भी हमारी आपकी बहू, बेटियाँ है श्रीमन्, सामाजिक रूप से वे एक हेय पेशा करती हैं। रिक्शे वाले हैं जो कि इन्सान होते हुए भी जानवर बन गये हैं और हेय समझे जाते हैं। निश्चित रूप से उनको उठाने का हमें प्रयास करना चाहिए लेकिन यह जाति के आधार पर नहीं होना चाहिये। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहाँ पर सामाजिक हेयता की बात है, वहाँ पर सामाजिक हेयता की दृष्टि से मैं यह मानने को तैयार नहीं हो पाया कि जिनको हमने अपना नेता माना, श्री चौधरी जी, श्री वर्मा जी, यह आज बैकवर्ड हो गए और मैं उनके पीछे-पीछे चल रहा था तो मैं फारवर्ड हो गया, यह बात हमारी समझ में नहीं आई। संविधान के अन्तर्गत कालेलकर कमीशन बनाया गया था। अभी हमारे नेता सदन ने भी कुछ घोषणायें कर दी आरक्षण नीति को लेकर और मैं खामोश रहा। लेकिन श्रीमन्, दुख इस बात का होता है कि हमारे नेता सदन किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आरक्षण नीति के विरुद्ध अगर किसी ने कोई आवाज उठाई तो उसको चकनाचूर कर दिया जाएगा। जब इस प्रकार से हिंसात्मक भाषा का प्रयोग किया जाने लगे तो हमें लगता है कि हमारे माननीय नेता सदन के दिल में कहीं न कहीं कोई चोर छिपा हुआ है।

श्रीमन्, किसी गरीब को केवल इसलिए कोई सुविधा देने से वंचित कर दिया जाए क्योंकि वह किसी विशेष उच्च जाति में पैदा हुआ है, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मैं आज भी इस बात को कहने के लिये तैयार हूं कि लोक सभा ने अभी इसे नहीं किया है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए अलग-अलग आरक्षण कर रखा है। इस सवाल पर हुआ कि यदि काका कालेलकर की रिपोर्ट को जिसमें 121 जातियाँ दी गयी हैं लागू किया गया होता तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, अन्य कोई जाति कायम नहीं होती। गरीबी के आधार पर व्यवस्था की गयी थी, लेकिन मान्यवर आप उसे नहीं कर सके। 1958 में एक लिस्ट वोट के लिए तैयार की गयी थी, ताकि पिछड़ी जाति के नाम पर ठेकेदार बन जायेंगे, वोटों के सौदागर बन जायेंगे। 1905 में जो साम्प्रदायिकता की नीति थी जिसमें कुछ लोगों ने साम्प्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व किया था उसी नीति का अनुसरण करते हुये हमारे देश के रहनुमाओं ने इस देश की जनता के साथ, ऐतिहासिक गद्दारी तो नहीं कहूंगा—गैर वफादारी की। वोट के सौदागर बन गये, कुछ जातियों के ठेकेदार बन गये, मैं अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि काका कालेलकर की संस्तुतियों को सामने रख कर पुनर्विचार करें, कोई तकलीफ नहीं होगी। छेदी लाल साथी कमीशन उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया था, उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पर एक बार विचार किया जाता लेकिन आज तक सदन के सामने वह रिपोर्ट नहीं आई। वर्मा जी को याद होगा, उन्होंने रिपोर्ट देखी है, छेदी लाल साथी कमीशन ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में यादव और कुरमियों का पिछड़ा वर्ग मत रखिये और हमारे मुख्य मंत्री राष्ट्रविरोधी कहते है उनको जो आरक्षण की बात करते हैं।

यहाँ पर चर्चा कर दी है हाई कोर्ट की। चौधरी साहब हाई कोर्ट न्यायालय का सम्मान करना चाहिए न्यायपालिका ने एक फैसला कर दिया था और उत्तर प्रदेश की सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए था। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। उन लोगों ने क्या गुनाह किया है जो अनारक्षित है, शोषित हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनका खलिहान खत्म हो चुका है, उनका क्या अपराध है। फैसला आपकी सरकार मान लेती तो यह खुशी की बात हुई होती कि उच्च न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में गये हैं। मैं न्यायपालिका के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर है कि इस देश में जिसको भी कानून की जानकारी होगी, जो न्याय-विद-होगा मैं नहीं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा लेकिन मैं महसूस करता हूं—उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करेगा। मैं न्यायालय पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूं आप निश्चित रूप से चौधरी साहब मुझसे कुछ कहलाना चाहते थे, मैं कोई आक्षेप करूंगा हमारी सरकार इस विषय पर इसलिए कुछ नहीं कहना चाहती है क्योंकि उच्चतम न्यायालय में इस प्रकार का फैसला होना है, वहाँ पर विचार के लिए वाद प्रस्तुत है।

*श्री शम्भूनाथ (जिला बलिया)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपके समक्ष एक प्राइवेट मेम्बर का बिल है उसको आप देखें कि उसका परव्यू कहां तक है। अगर कोई मेम्बर उसके नाम पर उसके बाहर जाने की कोशिश करता हो और कोई अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हो तो मैं आप से यह व्यवस्था चाहूंगा कि उसको आप मना कीजिए। दूसरी तरफ हमारे सामने सदन के नेता पर आक्षेप किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि किसी दल के लिए यह नहीं कहा गया। माननीय नेता सदन ने आरक्षण का विरोध करने वाले जो हिंसा फैलाने वाले और अराजकतावादी तत्व हैं उनको राष्ट्र विरोधी कहा है। आरक्षण के खिलाफ . . .

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अपनी बात उन्होंने कह दी है आप और जोरदार शब्दों में कहियेगा। माननीय राकेश जी इस बात का ध्यान जरूर रखें, जैसा शम्भूनाथ जी ने संकेत किया, आप जाति तोड़ो सिर्फ इतने तक ही सीमित रखें उसके नाम पर तरह-तरह की बातें न कहें।

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

हमारे आदरणीय सदस्य जी हैं वह जरा इसको पढ़ लें और जो धारायें इसमें हैं उन्हीं तक मैंने अपने को सीमित रखा है और कुछ सुझाव उनके सम्बन्ध में दे रहा हूं। यह कहा गया कि मैं आक्षेप लगा रहा हूं तो बहुत सफाई के साथ मैं यह कह दूं कि हमारा आक्षेप किसी पर नहीं है। जहाँ तक हिंसा की बात आती है हिंसा और अहिंसा की परिभाषा मैं वही करता हूं जो महात्मा गाँधी करते थे "न्योनाइन वायलेंस इज नान वायलेन्स।" सन् 1942 में जो हुआ उसमें हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है इस पर अधिक कहूंगा तो चर्चा का विषय बन जायगा और अपने को उसी मुद्दे तक महदूद रखूंगा ताकि किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे, आक्षेप का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यह भी अजीबोगरीब बात है अगर मैं कुछ कहूं तो हमें हिंसक कह दिया जाय, आरक्षण विरोधी कहा जाय वर्ना हम कुछ न कहें। आप आरक्षित भी रहें, आप माल पुवे भी खावें, मौज करें और आरक्षण नीति में जो थोड़ी सी गड़बड़ी है उस सम्बन्ध में अगर मैं कहूं कि कुछ तब्दीली होनी चाहिये तो आप चिल्लायें यह आक्षेप है।

मैं फिर कह दूं 5 हजार साल से इस देश में जात-पाँत चली जा रही है। मैं नहीं कहता कि इसी रूप में वह रहे लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि इस समय हमारे नाम के आगे जो सरनेम "चतुर्वेदी" "चौधरी" लगे हुए हैं वे कैसे उत्पन्न हो गये। 5 हजार साल पहले से ये चले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश']

आ रहे हैं या बीच के जमाने में पैदा हो गये। ये सब वर्णसंकरता के प्रतीक हैं। पता नहीं कितने लोग इस देश में आये और सब समुद्र में समाते गये उसकी अनन्त गहराई में। मैं बहुत ज्यादा सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जाति प्रथा आज हमारे देश में है—चार हजार जातियाँ तथा उप जातियाँ बन गयी हैं ऐसा पहले कभी हमारे देश में नहीं था। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि शूद्र की जैसी परिभाषा आज की जाती है ऐसी परिभाषा इस देश की संस्कृति तथा इतिहास में, इस देश के समाज में कभी नहीं रही जिस प्रकार की परिभाषा हमारे चन्द राजनैतिक नेताओं में दिल्ली की हुकूमत चलाते हुए बोट की सौदागिरी करने के लिये गढ़ कर रखी है .....

श्री अधिष्ठाता—

जरा संक्षिप्त करके बोलिये।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

संक्षेप में ही बोलूंगा। (व्यवधान) में संक्षेप में यही कहूंगा कि जब मैं यह विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं और जो भी माननीय सदस्य अपने विचार प्रस्तुत करें वे जरा विधेयक को पूरा-पूरा देख लें। मैं यह भी उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरी केवल एक मंशा है कि किसी तरह मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी अथवा "चौधरी" जो लगा हुआ है वह हटा दिया जाय और उसके बाद समता इस देश व प्रदेश में चले।

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मेरे भाई ने एक ऐसा प्रस्ताव इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया है जिसे पढ़ कर मुझे अत्यन्त दुख हुआ है। मेरे भाई को यह मालूम नहीं है कि वे किस मातृ-भूमि में पैदा हुये हैं। उनको ज्ञान होना चाहिए था कि यह मातृ-भूमि उन वीरों की है जो वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध है जिन्होंने वेद, उपनिषद् और शास्त्र लिखे तथा धर्म का विकास किया। अगर मेरे भाई को यह बात पता होती तो ये अपने नाम के आगे "चतुर्वेदी" न लगाते। जब "चतुर्वेदी" उनके नाम के आगे लग गया तो अपने आप ही इन्होंने पार्टीशन कर दिया। सत्यवती वेद-व्यास और शकुन्तला के भरत कैसे पैदा हुये थे, सदन में बतायें। महाभारत पढ़िये, हिन्दू धर्म को पढ़िये तब आपको ज्ञान होगा। इसका नाम भारतवर्ष है। चमारों ने वेद उपनिषद् तथा शास्त्र लिखे और भंगियों ने रामायण लिखी जब तुम में दिमाग नहीं रहा तो इन वीरों ने अपना बलिदान किया। अम्बेदकर ने संविधान बनाया। आप सभी और हम सभी उसके अनुयायी और सहयोगी थे और उसी के द्वारा आज ये नाम पड़े हैं। आदरणीय पूज्य स्वामी दयानन्द ने उनसे ज्ञान लिया, तिलक ने ज्ञान लिया, क्या वे ब्राह्मण नहीं थे, चतुर्वेदी ब्राहमण थे। यही नहीं गुरुकुल और आश्रम खुले।

आज आप उनके लिये आरक्षण का विरोध करने की हिम्मत करते हैं। यह सब को मालूम है कि क्यों इसका विरोध आप आज कर रहे हैं। कहीं बसों में आग लगा रहे हैं, कहीं तोड़ फोड़ की कार्यवाही करा रहे हैं, कहीं हड़ताल करा रहे हैं और इस तरह से आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इसकी आज आवश्यकता क्यों पड़ी। जो गरीब है, हरिजन हैं, पिछड़े वर्ग के लोग है, उनका शोषण हो रहा था। मैं यह नहीं कहता कि पिछड़े वर्ग में शोषण करने वाले नहीं है। आज देश को उनकी आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि इन गरीबों, हरिजनों और निर्धन वर्ग के लोगों के लीडर बनकर उनके वोट की आज जरूरत है। आज सदन में उनका बहुमत है। भारतीयों ने अपना ज्ञान विदेशों को दिया है यही आपने किया है और आपसे आशा करेंगे भी क्या? जातिवाद और आरक्षण का विरोध करते हुये ये लोग देश को लूटते रहे तो ये कैसे सह सकते हैं। कांग्रेस गवर्नमेन्ट इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आरक्षण को इतने दिनों तक पूरा न कर सकी और आय दिन इसी आरक्षण के नाम पर हर जिले में झगड़ा फिसाद करते हैं। आज हम देखते हैं कि ये जातिवाद मिटाने के बजाय उसे बढ़ा रहे हैं। हमारे पूज्य बाबू बनारसी दास जैसे पुराने राजनीतिज्ञ जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिये उनके खिलाफ उपद्रव कर रहे हैं। आरक्षण करना पड़ेगा क्योंकि वह सतयुग, द्वापर, त्रेता सब में हुआ है। श्री राम चन्द्र जी की हनुमान जी ने कितनी सहायता सेवा की और जब वह लौट कर राम चन्द्र की सेवा में आये उन्होंने राम चन्द्र जी से सीना खोल कर दिखा दिया और कहा कि---

बांह छुड़ाये जात हो निर्बल जान मोह,
ह्रिरदय से जब आओगे तब जानूंगा तोंय।

आप आज आरक्षण का विरोध करते हों। हम नहीं चाहते हैं कि आरक्षण हो लेकिन अपने को पहले संभालो, उन्हें अपना भाई समझे। पहले अपने नाम से चतुर्वेदी, वर्मा, शर्मा मिटाओ पता नहीं क्या-क्या नाम हैं सब तो मैं जानता भी नहीं हूं उसे आप पहले मिटाओ और तब आरक्षण समाप्त कीजिये। एक भारतीय नाम रखिये जैसे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में था जो भी उस समय था वह भारतीय था सब को अध्ययन का अधिकार था सब बराबर होते थे। रामायण में लिखा है उसको पढ़िये। किसको उसमें शुद्र माना है। आप चतुर्वेदी बन गये। यही नहीं श्री रविदास जी को मीराबाई ने गुरू माना है उनको पूजा जाता है, राणा प्रताप के महल में सर्व प्रथम उनका मंदिर है। उनकी ब्राह्मणों ने परीक्षा ली उसमें वह सही उतरे फिर भी उनको चमार कहा। बाबू जगजीवन राम के साथ देख लीजिये, पूज्य चौधरी चरण सिंह जैसा आज तक कोई ला और कानून बनाने वाला नहीं है लेकिन आप की दृष्टि में वह फिर भी जाट हैं। आपने हर चीज पर जात पात को जोड़ा है, उसके बीज बोये हैं अगर नहीं बोये हों तो आज ये काटने नहीं पड़ते। आरक्षण अनिवार्य है और वह रहेगा चाहे वह हरिजनों का हो या पिछड़ी जाति का हो या कोई हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बात को जरा समझिये और इस प्रस्ताव को वापस लीजिये।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)–

मान्यवर, माननीय हरी सिंह के योग्यतापूर्ण भाषण के बाद मेरी बात नकारखाने में तूती की आवाज की तरह लगेगी। मैं इस विधेयक को पढ़ रहा था जो कि माननीय डा० चतुर्वेदी ने रखा है उसको जितना भी पढ़ता हूं उतना ही भ्रमित होता हूं। मैं कोशिश करता था कि किसी तरह से सहमत हो जाऊं, मैंने कोशिश की कि क्या उद्देश्य है और क्या वह लाये हैं समझ में नहीं आता। मुझे उद्देश्य यह लगता है.... .....

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

सोने के घड़े में जहर है।

श्री श्यामधर मिश्र—

जो भी आपको लगता हो वह आप बतलायेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण की नीति को वह अपने ढंग से प्रतिपादित करना चाहते हैं उसे सीधा न पकड़ कर वह चाहते हैं कि जाति ही हटा दो। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि हटा दिया, शर्मा जी आपके नाम से हटा दिया, वर्मा जी हटा दिया, हरी सिंह जी ने नाम से सिंह हटा दिया लेकिन आरिफ साहब के नाम से अली कैसे हटायेंगे क्योंकि वह मुसलमान तो रहेंगे ही फिर भी मुन्शी जी रहेंगे ही चाहे श्रीवास्तव निकाल भी दें और हम जान जायेंगे कि ये मुंशी जी हैं मुन्शी जी की कला इनको मालूम है, पंडित जी की कला उनको मालूम है। तो समस्या जाति को हटाने से दूर नहीं होगी, बल्कि जातिवाद का जो दिमाग बना हुआ है, उसको निकालने पर विचार करना होगा। इस देश में केवल एक जातिवाद कलंक नहीं है। मैं कहना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम धर मिश्र]
चाहता हूं कि इस देश में इससे कहीं बड़े कलंक वर्तमान हैं। देशों का बंटवारा---हिन्दुस्तान व अमेरिका, भाषाओं का बंटवारा यानी भाषाओं की दीवाल, धर्मों की दीवाल- हिन्दू, मुसलमान व ईसाई और हिन्दू धर्म में ही दीवाल, बौद्ध और जैन और तरह-तरह की तमाम बातें हैं। तो आप बताएं कि आप कहां तक एकीकरण इस तरह से बिल लाकर करेंगे। भाषाओं में दीवाल है---हिन्दी, अंग्रजी और उर्दू। नारायण जी यहां नहीं हैं, वह तो ऐसी भाषा बोलते हैं, जो यद्यपि हमारी तरफ की भाषा है, सुन्दर भी लगती है, लेकिन औरों के लिए कितनी अटपटी है।

तो इस देश में 300--600 भाषाएं हैं। तो इस बिल को लाने से दुनियां में जो पांच हजार वर्षों में अनेक दीवालें बनी हैं---मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक, वे कैसे दूर होंगी। बौद्धिक जाग्रकी को मानसिक हिन्दू, मुसलमान को और हिन्दुओं में भी वह यादव हैं वह ब्राह्मण हैं आदि-आदि। इन बातों को इस बिल के द्वारा दूर किया जा सकता है तो आज ही दूर कीजिए, हम भी आप के साथ हाथ उठायेंगे। लेकिन इस तरह से कतई नहीं होगा। आप बताएं किस देश में जाति प्रथा नहीं है। नहीं है तो कैनेडी व निक्सन क्या हैं। रोमन-कैथोलिक की प्रथा है। गोरे और काले क्या हैं, वह भी विभेद है। तो कहने का मतलब यह है कि मानसिक योग्यता, मानसिक सन्तुलन और मानसिक एकता एक नहीं हो सकती है। केवल सवाल अवसर का हो सकता है। मंत्री बड़े हैं, हम छोटे हैं, उनको बड़े अवसर हैं, हमें छोटे हैं। मैं श्रीवास्तव (हरिकृष्ण श्रीवास्तव--मंत्री) की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता हूं, बैठ जाऊं तो मुझे निकलवा सकते हैं, क्योंकि हम अयोग्य हैं और वह योग्य हैं। और वह भी नहीं बैठ सकते हैं, बिना शपथ लिए हुए। तो इस देश में सदियों से जो नियम और मान्यताएं चली आ रही हैं, उसको आप इस तरह से नहीं तोड़ सकते हैं। हरी सिंह जी ने जो वेद--पुराण की बात कही, उन्होंने तो तमाम बातें सिखाई हैं, उनमें से एक बात को जरूर सिखाया है। इन धर्मों ने ही आदमी को आदमी से बांटा है, हिन्दू को हिन्दू से और मुसलमान को मुसलमान से बांटा है। ठाकुर को ब्राह्मण से, मुंशी को बनिया से और इसी तरह के तमाम बंटवारे किये हैं।

श्री हरी सिंह--
यह उन्होंने नहीं बांटा है, आपने अपने स्वार्थ के लिए इसे किया है।

श्री श्याम धर मिश्र---
आप चिन्तित न हों, मैं अपने ढंग से बोल सकता हूं। मेरा दिमाग और मेरी आवाज मेरी होगी। यह विधेयक जो लाया गया है, इसके पीछे दिमाग कुछ है, भाषा कुछ है, विचार कुछ है और ईरादे कुछ हैं। तो पहले मेरा निवेदन डाक्टर चतुर्वेदी जी से यह है कि वह सबका सन्तुलन करके, इसे वापस करके फिर से बिल ले आवें। सीधे ही बिल ले आवें तो अच्छा हो। (व्यवधान) उनमें योग्यता कम हो तो चौधरी शम्भूनाथ जी से सलाह ले लें। यह बिना मंत्री ही मंत्री पद पर बैठे हुये हैं और शायद मंत्री होने वाले भी हैं। हमारी शुभ कामना है, उनके साथ। तो मैं यह कह रहा था, कि राकेश जी भी आ गये। मैं यह कह रहा हूं कि आरक्षण के सम्बन्ध में अगर कोई बात करनी है तो आप देखें उस पर विवाद हो और लोगों को अपनी राय देने का अवसर मिले। उस विवाद को इस बिल में नहीं लाना चाहिए। उस पर सीधा विवाद होना चाहिए। जो माननीय सदस्य अपने सुझाव दें उन पर आप गौर करें और आप तब अपना निर्णय लें। आप निर्णय चाहे जो कुछ भी करें मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि जो मैं कहता हूं वही सही है। आप अपना निर्णय दें। हमारे नाम के सामने से मिश्र हटा दिया जाये राकेश जी के नाम के समाने से चतर्वेदी हटा दिया जाये, आप गजट कर दें और जायेगा लेकिन क्या मान्यवर इससे समस्या का हल हो जायेगा। समस्या का हल कतई नहीं होगा। समस्या जहां की तहां ही रह जायगी। जो बिल ले आये हैं वह बहुत ही सुन्दर है। आप भ्रमित हैं आप

अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसमें केवल हिन्दुस्तान का ही इनवाल्वमेन्ट नहीं है। यह दुनियां की कहानी है। जाति प्रथा को हटाकर आर्थिक और जो कुरीतियां हैं और जो आर्थिक व्यसन है उसको आप हटा नहीं सकते हैं। सामाजिक वातावरण आपको बनाना होगा। आप नियम बनावें। आप इसको चाहें स्वीकार करें या न करें। आप अपने मंत्री से कहिए कि इसमें परिवर्तन लावें। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लावें। जाति रहे लेकिन जातिवाद का जो विष घुसा हुआ है वह हटना चाहिये, उसको समाप्त होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि जो राकेश जी ने पेश किया है उसको वह वापस ले लें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। डा0 अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' ने यह प्रस्ताव दिया है कि उत्तर प्रदेश में जाति प्रथा उन्मूलन विधेयक, 1978 पर विचार किया जाये। मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं। माननीय राकेश जी ने कुछ संविधान की चर्चा की है। मान्यवर, राकेश जी बड़े विद्वान हैं और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि संविधान को उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। मान्यवर, अनटचैबिलिटी ऐक्ट बना हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 को आप देखें। हिन्दुस्तान में जो वीकर सेक्शन हैं और जो पिछड़ी जातियां हैं उनका आरक्षण किया जाये। उसमें जो आधार माना है वह है सामाजिक और शैक्षणिक। माननीय राकेश जी से कहना चाहता हूं कि इसके दो सिद्धान्त हैं एक तो सामाजिक और दूसरा शैक्षणिक। आरक्षण इसी आधार पर किया जाना चाहिए। किस प्रकार से भेद किया जायेगा कि किसका आरक्षण किया जाये और किसका न किया जाये। इन दोनों को ही संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में व्याख्या कर दी गयी है। संविधान के अनुसार ही काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित हुआ था। पूर्व इसके कि मैं इस आयोग और संविधान के बारे में कुछ निवेदन करूं, मेरा कहना है कि दक्षिणी भारतवर्ष में आरक्षण की नीति कब से लागू है और जैसा कि आपने व्याख्या की उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आरक्षण क्या है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको उठक-बैठक या खान-पान में कहीं समानता दिखायी देती है? क्या ब्राह्मणों के साथ भंगी बैठ सकता है? संविधान में दिया हुआ है कि अनटचैबिलिटी नहीं होगी लेकिन आप एक दिन भंगी के घर पर जाइये और उसके साथ बैठिए और उसका पेशा कीजिए। तब आप विषमता को खत्म कर सकते हैं। उठक-बैठक का जहां तक प्रश्न है ब्राह्मण सिरहाने की ओर बैठता है और जो छोटी जातियों के लोग हैं वे या तो पांयते या नीचे बैठते हैं। यह हिन्दू समाज में और मुस्लिम समाज में है। बोल-चाल का जहां तक सम्बन्ध है एक ब्राह्मण को पंडित जी कह कर पुकारा जाता है लेकिन अगर एक व्यक्ति पिछड़ी जाति या हरिजन जाति का है भले ही उसकी आयु 80 की क्यों न हो, उसको तू-तड़ाक से पुकारा जाता है। तो बोल-चाल में भी कहीं पर समानता है? कहीं भी हमारे देश में समानता विद्यमान नहीं है। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए।

जहां तक आप आरक्षण की बात करते हैं, आपका तो आरक्षण वेद और पुराण के समय से चला आ रहा है, हमारा तो आरक्षण नहीं है, हरिजन और अछूतों का केवल संरक्षण है, कुछ काल अथवा समय के लिए। माननीय चतुर्वेदी जी हिन्दी के बड़े विद्वान हैं। आप समझ लें कि संरक्षण और आरक्षण का क्या अर्थ है। आरक्षण का जहां तक सम्बन्ध है मंदिर आरक्षित हैं ब्राह्मणों के लिए उसका पुजारी कोई बैकवर्ड जाति का नहीं बन सकता है। यह आरक्षण है जो इतने समय से चला आ रहा है। हमारा तो केवल संरक्षण था। जिस चुनाव घोषणा पत्र पर 1977 में आप जीत कर यहाँ पर आये, जिसके आधार पर लोक सभा और उत्तर प्रदेश की विधान सभा बनी, उसके घोषणा-पत्र की पृष्ठ 34 में दिया हुआ है कि जनता

[श्री रघुबर दयाल वर्मा]

पार्टी काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश के आधार पर पिछड़े वर्ग को 25–33 प्रतिशत तक नौकरियाँ आरक्षित की जायंगी। जनता पार्टी की इस घोषणा के बाद भी आज हमारे देश में पिछड़े वर्ग के नाम से भी मंडल की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं अन्य स्थानों पर भी जनता पार्टी धोखा दे रही है। इस संरक्षण के मामले में भी हमारे साथ अन्याय और धोखा किया जा रहा है। इसके पक्ष में मैं अब कुछ दलील देना चाहता हूं। दक्षिणी भारतवर्ष में जो भी अभी शासन चल रहे हैं वे कांग्रेस के भी हैं, तामिलनाडु में ए0 डी0 एम0 के0 का है और इसी प्रकार से दक्षिण पंथी कम्युनिस्टों का भी शासन है। तो कर्नाटक में 38 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है जहाँ पर कांग्रेस का शासन है, आन्ध्र में 22 प्रतिशत आरक्षण है। तामिलनाडु में 31 प्रतिशत है और केरल में 38 प्रतिशत आरक्षण है। तो मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आरक्षण के सम्बन्ध में जिसे मैं अपनी भाषा में संरक्षण कहता हूं उसका केवल उत्तरी भारत में विरोध है। हमारे देश में दो प्रदेशों के मुख्य मंत्री पिछड़ी जाति के हुये और उसी के कारण उत्तरी भारत में सारी जगह आग आप जैसे व्यक्तियों ने भड़कायी। मुझे मान्यवर, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग जो आरक्षण के लिये आन्दोलन किया करते थे विरोध पक्ष में बैठते थे, आज वही लोग जब उसके विरोध में ऐसी बातें करते हैं जिसे सुनकर आश्चर्य होता है और दुख होता है। आज दक्षिणी भारत में देखिये, वहाँ पर आरक्षण के विरोध में कोई आवाज नहीं उठ रही है, केवल उत्तरी भारत में ही उसका विरोध हो रहा है। इस 1977 के चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार ही हमारे यहाँ आरक्षण किया गया, किन्तु फिर भी इसका विरोध किया जा रहा है। एक बवन्डर उठाया गया है। जो लोग आर्थिक आधार की बात करते हैं वे संविधान की पीठ में छुरा भोंकते हैं। हिन्दुस्तान में जिनकी आबादी 80 प्रतिशत है, आप उनको उनका हक नहीं देना चाहते। मैं कहता हूं कि अब वह समय आ गया है कि कोई किसी का हक नहीं मार सकता, वह मिलेगा ही। हम किसी से भीख नहीं माँग रहे हैं, अपना हक माँग रहे हैं जिसे हम लेकर रहेंगे।

डा0 चतुर्वेदी जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी 1977–78 में पी0 सी0 एस0 का जो इम्तिहान हुआ उसमें हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। इसके लिए 60 आदमियों को लेना था। यह नीति निर्धारित हुई थी कि जिन के 548 अंक होंगे उन तक को बुलाया जायेगा और वही लोग परीक्षा में पास माने जायेंगे। लेकिन यह कह कर कि चूंकि हाई कोर्ट का फैसला हो गया है आरक्षण के खिलाफ, ऐसे 9 पिछड़े व्यक्तियों को मेडीकल के लिये नहीं बुलाया जिनके अंक 548 के ऊपर थे। वह 9 स्थान कहा कि हम रिक्त रखे हुये हैं।

मान्यवर, यह जाति उन्मूलन विधेयक लाकर माननीय चतुर्वेदी जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं आज हमारे साथ भेदभाव की नीति नहीं चल सकती। 9 आदमियों को निर्धारित अंक से ज्यादा पाने के बाद भी नहीं बुलाया गया, इससे ज्यादा दुख की और क्या बात हो सकती है। यह विधेयक गुमराह करने के लिये ही लाया गया है। हिन्दी में चाटुकारी भाषा में इसे पेश किया गया है। संविधान के अनुसार आरक्षण की नीति हमें बनानी होगी। आप इस मामले को मामूली तरह से न समझें।

हम मान्यवर, आज यह कहना चाहते हैं कि जो लोग मछली मारने का काम करते हैं, टट्टी उठाने का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, और वह काम करते हैं जिसे आपने कभी नहीं किया, मेहरबानी करके पहले उसका आरक्षण आप ले लीजिए और हमको मंदिरों का आरक्षण दे दीजिए। मैं सफाई के साथ सारे मित्रों से कहना चाहता हूं, कब तक इनको बेवकूफ बनाकर रखेंगे। यह अब चलने वाला नहीं है। मेरी यह घोर आपत्ति है। कि माननीय चतुर्वेदी जी अपने इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

*श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)---

मान्यवर, आपने मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में अपनी राय जाहिर करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय चतुर्वेदी जी का यह प्रस्ताव जो है, देखने में मालूम होता है, यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। अगर जाति दोष न होता तो हम भी दुनियाँ में अन्य देशों की तरह से तरक्की के उस शिखर पर हम पहुंचे होते, जिस पर आज अन्य देश हैं। लेकिन अफसोस है कि हमारे प्रदेश की जाति प्रथा जो है इतनी गहराई में पहुंच गयी है कि जिसका उन्मूलन करना कोई आसान बात नहीं है। आज वर्ग संघर्ष का नारा दिया जाता है। पैसे के आधार पर जाति ऊपर होती तो लड़ाई में आसानी होती। हमारे मुल्क में दो ही वर्ग है, एक धनी और एक गरीब। अमीर और गरीब दुनियाँ के और मुल्कों में भी हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में अमीर और गरीब नाम की कोई चीज है ही नहीं। गरीब एक ऊंची जाति का आदमी हो सकता है और धनी आदमी पिछड़ी जाति का भी हो सकता है। साधारण तौर से एक ऊंची जाति का व्यक्ति नीची जाति से उठक-बैठक का भी संबंध रखने को तैयार नहीं है। आज शैक्षणिक, राजनैतिक दृष्टि से कितने नीची जाति के हैं। आज 15 प्रतिशत का आरक्षण निचली जाति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इस पर तमाम आन्दोलन चल रहे हैं। माननीय चतुर्वेदी जी लोगों ने आरक्षण के नाम पर आन्दोलन का संचालन किया है, करोड़ों रुपये की क्षति आरक्षण के नाम पर हुई है और यह जायज मामला है।

ये आरक्षण विरोधी लोगों को राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का मौलिक अधिकार रहता है और है। अगर इनको कह दिया जाय कि ये राष्ट्र विरोधी, तो इनको बहुत ही दुःख होता है। जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, जब तक आरक्षण नहीं था, आजादी के पहले, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रथम श्रेणी की नौकरियों में अनुसूचित जाति का कोई भी आदमी नहीं था। उस समय पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या जो थी, 3 प्रतिशत थी। पिछले 32 साल के इस आजादी के समय में ऊंची जाति के लोग ऊंची नौकरियों में, प्रथम श्रेणी की नौकरियों में लिये जाते थे। आज पिछड़ी जाति का प्रतिशत 1.3 प्रतिशत रह गया है। मान्यवर, यह है सीधा नक्शा। मान्यवर, आप कहीं भी देखिये, प्रथम श्रेणी की नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोग नहीं हैं। हरिजनों का आरक्षण 20 प्रतिशत है, लेकिन उनका इतना आरक्षण नहीं होता है। सरकार की ऊंची नौकरियों में ऊंची जाति के लगभग 96–97 प्रतिशत लोग लिये जाते हैं। यह आरक्षण से कोई चीज पूरी होगी या नहीं यह संदिग्ध है क्योंकि पिछले 32 साल में अगर हरिजनों का कोटा पूरा हो गया होता तब उस पर यकीन किया जा सकता था।

आज पिछड़े वर्गों की जो दुर्दशा है, अभी वर्मा जी ने कहा पी0 सी0 ए स0 सेवाओं में, प्रशासनिक सेवाओं में जिन व्यक्तियों ने 547 से 587 तक नम्बर पाये हैं उनकी नियुक्ति रोक दी गयी है और ऊंची जाति के आदमी जिसका नम्बर 548 है, को बुलाया जा रहा है। मान्यवर, जब इस तरह का अन्याय हो रहा है और ऊंची जाति के लोग अन्याय करेंगे पिछड़ी जातियों के साथ तो कैसे काम चलेगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो भ्रष्टाचार का बोल बाला है, दिन-प्रति-दिन भ्रष्टाचार बढ़ना जा रहा है तो मैं तो क्या ये योग्य लोग हैं जो प्रशासन में रह कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में मान्यवर, यह इसे बरदाश्त नहीं करते। इनका कहना है कि सेना में अगर पिछड़ी जाति के लोग पहुंच जायेंगे तो उनमें कायरता आ जायेगी, वे निकम्मे हो जायेंगे। इसी प्रकार ये लोग इसका विरोध करते हैं जिसका परिणाम यह है कि आई0 ए0 एस0 में जो लोग हैं उनमें आज 99 प्रतिशत लोग ऊंची जाति के हैं। वे लोग योग्य हैं, काबिल हैं और उनकी काबिलियत का सार्टिफिकेट उनके पास है।

मान्यवर, मैं 2 मिनट का समय और चाहता हूं इसलिए कि आज सामाजिक व्यवस्था पर विचार करने के लिये ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए कि जो समाज के अन्दर जातिवाद है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू राम वर्मा]

उसको दूर किया जाये। भंगी और ब्राह्मण का वाद कैसे समाप्त किया जाये। मेरा मतलब ब्राह्मण से ब्राह्मण जाति से नहीं है, ब्राह्मणवाद से है। जो सवाल है वह जाति के आधार पर है उसमें बड़े और छोटे की भावना है। उसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा यह भावना केवल पिछड़े वर्गों के ही नहीं बल्कि हरिजनों में भी है क्योंकि इन जातियों में भी आपसी सहयोग नहीं है। यह ब्राह्मणवाद कैसे समाप्त किया जा सकता है समाज से, इस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए तभी हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन विधेयक पर विचार करने से पूर्व हमें चाहिए कि 100–50 सालों में जाति प्रथा उन्मूलन के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही हो सकती है तो मैं शासन से माँग करूंगा कि अन्तर्राज्यीय विवाह की अनुमति दी जाय और जो लोग अन्तर्राज्यीय विवाह करें मैं चाहता हूं कि उन्हीं लोगों को आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में जाने दिया जाये। अन्तर्राज्यीय विवाह करने वाले पिछड़ी जातियों के लोगों की जो सन्तान उत्पन्न हो वही आई० ए० एस० और पी० सी० एस० बनाये जायें। अगर इस तरह के कानून बनाये जायें तो निश्चित तौर पर जाति प्रथा का उन्मूलन हो सकता है लेकिन इस तरह का अगर कोई विधेयक बना दिया जाये तो काम नहीं चलेगा।

अन्त में मैं आपके माध्यम से माननीय चतुर्वेदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे एक योग्य विधायक हैं, सोशलिस्ट हैं.....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री बाबू राम वर्मा—

लेकिन डाक्टर लोहिया की नीतियों की व्याख्या जिस प्रकार करते हैं उससे समाज रसातल में चला जायेगा। तो मैं इस विधेयक का सख्त विरोध करता हूं।

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, डा० राकेश जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि अगर संविधान का उन्होंने अध्ययन किया होता और आर्टिकिल्स को देखा होता और संविधान की मंशा को समझते तो इस तरह का विधेयक न लाये होते। यह विधेयक जो उन्होंने प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है कि वह जाति प्रथा का उन्मूलन करना चाहते हैं मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के विधेयक से हमारे समाज में जाति प्रथा की खाई को और भी व्यापक गहराई में जाने का मौका मिलेगा। राकेश भाई किसी जमाने में डाक्टर लोहिया के आन्दोलन से बंधे हुये थे। उन्होंने जाति तोड़ो आन्दोलन चलाया और सारे देश के अन्दर एक गरमी पैदा की थी। उनके रास्ते पर चलते हुये आज इस देश में इस तरह के विधेयक की जरूरत नहीं थी। मुझे अफसोस होता है कि डा० लोहिया जैसे विद्वान साथी इस सदन में इस तरह के अनर्गल विधेयक को लाकर इस सदन का कीमती वक्त बरबाद करेंगे। मैं उनको अपनी नेक सलाह देना चाहता हूं कि यह विधेयक उनको वापस लेना चाहिये।

मान्यवर, चर्चा के दौरान कई ऐसे प्रसंग आये जिन पर बहस चल रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, संविधान मर्मज्ञों ने जो मंशा जाहिर की है, हमारे संविधान के जो आर्टिकिल्स हैं, अम्बेडकर साहब ने निर्माण किया है उसी के अन्तर्गत कालेलकर आयोग बनाया गया। उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें पिछड़े वर्ग को संरक्षण देने की बात कही गयी है। आज मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आज हमारे देश के अन्दर आप देखें तमाम लोग ऐसे रह गये जो पिछड़े हैं और जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। जनतंत्र का एक तकाजा होता है, डेमोक्रेटिक सेट अप में, जनतांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी को आगे बढ़ने का और विकसित होने का मौका मिलना चाहिये। कालेलकर साहब ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की है जनता पार्टी की सरकार ने नीतियों के लागू करने के लिये और संविधान की मंशा को पूरी करने के लिये निर्णय लिया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को राकेश जी वापस ले और जाति तोड़ो आन्दोलन जिसकी हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना की है उसमें अगुवाई करें। अच्छा होता कि इस तरह का विधेयक वह वापस लेते तो डाक्टर लोहिया का साथी होने का उनका दावा सिद्ध होता।

*श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे देश और प्रदेश में इधर दो सालों के अन्दर इतना बड़ा नंगा नाच हुआ और आज हमें यह बहस सदन में लानी पड़ी। हमें इस पर चर्चा करने में लज्जा का अनुभव होता है लेकिन मजबूरी है कि यह विषय गाँव-गाँव में बुनियादी स्तर तक पहुंच चुका है। हमारे प्रदेश के अन्दर करोड़ों जनता गाँवों में रहती है। गरीब मजदूर और सभी जातियों के लोग जो प्रेम से रह कर अपनी वंशी बजा रहे थे तो थोड़े समय में एक बहुत बड़ा जहर बोया जा रहा है जातिवाद का नाम लेकर के। मैं कहता हूं कि उन्मूलन किस विषय पर हो जब सारे हमारे कानून जातिवाद पर बन रहे हैं। ऐसे गंदे-गंदे कानून बने हैं जिसे देश और प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो जातिवाद कहाँ नहीं है, जातिवाद को प्रश्रय दिया जा रहा है, उभाड़ा जा रहा है। हमारी वर्तमान सरकार ने यही काम किया है इतने समय के अन्दर कि जातिवाद का नंगा नाच किया है अपने गंदे कानूनों के अन्दर। मैं आरक्षण के संबंध में कहना चाहता हूं। यह जो कानून आरक्षण का बना वह आर्थिक आधार पर नहीं बना है बल्कि राजनीतिक आधार पर बना है। मैं पूर्वी जिलों को जानता हूं यदि ऐसा आर्थिक कानून बना दिया जाता कि 6 एकड़ से जिनके पास कम जमीन है या कम वेतन पाने वाले लोग हैं या जो व्यापारी इनकम टैक्स नहीं देते हैं वह उस आरक्षण कानून के अन्दर आते तो अच्छा होता। इसलिये आर्थिक आधार पर आरक्षण करना चाहिये। उसमें ईमानदारी थी। लेकिन उसको राजनीतिक आधार पर बनाया जा रहा है। यह देश में अराजकता फैलाने वाली बात है। इसलिये अफसोस है। हमने जातिवाद नहीं माना है। गाँधी जी कौन थे, वह वैश्य तेली थे, लेकिन उनको सारा देश बापू कहता है और पूजता है। हर जाति के लोग उनके चरण छूते हैं। इसी तरह बाबू जगजीवन राम, हरिजन हैं लेकिन उनको बुद्धिजीवी और उच्च लोग बापू कहते हैं। श्री जय प्रकाश आज मरणासन्न अवस्था में है, उनकी कौन जाति है, लेकिन उनकी सभी पूजा करते हैं। जो जबरदस्ती किसी को कोई नहीं झुका सकता है बल्कि योग्यता के आधार पर झुका सकते हैं। यदि योग्यता है तो संसार के लोग उस व्यक्ति के चरण छुयेंगे और उसकी पूजा करेंगे। लेकिन जाति के आधार पर यह नहीं हो सकता है। इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि जातिवाद के आधार पर आर्थिक उन्मूलन नहीं हो सकता है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार का जो रवैया है और जो जातिवाद की बात पैदा कर रही है उसको कानून के जरिये बन्द करे। 30 साल के अन्दर धीरे-धीरे कितना जातियों में फर्क हुआ कि हम सभी एक साथ बैठ कर होटल में चाय और खाना खा सकते हैं। स्वराज्य की स्थापना के बाद जो नक्शा बना है और हरिजन तथा बैकवर्ड क्लास कितना आगे गया वह सभी जानते हैं लेकिन आपके गंदे कानून से आगे बढ़ रही है। इसलिये निवेदन है कि इसको आप बन्द करें और जातिवाद का नंगा नाच न करें।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

अधिष्ठाता महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हममें से कुछ संविधान बनाने वाले या कानून बनाने वाले उसको तोड़ने वाले भी हो सकते हैं। आपने देखा कि यदि संविधान के खिलाफ विधेयक की कोई धारा जाती है तो उस संविधान को क्या तोड़ा जा सकता है। श्री राकेश जी ने, जो एक विद्वान है, संविधान के अनुच्छेद 15 का जिक्र किया जिसमें कि शब्द 'कास्ट'

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्र पति यादव]

लिखा गया है, उसकी व्याख्या है। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि विशेष परिस्थितियों में यह आपका विधेयक पास हो जाता है तो क्या संविधान का अनुच्छेद 15 समाप्त हो जायेगा हमारे साथियों को जानने के लिये हम कानून से बंधे हैं, संविधान से बंधे हैं। हम नियमों से बंधे हुए हैं। हमें इनमें से सभी को मानना पड़ेगा और अपना सर उनके नीचे झुकाना पड़ेगा। आपने देखा कि हाल ही में हाई कोर्ट का फैसला आया। हमारे साथियों के मस्तिष्क में शायद कोई भ्रम है। हाई कोर्ट ने स्थिर किया है कि जाति के आधार पर आरक्षण हो सकता है। हाई कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्थित किया है कि आरक्षण हो सकता है। आपने देखा कि जैसा हमारे साथी ने अभी महात्मा गाँधी का जिक्र किया। लेकिन जहाँ महात्मा गाँधी का इतना नाम हम लोग लेते हैं, उनके विचारों को भी हमको मानना चाहिए। और नत मस्तक होना चाहिए।

आपको मालूम होना चाहिए कि 12 जून, 1947 को स्वतन्त्रता प्राप्ति के लगभग दो माह पहले महात्मा गाँधी ने क्या कहा था? महात्मा गाँधी ने कहा था कि इस देश में 75 प्रतिशत जातियों का शोषण किया जा रहा है। अगर यह शोषण चलता रहा तो उस समय के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का यह कथन कि यह देश ब्राह्मणों और बनियों का है यह कथन सत्य हो जायगा। अगर हम महात्मा गाँधी का नाम लेते हैं, तो उनके कथन में हमको विश्वास करना चाहिए। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी एक सार्वजनिक लेक्चर में कहा था कि दुर्भाग्य है कि हमारे देश का शासन दो/एक जातियों के हाथ में केन्द्रित है। अगर इस मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं किया गया तो उसके बड़े खतरनाक परिणाम होंगे। तो, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सामने कह देना चाहता हूं कि आज 56/55 में एक प्रस्ताव इसी हाउस ने पास किया था और उसमें कहा गया था कि पिछड़े वर्ग के लोगों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन 30 साल से ज्यादा अर्सा हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। यह कहा गया कि हमारे शासन के पास बैकवर्ड की सूची नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि सम्पूर्णानन्द जी के समय एक सूची तैयार की गई थी। उसके बाद हिन्दुस्तान के बैकवर्ड कमीशन के काका कालेलकर ने एक सूची तैयार की लेकिन फिर भी कहा जाता है कि सूची नहीं है।

लेकिन मान्यवर, सूची मौजूद है शासन के ही कुछ व्यक्ति शासन को धोखा दे रहे हैं। मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहता हूं कि उसके बाद मैं अपने कथन को समाप्त करूंगा।

मान्यवर, जो हाई कोर्ट का निर्णय हुआ, उसमें सरकार को धोखा दिया गया, हाई कोर्ट को धोखा दिया गया। आप जानते हैं, मान्यवर, कि जब रिट का निर्णय होता है तो वह एफीडेविट व काउन्टर अफेडिवेट पर आधारित होता है लेकिन हमारे स्टैण्डिग कौंसिल ने कुछ आवश्यक तथ्यों को उनमें नहीं लिखा जो उसको करना चाहिए था। दूसरी बात, अगर कोई कानून या कमीशन की रिपोर्ट पेश करना चाहे तो उसको अनेक्जर के रूप में दाखिल किया जाता है। लेकिन स्टैण्डिग कौंसिल ने कमीशन के रिपोर्ट को अनेक्जर नहीं बनाया और उसके लिए हाई कोर्ट में सरकारी वकील से पूछा भी गया। यह शासन का हाल है। आपके शासन के लोग हमारे शासन को ही धोखा दे रहे हैं।

श्री दया राम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, यह जाति उन्मूलन की बात कहते हैं, निश्चित रूप से देश में जब तक सभी लोगों का स्तर एक किस्म का नहीं होगा, तब तक जाति उन्मलन की बात मात्र धोखा देने के लिए है क्योंकि देश में पिछड़े और अनुसूचित जातियों के लोगों का निश्चित रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से शोषण हुआ है और इस तरह से पिछड़े हुए लोगों को जब तक विशेष अवसर नहीं देंगे, जब तक उन्हें समाज में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक एक स्तर पर सभी लोग नहीं होंगे, तब तक जाति उन्मूलन करना, पिछड़ी जाति के लोगों के साथ

अन्याय करना है, उनको जहाँ के तहाँ छोड़ना है। मैं निश्चित रूप से इस माननीय सदन में यह कहना चाहता हूं।

मानव तो एक बिरादरी है, इन्सान की एक जाति है। लेकिन दकियानूसी लोग मनुष ने यह भेदभाव का मेंड़ बना दिया जिसकी वजह से मानव समुदाय के टुकड़े-टुकड़े हो गये। यह काम कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने अपनी सेवा लेने के लिए तथा दूसरों की कमाई खाने के लिए किया। उन्होंने कहा कि स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस तरीके का जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसके बारे में आज सोचना है। जो लोग अनुसूचित जाति के हैं और पिछड़े हुए हैं, आज उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जब वे भी अपनी जन संख्या के हिसाब से राजकाज में समान दृष्टि से हो जायं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जायगी तभी जाति उन्मूलन की बात सोची जा सकती है और तभी यह बात कही जाय तो ज्यादा ठीक होगा। हम लोग जब चुनाव के मैदान में जाते हैं तो कहते हैं कि जातिपाँति का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद फिर वही बात अपने आप हो जाती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमारे घर में खा लेंगे लेकिन जब हम उनके घर में खाने के लिए जाते हैं तो मिट्टी का बर्तन लाते हैं। जिसमें करिखा लगा होता है।

मैं पहले सोशलिस्ट पार्टी में था। डा0 लोहिया के नारे को सुना। मैंने सोचा बड़ी अच्छी पार्टी है, इस विचारधारा के साथ मुझे रहना चाहिए और रहा। जब कार्य रूप में फार्म भराए जाते थे तो जाति-विहीन और वर्ग विहीन समाज की बात कही जाती है। लेकिन खाने के वक्त पत्तल, का इन्तजाम, तक नहीं करते और हंडिया लाते हैं। इस तरह की मिसाल सही माने में देश पर कलंक है। मेरा तो कहना है कि जो आरक्षण दिया जा रहा है और जो अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं वह बहुत कम हैं। आज सभी जिम्मेदार पदों पर कौन लोग बैठे हैं। ऊंची जाति के लोग बैठे हैं। उनका मन काला है। हमारी जाति के अच्छे-अच्छे जवान दारोगा के लिए चुनाव में जाते हैं। उनका सीना चौड़ा है, लम्बाई भी है। लेकिन जाति को जानने के बाद जब समझ जाते हैं कि यह अहीर या धोबी है तो उनके दल का पानी हिल जाता है और किसी न किसी प्रकार उसको निकाल देते हैं। पिछले 30 वर्ष की सरकार को देखा बराबर नारा दिया जाता रहा है और हमारी बहन श्रीमती इन्दिरा गाँधी सुबह-शाम हरिजन-हरिजन का माला जपती थीं। लेकिन उनके शासन में चपरासी की जगह पर भी कोटा पूरा नहीं हुआ। गरीबों को चपरासी की जगह इसलिए नहीं दी गयी कि पानी कौन पिलाएगा।

मेरा निवेदन है कि सदन के माध्यम से निश्चित रूप से इस पर गौर करना चाहिए और किसी का हक देने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। जनता पार्टी अनुसूचित जाति के हित में, पिछड़े वर्ग के हित में जो भी करने जा रही है वह न्याय संगत बात है और इसके लिए आपका पूर्ण रूप से सहयोग होना चाहिए तभी सही माने में देश की तरक्की होगी। आज यहाँ की जाति व्यवस्था, गरीबी को देखकर विदेशों में भी शर्म से निगाह झुक जाती है। इसलिए अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए जो भी कदम सरकार उठाए उसमें आप सबको पूर्ण रूप से सहयोग देना चाहिए।

श्री हरि चरण यादव (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, आपने मुझे मौका दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। डा0 राकेश चतुर्वेदी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वास्तव में उसको पढ़ने के वक्त गोस्वामी तुलसीदास की वह चौपाई याद आती है—

"तन मलीन मन सुन्दर कैसे,
विष रस भरा कनक घट जैसे"

इसकी मंशा क्या है ? वास्तव में अगर उनकी मंशा जाति प्रथा को दूर करने की होती तो इसके लिए वे आरक्षण का विरोध न करते, बसें और रेलें न फुंकवाते। महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा उन्मूलन के लिए बौद्ध धर्म चलाया था लेकिन यहाँ जातिवाद की व्यवस्था

[श्री हरि चरण यादव]

अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी थी कि महात्मा बुद्ध का वह बौद्ध धर्म यहाँ से विलुप्त हो गया जो आज भी विदेशों में विद्यमान है लेकिन हिन्दुस्तान में शंकराचार्य के मठों की स्थापना हो गयी और बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया। तो क्या इस विधेयक के द्वारा जाति प्रथा का उन्मूलन हो सकता है। कभी भी सम्भव नहीं है कि इस विधेयक के द्वारा जाति प्रथा का उन्मूलन हो सकता है। वास्तव में जाति प्रथा तब समाप्त होगी, जब समाज के अन्दर समानता आयेगी, समाज में जो लोग पिछड़ हैं जिनको दलित समझा जाता है जिनको लोग सताया करते हैं, जब वे भी समकक्ष आ जायेंगे। मान्यवर, आज आप देखें, उच्च वर्ग के कहे जाने वाले लोग एक जो शहर का हरिजन है उसके गिलास में पानी पी लेंगे, खाना खा लेंगे लेकिन एक गाँव का हरिजन जो होता है उसके घर में जाकर लोग पानी नहीं पीते। क्या यह जाति प्रथा के समाप्त होने का नमूना है ? वास्तव में जाति प्रथा तभी समाप्त होगी जब जितने भी जातियाँ हैं वे सब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से समान हो जायेंगी।

मुझे अफसोस होता है कि जनता पार्टी की सरकार भी दोहरी पर नीति पर चलती है। एक तरफ तो अन्त्योदय योजना चलाती है जिससे गाँव का जो सबसे गरीब आदमी है उसका उत्थान हो और दूसरी तरफ जब पिछड़े वर्ग, हरिजनों और अनुसूचित जातियों के आरक्षण की बात आती है तो उसका विरोध होता है। यह दोहरी नीति नहीं चल सकती है। जिस प्रकार से अन्त्योदय योजना चलाई गयी उसी प्रकार से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग के लिए आरक्षण करना है। जिनकी जितनी आबादी है उस हिसाब से यह आरक्षण होना चाहिए। आज आरक्षण 15 प्रतिशत किया गया है जबकि उनकी आबादी 60 प्रतिशत है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग का और अनुसूचित जाति के लोगों का जितना आरक्षण हुआ है, जब तक उनका कोटा नहीं पूरा हो जाता है तब तक सभी प्रकार की भर्तियों में दूसरे लोगों की भर्ती रोक दी जानी चाहिए। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

(श्री शम्भूनाथ चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, उस तरफ के 4–5 लोगों को आप बुलवा चुके हैं। 2–3 तक तो ठीक है। कुछ इधर के लोगों को भी आप मौका दें।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, श्री शम्भूनाथ चौधरी जी, आप बैठ जायें। श्री जयराम के बाद फिर आप को मौका मिलेगा।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दुर्भाग्य है इस देश का कि राज्य करने वाले लोग बराबर इस देश में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए हुए हैं। मान्यवर, यह बात अपनी जगह पर सही है कि इस देश में बड़े जाति के लोगों ने आजादी से पहले भी और देश आजाद होने के बाद भी इस देश का शोषण आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से किया है। मान्यवर, आज भी मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि समग्र क्रान्ति के नाम पर, डाक्टर लोहिया के नाम पर और हमारे लोकनायक जय प्रकाश जी के नाम पर इस मुल्क के बड़े जातियों के लोग आर्थिक और सामाजिक शोषण कर रहे हैं। लेकिन मान्यवर, वहीं पर मैं यह भी आपके माध्यम से मा0 सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि आप भी वही नीतियां जो सदियों से कुछ लोग अपनाए हुए थे, अपनाए हैं। आज मान्यवर, दर्शक दीर्घा से हमारे मा0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्यों की बात पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग सुनेंगे तो जरूर उनके दिल में यह बात आयेगी कि हमारे लिए हमारे वर्ग के लोग सदन में हमारी बात बुलन्द कर रहे हैं। लेकिन मान्यवर, जरा माननीय सदस्य, ध्यान दें कि यदि कोई रिजर्वेशन मा० मन्त्री देव राम जी के लड़के के लिए होगा तो वही रिजरवेशन भुलई राम के लड़के लिए भी होगा, यदि माननीय जगजीवन राम जी के लड़के के लिए होगा तो गांव के गरीब लड़के के लिए भी आरक्षण होगा जिसे शायद जगजीवन राम बाबू के दर्शन भी दुलर्भ हों। मन्त्री जी के लिए जो आधार होगा वही दूसरों के लिए भी होगा।

अगर हिम्मत है, अगर सचमुच आप पिछड़ी जातियों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान करना चाहते हैं तो बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि रिजरवेशन अनिवार्य हैं। लेकिन रिजरवेशन पिछड़ी और अनुसूचित जातियों को आर्थिक आधार पर कीजिए अगर आपके अन्दर हिम्मत है तो। और अगर आप राज सत्ता के लिए, गरीबों का वोट बटोरने के लिए रिजरवेशन का इस्तेमाल कर कुछ दिनों तक कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मैं जाति का ठाकुर हूं, ठाकुर घर में पैदा हुआ हूं लेकिन मुझे चमार कहा गया।

मान्यवर, जैसा हमारे माननीय सदस्य ने विधेयक पेश किया है उस तरीके से हमारे तोमर जी ने भी विधेयक पेंशन के बारे में पेश किया है. . . ।

श्री अधिष्ठाता—

विषय से बाहर न जायं।

श्री जय राम—

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप आर्थिक आधार पर जातियों के आरक्षण रखिए। हरिजनों को आज भी बड़ी जाति के लोगों की चारपाई में बैठने का अधिकार नहीं है लेकिन हमारे शम्भू नाथ चौधरी हैं जिनके गांव में ब्राह्मण बहुत बड़े सामन्त हैं इनको अगर चरण स्पर्श करने को भी मिल जायं . . . .

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें. . . .

श्री जय राम—

सवाल आज यह नहीं है कि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं जाति के आधार पर हैं लेकिन सवाल यह है कि जो गरीब जाति में पैदा होगा उस नाते वह समाज से बाहर है, इन्सान उसे इन्सान नहीं मानता है लेकिन आप उन जातियों के अन्दर आर्थिक आधार लागू करें मैं इसका जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

इसको साढ़े तीन बजे तक लिया जायगा। फिर तोमर जी का प्रस्ताव लिया जायगा।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

कार्य मन्त्रणा समिति के निर्णय से हम बन्धे हुए हैं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

सदन का प्रस्ताव है कि 1 घंटा सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

पहले शम्भूनाथ जी का भाषण हो जाने दीजिए।

*श्री शम्भूनाथ—

अधिष्ठाता महोदय, देखने से ही ज्ञात हो जायगा कि किस कपट रीति से इस विधेयक को बनाया गया है। हमारे यहां एक फल होता है। वह देखने में बहुत खूबसूरत होता है लेकिन फोड़ दिया जाय तो उसमें से जहर निकलता है। उसी तरह का यह विधेयक है। इस फल का मुंह भी काला होता है। उसी तरह से इस बिल का मकसद भी काला है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि कैसे इस बिल को एलाऊ कर दिया गया क्योंकि इसमें संविधान की मंशा के विपरीत प्राविजन दिए गए हैं। मैंने तो उसी समय इसका विरोध किया होता जिस समय इसके लिए प्रस्ताव किया गया था,

(व्यवधान)

इसमें यह लिखा हुआ है, "उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल-वंश, जाति, वर्ण, रंग, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जायगा।" यह संविधान में पहले से ही है और उत्तर प्रदेश इस देश का एक भाग है इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं रहती। दूसरे इसमें कहा गया है 'पिछड़ा वर्ग का सम्बन्ध किसी धर्म जाति, वर्ण, रंग, लिंग जन्म स्थान से नहीं जोड़ा जायगा वरन् पिछड़ेपन का आधार आर्थिक विपन्नता सम्बद्ध किया जायगा।'

यही इसमें काली मंशा है। यही इसका काला रूप है। तीसरे इसमें यह व्यवस्था की गयी है'. . . . शासकीय सेवाओं तथा व्यवसायिक एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं में केवल प्रतिभा और कार्य-क्षमता को ही वरीयता दी जायगी।' संविधान के अनुच्छेद 335 में यह दिया हुआ है, अगर योग्यता नहीं है . . .

श्री अधिष्ठाता—

शम्भू नाथ, जी अब आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखेगें। दूसरे गैर सरकारी दिवस पर यह लिया जायगा।

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री अधिष्ठाता—

अब सोहन वीर सिंह तोमर के प्रस्ताव पर शिवलाल मित्तल का भाषण जो पिछले दिन चल रहा था, माननीय शिव लाल मित्तल अगर सदन में हो तो अपना भाषण जारी करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, शायद मन्त्री जी सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव लाने वाले थे. . .

श्री अधिष्ठाता—

वह तो 5 बजे के बाद हो सकता है। कार्य मन्त्रणा समिति ने जो तय किया है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। श्री शिव लाल मित्तल. . .

श्री मोतीराम (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता जी, तो क्या इस विधेयक को आज ही फिर लेंगे या इसे स्थगित कर दिया है. . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†9 मार्च, 1979 की कार्यवाही से।

श्री अधिष्ठाता—

वह अगले गैर सरकारी दिवस पर आयेगा ।

श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय तोमर जी ने प्रस्तुत किया था उसके सम्बन्ध म म बोलना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अनुसार नियम अवश्य बनाए जाने चाहिए। 30 साल के कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है और आज भी व्याप्त है कि ट्रान्सफर रोको और ट्रान्सफर करो। इसके नियम बनने ही चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं तो यह भी कहूंगा कि आज भी जब मन्त्री, सेक्रेटरी या जिलाधिकारी किसी भी स्टेज पर मुआयना करने के लिए जाते हैं तो वे खानापूरी करके चले आते हैं। हर स्टेज पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ट्रान्सफर के समय में कई प्रकार की अटकलें लगाई जाती हैं और कहते हैं कि हम बीबी के लंहगे के पास रहना चाहते हैं। चाहे प्रान्त का हो या सेन्ट्रल का अधिकारी या कर्मचारी हो, वह पहले समाज का सेवक है। जो शोषण हो रहा है उसे पहले समाप्त होना चाहिए। उसके लिए नियम बनने ही चाहिए। मैं अपने जिले की एक बात कहता हूं कि 3 थानों में डकैती कायम नहीं हुई। इस मामले को उठाया गया और दरोगा को लाइन हाजिर किया गया। एक महीने के बाद दर्ज करायी गयी। वह डकैती जब कायम नहीं हुई वह तो मैंने दरख्वास्त दी गृह मंत्री को दिया, उन्होंने डी0 आई0 जी0 को दिया और जब फिर भी नहीं हुआ तो मैं आई0 जी0 के पास गया। फोटो में साबित किया और फोटो की वजह से वह दरोगा 6 महीने के बाद लाइन हाजिर हुआ। तो इस तरह से हमारी सरकार सजग है। बस्ती में एक काण्ड हुआ। महिलाओं को लूट लिया गया। वहाँ का डी0 एम0 जो है वह एस0 पी0 आदि को हटाने के लिये तैयार नहीं है। सरकार इसकी जाँच करेगी। यह जनप्रिय सरकार हैं। स्वायत्त शासन मंत्री ने कह दिया कि मौके पर जायेंगे। ऐसे काँड खड़े होते हैं और डकैती की घटनायें बढ़ती जा रही है और सदन में आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अनुशासनहीनता हो रही है। लड़ाई कहां से शुरू हुई। लीडरशिप की लड़ाई ऊपर से नीचे तक चल रही है। इसलिये शासन सजग है। अतः मैं सोहन वीर सिंह जी तोमर द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसके लिये अवश्य नियम बनाये जाने चाहिये।

*श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री सोहनवीर सिंह तोमर जी का जो संकल्प है वह बहुत ही मुनासिब है। आजकल ट्रांसफर के बारे में सही नियम न होने की वजह से, लचीला होने की वजह से लोग उसका फायदा उठाते हैं और परेशान होते हैं। हर सरकारी कर्मचारी को मालूम होना चाहिये कि उसको कितने साल एक जिले में काम करना है। जो भी निश्चित कर दिया जाय उतना उसको वहाँ काम करना चाहिये और उसके बाद वहाँ नहीं रहना चाहिये। उसे मालूम होना चाहिये और उसके बाद चाहे कितनी वह कोशिश करे वह वहाँ पर नहीं रह सकता है। इसके लिए निश्चित नियम बन जाना चाहिये। होता क्या है कि किसी को 5 साल हो गये और वह वहीं रहना चाहता है तो उसकी सिफारिश हो गई और रुक गया। इससे बड़ी भारी परेशानी और अविश्वास लोगों में पैदा होता है और भ्रष्टाचार पनपता है। जो कर्मचारी जिलों में काम करते हैं अगर वह चतुर्थ श्रेणी के है तो उनको मालूम होना चाहिये कि उनका ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं होगा और जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी है उनको मालूम होना चाहिये कि उनका ट्रांसफर कमिश्नरी से बाहर नहीं होगा और निश्चित समय में जरूर होगा। इसके लिए "शैल" शब्द का प्रयोग होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय जगदम्बा प्रसाद सिंह जी आप बैठ जायं मैं देख रहा हूं कि सदन में कोरम नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

गैर सरकारी दिवस है और किसी ने कहा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं नियम पूर्वक सदन चलाना चाहता हूं। कोरम बहुत जरूरी है। हरी सिंह जी आप मेरी सहायता करें, माननीय देव बहादुर सिंह जी आप भी सहायता करें ताकि कोरम हो जाय।

(कोरम की घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह—

मान्यवर, इस संकल्प का दूसरा हिस्सा है कि ट्रांसफर होने के बाद उन आदेशों का पालन किया जाय। पालन होना बहुत जरूरी है। जब किसी हाकिम का ट्रांसफर हो जाता है तो वह दौड़ने लगता है हमारे दारुलशफा के कमरों में लोगों की भारी भीड़ पड़ी रहती है। एम0 एल0 ए0 परेशान होते हैं और बदनाम भी होते हैं। इस वास्ते इसके लिए बहुत मुनासिब कानून बन जाना चाहिए कि एक निश्चित समय में ट्रांसफर होगा और अगर कोई उसे रोकने के लिये राजनीतिक दबाव की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। अगर एक दो मामलों में अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो जाय तो फिर वे दौड़ना छोड़ देंगे। हमारे बाबूराम वर्मा जी उस दिन बोल रहे थे तो उन्होंने जो शर्में आकर कल्याण सिंह जी के बारे में कहा था जब वह मंत्री थे तो ट्रांसफर कोठी नं0 9 से होते हैं। कहीं खोजने पर मिलते नहीं हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं निवेदन करूंगा कि श्री कल्याण सिंह ही ऐसे मंत्री थे जिन्होंने जो डाक्टर 15–15, और 20–20 साल से एक जगह पड़े थे बाहर जाना नहीं चाहते थे उनको छूने की कोई दूसरा हिम्मत नहीं करता था उनका कल्याण सिंह ने ट्रांसफर किया और चाहे किसी ने सिफारिश क्यों न की हो, उनको उन्होंने रोका नहीं। घटकवाद तो जनता पार्टी में है ही और मैं भी घटक में शामिल हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने भी एक श्री वास्तव की, जो 300 रुपया तनख्वाह पाता था, जिसका कमिश्नरी के बाहर गलती से ट्रांसफर हो गया था, ट्रांसफर की तमाम कोशिश की। लेकिन तमाम कोशिशों के बाव जूद उन्होंने ट्रांसफर कैंसिल नहीं किया। लेकिन आज बहुत से लोग आर0 एस0 एस0 के खिलाफ नारा बुलन्द करने में अपना फख्र समझते हैं और अच्छे-अच्छे और सिद्धान्तवादी लोगों की भी आलोचना करते हैं। मैं तोमर जी के संकल्प का समर्थन करता हूं और इसमें इस बात का भी साथ में प्राविधान होना चाहिये कि जो भी इसको तोड़े, नियमों के बावजूद जो सिफारिश करे—वह चाहे एम0 एल0 एज0 या मिनिस्टर कोई भी हो, उसके खिलाफ भी अवश्य कार्यवाही होनी चाहिए। जिस से उन्हें भी सिफारिश में लिखने या टेलीफोन करने से डर लगे। मैं इसके साथ इसका समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, तोमर साहब ने जो संकल्प पेश किया है—जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, कि ट्रांसफर रोज न किया जाय और उनके लिए टाइम बाउन्ड कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि आज के हालात में और आज की पालिटिक्स में ऐसा करने में जहाँ कुछ फायदा होगा, वहाँ कुछ नुकसान भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि इसका कारण यह है कि एम0 एल0 एज0 और पालिटिकल वर्कर्स से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों में पालिटिक्स है। जितने गवर्नमेंन्ट के अधिकारी और कर्मचारी हैं, वे किसी न किसी खास पार्टी से बंधे हुए हैं, और उसके साथ उनका लगाव है। इससे एम0 एल0 ए0 और पालिटिकल वर्कर्स को नुकसान पहुंच सकता है और हमेशा पहुंचता रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि इस पोलिटिकल जिन्दगी के अन्दर ज्यादा वास्ता कर्मचारियों और अधिकारियों से पड़ता है

(इस समय 3 बज कर 44 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पुनः पीठासीन हुए।)

और पोलिटिकल आदमी की पूरी जिन्दगी का ताल्लुक इन आफिसरों और कर्मचारियों से रहता है। लिहाजा जब तबादले के लिये कोई टाईम मुकर्रर हो जाएगा—मसलन तीन साल में और उसके पहले या बाद में नहीं होगा—तो जिसको अभी तक थोड़ा डर बना रहता है कि कोई गलती करने पर तबादला हो सकता है, उसके दिमाग से यह डर भी निकल जाएगा और वह मनमानी करने की ओर बढ़ जायेंगे, और इससे नुकसान पहुंच सकता है। इसलिये जब तक हमारे सोचने का तरीका नहीं बदलेगा और हमारा प्रशासन जो पोलिटिक्स में इन्वाल्वड है, जब तक साफ-सुथरा नहीं होगा, उस वक्त तक हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से नहीं चल सकता है। और तबादला करने से जो मसला हम हल करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो कर्मचारी या अधिकारी है वह कहीं न कहीं काम करते हैं और वह किसी न किसी क्षेत्र से उनका तालुक रहता है। मुखतलिख ख्याल के लोग इस देश में हैं। मैं यह गुजारिश करूंगा कि यह ठीक है कि तबादले के लिए टाइम मुकर्रर कर दिया जाये। लेकिन आज जो बुराइयाँ फैली हुई हैं उनको दूर कैसे किया जाये। इस बात पर भी आपको गहराई से विचार करना होगा जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वह किसी न किसी प्रकार की राजनीति में लगे रहते हैं। सवाल इस बात का है कि इसको किस प्रकार से दूर किया जाये। पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की आवश्यकता है। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी गलत काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त ऐक्शन लिया जाना चाहिये। इससे कुछ उन लोगों को एहसास होगा कि अगर हम गलत काम करेंगे तो सजा मिलेगी हमें सस्पेंड किया जायेगा। जब इस तरह की भावना उनके अन्दर आ जावेगी तो वह गलत काम करने से डरेंगे, वह जो आज मनमानी कर रहे हैं वह नहीं करेंगे। वह पूरी तरह पालिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। तबादले के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे आप एक साल का नियम बनायें या तीन साल का नियम बनायें उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे हालत और भी बिगड़ सकती है। पहले आप अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ा कन्ट्रोल करें कि वह किसी पालिटिक्स में न पड़े। पहले इस किस्म की चीज लानी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी पार्टी पालिटिक्स में पड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा। इस बात का उनको एहसास होना चाहिये कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो ऐक्शन होगा। इस खौफ से हालत बेहतर हो सकती है। इस बारे में मुझे एक शेर याद आती है—

खुदा ने जिसको बख्शा ही नहीं अन्दाजे रिन्दाना।
उन्हीं के हाथ शीशा है उन्हीं के हाथ पैमाना।।

अगर ईमानदारी से सही काम करें तो मैं समझता हूं कि ट्रांसफर पर इतना जोर देने की जरूरत नहीं। हमें इस बारे में अपनी पालिसी बनानी चाहिये। इस बात का प्रत्येक कर्मचारी को एहसास होना चाहिये कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे खिलाफ ऐक्शन अवश्य ही लिया जावेगा। आज एम0एल0ए0 की उतनी कीमत नहीं है जितनी कि एक कर्मचारी की कीमत है। सोशल वर्कर की कोई बात नहीं सुनी जाती है और कर्मचारियों, विधायकों और सोशल वर्कर्स के दर्मियान में भी कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। विधायकों और सोशल वर्कर्स को भी उन्हें अपना भाई समझना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिये और उन्हें भी उसी निगाह से देखना चाहिये। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टी पौलिटिक्स मौजूद रहेगी, तब तक सरकार का निजाम ठीक से नहीं चल सकता है। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि तबादले के सम्बन्ध में कोई ऐसी पालिसी बने कि फिर उसमें कोई इमतियाज न हो।

[श्री शफीकुर्रहमान वर्क]

यह नहीं होना चाहिये कि एक आदमी के कहने से तो तबादला हो जाय और दूसरे आदमी के कहने से वह न हो पाये, ऐसे काम नहीं चल सकता है। अगर आपने मुकम्मल छूट दे दी कि तबादले होंगे ही नहीं तो वह नहीं डरेंगे और कोई गलत काम करने पर भी खिलाफ ऐक्शन लिये जाने का डर नहीं होगा। इसलिये मुझे इस संकल्प से उतना इत्तिफाक नहीं जितना कि उन्होंने पेश किया है लेकिन इसके एक जुज से मुझे इत्तिफाक है और सरे जुज से इत्तिफाक नहीं है।

विधान सभा के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हेतु श्री राज्यपाल द्वारा तिथि के निर्धारण के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राज्यपाल के सचिव से प्राप्त वायरलेस और शासन के संसदीय अनुभाग के सचिव से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1973सं0/17-34सं0 79, दिनांक 23 मार्च, 1979 द्वारा सूचना प्राप्त हुयी है कि श्री राज्यपाल अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 (1) के अनुसार 28 माच, 1979 की तिथि निर्धारित की है।

तदनुसार उक्त नियम 8 के उप-नियम (2) के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए नाम-निर्देशन-पत्र उचित रूप से प्रस्थापित तथा समर्थित किए जाकर 26 मार्च, 1979 के मध्याह्न (12 बजे दिन) के पूर्व सचिव, विधान सभा को दिए जा सकते हैं।

प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कुछ सुनिश्चित स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--

अब जो चर्चा माननीय सोहन वीर सिंह के संकल्प पर चल रही है क्या कोई और सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, इस पर काफी विवाद हो चुका है। अतः मैं समझता हूं कि अब इस प्रस्ताव को समाप्त किया जाय। पिछली बार भी इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

(श्री मधुकर दिघे के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप अभी बैठिये, क्लोजर के प्रस्ताव पर मत लेने दीजिए।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, बाद में इन्हें कैसे बोलने दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय सोहन वीर सिंह तोमर द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर विवाद समाप्त किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री सोहन वीर सिंह तोमर का नाम पुकारे जाने पर और उनके सदन में उपस्थित न होने पर वित्त मंत्री को बुलाया गया)

*वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सोहन वीर सिंह तोमर जी ने जो सदन में संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके 2 हिस्से हैं। एक में तो उनका कहना यह है कि कर्मचारियों के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थानान्तरण के संबंध में सरकार की कोई घोषित नीति होना चाहिये दूसरे अंश में उनका यह कहना कि स्थानान्तरण अथवा नियुक्ति के संबंध में राजनीतिक व अन्य प्रकार के प्रभाव का प्रयोग करने तथा स्थानान्तरण आदेशों का तत्काल अनुपालन न करने के कारण अनुशासन की कार्यवाही करना अनिवार्य हो ।

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इन दोनों के ही संबंध में शासन की स्पष्ट नीति है। विभिन्न प्रकार का जो प्रेशर डालते हैं उसके लिये समय-समय पर हमारे निर्देश निकलते रहते हैं और वे बिल्कुल स्पष्ट हैं। उसकी जानकारी भी माननीय सदस्यों और कर्मचारियों को भली प्रकार से है। सरकार के स्थानान्तरण के संबंध में यह स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को कम से कम 3 वर्ष तक एक स्थान पर अवश्य रखा जाये। अगर किसी की सेवा किसी जगह 3 वर्ष से कम होती है तो सामान्यत: उसका ट्रांसफर नहीं किया जाता । जब तक कि उसके खिलाफ कोई शिकायत न हो, जनहित में उसका ट्रांसफर करना आवश्यक न हो, उसका ट्रांसफर नहीं किया जाता। जनहित में बहुत आवश्यक होने पर या शिकायत होने पर ही ट्रांसफर पहले किया जाता है और जब कोई गम्भीर शिकायत होती है तो पहले उसको मोअत्तल किया जाता है। मोअत्तल करना कोई सजा नहीं है, उसमें उसको काम से मुक्त रखा जाता है। उसके खिलाफ चार्ज-शीट लगायी जाती है। यह भी नीति है कि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध जाँच होने पर ही उसको मोअत्तल किया जाता है।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)---

हमारे ब्लाक में ए0 डी0 ओ0 छोटे कर्मचारियों को परेशान करने के लिये इधर से उधर अक्सर ट्रांसफर कर दिया करते हैं और उनसे पैसा मांगते हैं।

श्री मधुकर दिघे---

शिकायतें तो हो सकती हैं, आती भी रहती हैं, उन पर कार्यवाही भी होती है। मगर जहाँ तक सरकारी आदेश और नीति का प्रश्न है वह अपनी जगह पर है। सरकारी आदेश स्पष्ट है। नीति भी Exist (एग्जिस्ट) करती है। स्पष्ट और ठोस नीति है।

जिन और बातों का जिक्र किया गया है, उनके विषय में मैं इस समय जिक्र नहीं करना चाहता। शासन की नीति के संबंध में जो सरकारी सर्कुलर व आदेश आदि हैं वे मैं माननीय सदस्यों को वितरित करवा दूंगा, इस वक्त ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत से अवसरों पर उनकी जानकारी माननीय सदस्यों को होती रही है। इसके साथ-साथ मान्यवर दूसरा प्रश्न जो है, यदि आदेश हो, तो पढ़ दूं, सेवा संबंधी मामलों में राजनैतिक या अन्य प्रकार के बाहरी प्रभाव डलवाने पर कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम 27 के प्राविधान एवं तत्संबंधी जारी किये गये विभिन्न निर्देशों को देखते हुए आचरण नियमावली एवं सेवा नियमावली में कोई अन्य प्राविधान करने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, यह पहले से मौजूद है। तो दोनों प्रश्न जो इस संकल्प में उपस्थित हैं कि इसमें शासन की कोई नीति है, मैं कहता हूं कि हाँ शासन की नीति है, और इस नीति के विरुद्ध जो जोर-दबाव, राजनैतिक दबाव डलवाने का प्रयत्न करता है, सेवा नियमावली में इस संबंध में पहले से प्राविधान है, उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। मैं कहता हूं कि सेवा नियमावली में इस चीज का प्राविधान पहले से है, अब इस संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं विधायकों ने यह स्वीकार किया कि हमारी तरफ से राजनैतिक दबाव डाला जाता है। विधायकों ने स्वयं इसको स्वीकार किया है कि हाँ हम मंत्रियों के यहाँ आते हैं, मंत्रियों पर दबाव डालते हैं और इस तरह से स्थानान्तरण कराने का प्रयत्न करते हैं। इसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मधुकर दिघे]

माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है कि इस तरह से जोर-दबाव के कारण स्थानान्तरण रोकवाते हैं, लोगों की जब वाकई कठिनाइयां होती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक कर्मचारी है, उस कर्मचारी की पत्नी बीमार है, कर्मचारी की वाकई कठिनाई है, तो उस कठिनाई को ध्यान में रख कर कहीं-कहीं उच्चस्तरीय स्थानों पर कोई प्रार्थना-पत्र आते हैं और उसके परिवार या दूसरी जगह से आते हैं, तो मानवीय आधार पर, उस पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है मान्यवर, यह डिस्क्रिशनरी होना चाहिये। अगर उसके विरुद्ध कोई काम होता है, तो निश्चित रूप से वह नियम विरुद्ध होता है। इसको मानकर चलना चाहिए। मैं इसको नहीं कहता हूं, न इनकार करता हूं कि शासन की तरफ से इस प्रकार कार्य नहीं हुए है, हुए हैं।

मान्यवर, विभिन्न अवसरों पर ऐसे प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं, जिनके कारण निर्णय लेना पड़ता है। जहां पर इस दृष्टिकोण का सवाल है, उसमें मैं निवेदन करूंगा, माननीय तोमर जी से कि आपको इस संकल्प को लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए नियम बने हुए हैं, केवल उन नियमों का पालन करना चाहिए। इन विचारों को जिन्होंने रखा है, उसका मैं आदर करता हूं। जैसा मैंने निवदन किया, विभिन्न अवसरों पर यह निर्णय लेने में कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि मानवीय आधार पर कई निर्णय लेना पड़ता है। तो उन निर्णयों को लेते वक्त यह जरूरी नहीं होता है कि किसी का स्वार्थ ही हो। यह भी मैं मानता हूं कि राजनैतिक दृष्टि से ऐसे काम हुए होंगे, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक एक शुद्ध प्रशासन और शुद्ध आचरण का सवाल है कर्मचारियों के द्वारा, उसमें हमारी तरफ से यह लगातार प्रयत्न किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से, किसी राजनैतिक या किसी व्यक्ति की दुश्मनी के कारण, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न बगैर किये स्थानान्तरण का जो नियम और कानून है, जो सिद्धान्त है, उसका पालन किया जायगा। इसके साथ-साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह नियम कभी-कभी जरूरी नहीं होता है कि सम्पूर्ण तरीके से उसका पालन करने से ही सही नतीजा निकलता है। यह भी हो सकता है, अन्य स्थानों पर जब आवश्यकता पड़ी, तो आवश्यकता क अनुसार अपवाद स्वरूप करना पड़ता है। लेकिन अगर इसकी तादाद बढ़ जाये, अगर यह एक-दो अपवादों के बजाये सामान्य परिस्थिति में हो जाय तो फिर मान्यवर जो आलोचना है उस आलोचना को मैं स्वीकार करता हूं और इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से इस मामले में, चूंकि यह नीति स्पष्ट है, जो आदेश है वह स्पष्ट है, कर्मचारियों द्वारा जो राजनीतिक दबाव डालने का प्रयत्न किया जाये तो सेवा नियमावली में यह प्राविधान है इसलिए मैं तोमर जी से यह कहूंगा कि वे अपने संकल्प को वापस लें और जहां तक भावनाओं का सवाल है संकल्प के बारे में, उसका पालन किया जायेगा और मान्यवर, इस सदन के हमारे भूतपूर्व मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी ने जब अपने विभाग में मास-ट्रांसफर किया तो मैंने वित्त मंत्री की हैसियत से एक प्रश्न उपस्थित किया था कि आम ट्रांसफर नहीं होने चाहिये लेकिन यह भी सही है।

मान्यवर कि एक वित्त मंत्री ने अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर उसका विरोध किया था। परन्तु मान्यवर, उनके किये गये कार्यों की प्रशंसा भी हुई थी क्योंकि जो स्थिति कई वर्षों से हुई थी उसका विरोध किया गया था। तो मान्यवर, मैं जो बात बता रहा था वह अपवादस्वरूप ही होती है।

एक सदस्य--

अपवाद मुख्य हो जाता है।

श्री मधुकर दिघे--

अगर अपवाद मुख्य हो जाये तो और बात है लेकिन अगर अपवाद, अपवाद ही रह जाये तो ठीक है। तो मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि जो मैं यह सारी स्थिति का स्पष्टीकरण किया उस स्पष्टीकरण के बाद इस संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती और वे इस को वापस ले लें।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, मेरी बात आप सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, अब आप बैठें ।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन् अगर आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या कि मैं क्या कहना चाहता हूं ।

श्रीमन्, मैं पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि माननीय मंत्री ने मेरे ऊपर यह आक्षेप लगाया । एक तो उस समय ये उपस्थित नहीं थे जब हम लोग बोल रहे थे साथ ही उन्होंने यह बात नहीं पढ़ी जो हम लोगों ने कही थी । हम माननीय मंत्री जी की बात मानते हैं लेकिन अगर ट्रांसफर अपवाद के रूप में या नियम के रूप में होते हैं जिसकी चर्चा उन्होंने की तो क्या जो सुझाव सदन में आये थे और वह सुझाव यह आये थे कि एक स्टैन्डिंग समिति रहे चाहे वित्त मंत्री रहें या कोई और, उसको अधिकार रहे कि वह देखे कि उस पर क्या विचार किया गया है । श्रीमन्, आप स्वयं भूल रहे हैं, मैंने स्वयं दिया था यह प्रस्ताव तो मैं अपनी बात जरूर याद रखता हूं, आप कैसे याद रखेंगे । मान्यवर आप रिकार्ड देख लें, यह रिकार्ड की चीज है । अगर मैं गलत हूं तो कल ब्रीच आफ प्रिविलेज ला सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन सरकार को निदेश देता है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित, स्पष्ट एवं समय-बद्ध नीति को तत्काल सदन के सम्मुख घोषित करें । यह सदन सरकार को यह भी निदेश देता है कि सरकारी कर्मचारीगण की सेवा नियमावली तथा आचार संहिता में ऐसी व्यवस्था करे जिससे उनके द्वारा अपने स्थानान्तरण अथवा नियुक्ति के सम्बन्ध में राजनीतिक व अन्य प्रकार के प्रभाव का प्रयोग करने तथा स्थानान्तरण आदेशों का तत्काल अनुपालन न करने के कारण उनसें विरुद्ध अनुशासन की कड़ी कार्यवाही करना अनिवार्य हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश के प्रशासन तन्त्र के कुशल उपायोगी एवं दक्ष बनाने हेतु सदन के सदस्यों की एक समिति बनाने का संकल्प

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर,

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, इसमें सूचना हम लोगों को जानी चाहिये थी संकल्प की प्रति आज पहुंची है इसलिये हम लोग तैयार नहीं कर पाये हैं । मेरा निवेदन है कि इस चर्चा को अगली बार ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह केवल प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा एतराज है कि यह प्रस्तुत नहीं हो सकता है । कृपया नियमावली का नियम 88–89 देखने की कृपा करें उसके अनुसार यह स्पष्टतया और सुतथ्यतः व्यक्त किया जायगा, उससे सारतः एक ही निश्चित वाद-विषय उठाया जायगा । यह ग्राह्यता की शर्तें हैं । यह संकल्प मान्यवर, वेग है, अस्पष्ट है तथा वाद विषय एक से अधिक है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके ऊपर हम निर्णय ले चुके हैं। अब इसके ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते। देव बहादुर जी आप बोलें।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, कुछ अड़ंगा डालने की आदत है।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के प्रशासनतंत्र को कुशल, उपयोगी, दक्ष एवं जनतांत्रिक बनाने के लिये इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने का सुझाव देने के लिये सदन की एक समिति बनायी जाय जिसमें ग्यारह सदस्य हों और जो अपनी संस्तुति छः मास के अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।"

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, सुन लिया जाय। सुनने में कोई कठिनाई नहीं है। आज हम लोगों को सुन लिया जाय। मंत्री जी उत्तर दूसरे दिन दें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, बोलने दिया जाय।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो हमारा संकल्प है वह इस बात पर आधारित है कि हमारे प्रदेश में जो शासन व्यवस्था है उसको चुस्त बनाया जाय, जनहित में बनाया जाय और उस प्रकार से उसमें परिवर्तन किया जाय जिससे यह ज्ञात हो कि शासन व्यवस्था जन-जन के उपयोग के लिये है। हमारे यहां मान्यवर, इस देश की आजादी के बाद जब संविधान बना तो संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक, संसदीय प्रणाली के अनुरूप प्रशासन की स्थापना करने की बात आयी और उसका सीधा अर्थ यह था कि हमारे देश में लोकशाही की स्थापना हो। लेकिन मान्यवर, आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहां लोक शाही नहीं है, हमारे यहां नौकरशाही है। हम चाहते हैं कि लोकशाही हो। लोकशाही की स्थापना करने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, मैं मानता हूं कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी उस समय इस पर विचार करना चाहिये था कि जो प्रशासन तंत्र है, जो नौकरशाही है, जो अंग्रेजों से प्राप्त हुयी है क्या उसी रूप में इस देश और प्रदेश में वह विद्यमान रहे या उसमें परिवर्तन हो। यह परिवर्तन उसी समय करना चाहिये था।

आज हम देखते हैं कि सदन में चाहे कोई भी चुन कर आये कोई भी सरकार बनाये, आफिसर्स गैलरी में अफसर बैठते हैं, उनके कुकर्मों का जवाब मंत्रि परिषद् के सदस्य देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यह कुकर्म उनके हों। देश का जो प्रशासन तंत्र है उसमें व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिससे दायित्वों की स्थापना हो सके कि कोई भी गड़बड़ी प्रजातंत्र में हो तो यदि कहीं कोई दोषी पाया जाय तो उसमें किसी पर दायित्व निर्धारित किया जा सके। इस प्रकार का परिवर्तन जब तक शासन में नहीं होगा तब तक इस देश और प्रदेश में 40—50 प्रतिशत तक हुकूमत सफल नहीं हो सकती है। जनता पार्टी की सरकार आयी, तो कहां तक इस व्यवस्था में परिवर्तन करती। जनहितकारी योजनाओं का कार्यक्रम देने में, जनता द्वारा निर्वाचित जो संस्थायें थीं उनमें भी अधिकारियों को डाल कर, चुने हुये प्रतिनिधियों को हटाकर, उनके हाथों में हुकूमत सौंप दी। धीरे-धीरे इनके राज्य में विकेन्द्रीकरण के स्थान पर सत्ता का केन्द्रीयकरण हुआ जबकि इनके मैनिफेस्टो में है कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब से यह आये तब से सत्ता का केन्द्रीयकरण हुआ है और वह चाहे जिला परिषद् हो, क्षेत्र समितियाँ हों, मंडी समितियाँ हों और चाहे स्थानीय निकाय संस्थायें हों, हर जगह प्रशासन के

लोग हैं, उनके हाथों में हुकूमत दे दी गयी है। यह हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धान्त नहीं हैं बल्कि संविधान में यह है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय जिससे अधिक से अधिक लोग उस दायित्व का निर्वहन कर सकें और उस दायित्व का वितरण हो सके। लेकिन यह नहीं किया गया और सत्ता का केन्द्रीकरण करते जा रहे हैं। यह करने से जन-जन में भिन्न-भिन्न प्रकार की कठिनाइयों का और समस्याओं का समाधान न होना मुख्य बात है। मान्यवर, आपने देखा है कि रोज सदन में तरह-तरह के प्रश्न आते हैं कि कहीं उपद्रव हो गया लेकिन उनमें हम किसी पर दायित्व आज तक नहीं रख पाये हैं। हुकूमत किसी की हो लेकिन मूल रूप में प्रशासन नौकरशाही के हाथों में है और जब तक नौकरशाही यह न समझ ले कि सरकार की सफलता और असफलता के साथ उसकी भी सफलता और असफलता गिनी जायेगी तब तक वह अपने दायित्वों को नहीं समझेंगे। छोटे-छोटे कर्मचारी और अधिकारी कहते हैं कि यह तो अस्थायी नौकरी में है और हम तो परमानेन्ट हैं, यह पता नहीं कब तक रहेंगे।

*श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)–

व्यवस्था का सवाल है कि श्री देव बहादुर जी आपकी तरफ अंगुली उठाते हैं और हमारी तरफ हाथ दिखाते हैं। यह क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष––

यह तो उनके बोलने का तरीका है।

श्री देव बहादुर सिंह––

मान्यवर, यह आदी तो और कुछ देखने के हैं। हम वह चीज नहीं दिखा सकते हैं। इस के लिये मान्यवर, आप क्षमा करें।

(हंसी)

मान्यवर, हमारा जो संकल्प है उसमें हमने चाहा है कि एक कमेटी बने जो सर्वेक्षण करे कि जो शासनतंत्र है उसको लोकतांत्रिक और चुस्त कैसे बनाया जा सकता है। और वह चुस्त है कि नहीं उसकी विवेचना मैं करना चाहता हूं। मान्यवर, आप कोई रिपोर्ट मंगाये तो अधिकारी वह सूचना पटवारी से मंगायेंगे और जो रिपोर्ट वह दे देगा वही रिपोर्ट सचिव दस्तखत करके यहाँ भेज देंगे। तो यह अंग्रेजों के समय की ही प्रक्रिया आज भी चली आ रही है। जो शासन तंत्र है उसमें भी दो तरह के लोग हैं–एक ईमानदार और दूसरे निहायत भ्रष्ट। जो भ्रष्ट है उनके परिवार के लोग सुखी हैं, उनके बच्चे आनन्द से रह रहे हैं। दो तबके हो गये हैं और जो ईमानदार है, वे अपनी ईमानदारी और सदाचार का प्रतिफल चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जो मन्त्रीगण बैठे हैं, वे उन अधिकारियों को पसन्द करते हैं जो चाटुकार हैं। जो ईमानदार हैं, जो सच बात कहेंगे, तो उनको मुक्त कर देंगे, दूसरी जगह भेज देंगे। तो जब तक ईमानदारी और परिश्रम का उचित पुरष्कार उनको नहीं देंगे, तब तक हमारा जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें एक मुख्य कारण और भी है। जैसे हमारी जनता पार्टी है। अभी जो रैली हुयी थी दिल्ली में, लाखों-लाखों रुपये कर्मचारियों से वसूल करवाया गया। यह प्रयोग है नौकरशाही का, राजनैतिक प्रयोग है और जब तक कोई राजनैतिक आचरण, संहिता नहीं बनेगी, तब तक आमूलचूल परिवर्तन में भी बहुत सी बाधायें पड़ेंगी। इसलिये मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि इस पर एक कमेटी बनायी जाय जो इस पर सुझाव दे कि आमूलचूल परिवर्तन करने में कौन कौन से लोग रखे जायं। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, जो प्रस्ताव माननीय देव बहादुर सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, संकल्प के रूप में मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं यह समझता हूं कि सरकार स्वयं इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी क्योंकि यह प्रस्ताव न केवल प्रस्तावना और समर्थन के लिये है, बल्कि सचमुच प्रशासन के हित में है। श्रीमन्, आज देखेंगे कि न केवल हमारे प्रदेश की हालत बिगड़ी है बल्कि और जगह भी यही हालत है। आज से मतलब केवल आज से नहीं, बल्कि बहुत दिनों से है। अकुशल शासन, ढीला शासन और अप्रजातांत्रिक शासन—इसकी कहानी देखी जाय, तो बहुत दिनों से है। इसको कैसे चुस्त किया जाय, कैसे कुशल बनाया जाय, इसके बारे में माननीय देव बहादुर सिंह जी ने कुछ सुझाव दिये हैं।

श्रीमन्, पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि केवल अधिकारियों पर दोषारोपण करने से शासन सुधर नहीं सकता। जिम्मेदारी नेताओं को लेनी होगी। यह मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रशासन जो कमजोर है, वह हमारी नीतियों की खराबी है, हमारी नैतिकता की खराबी है और हमारे नेतागण चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, चाहे केन्द्र में हों, चाहे प्रदेश में हों, चाहे मन्त्री हों, चाहे मन्त्री न हो, उनकी योग्यता का प्रशासन पर पूरा छाप नहीं डाल रहे हैं। योग्य मंत्री अगर होता है तो वह जब तक उस विभाग में रहता है, तब तक उसकी एक अच्छी छाप पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह हो गयी है कि जितना ही समय मिलता जाता है, शायद मन्त्रियों की योग्यता में भी कमी होती जाती है या योग्य मन्त्री ही नहीं मिल रहे हैं या मिल रहे हैं तो अयोग्य लोग ही रखे जा रहे हैं। मैं वर्तमान की बात ही नहीं कह रहा हूं, यह सदैव से ही चल रहा है।

एक सदस्य—

आप क्या अपने समय को देख कर कह रहे हैं?

श्री श्यामधर मिश्र—

नहीं, मैं आपके समय को भी देख कर कह रहा हूं।

एक सदस्य—

आप हमारी स्थिति में आ जायं।

श्री श्याम धर मिश्र—

अगर आप की स्थिति में आ जाऊंगा, तो और भी अयोग्य हो जाऊंगा—अयोग्य तो वैसे ही हूं और भी अयोग्य हो जाऊंगा।

एक सदस्य—

आप पूरे आये हैं या . . . .

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं न आधा आया हूं और न चौथाई। मैं पूरा और मैं आपके घटकवाद का साझेदार नहीं हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रशासन को दुरुस्त करने के लिये, शासन को सही दिशा देने के लिये, राजनैतिक लोगों को तैयार होना होगा, योग्य मंत्री और योग्य मंत्रालय रखना होगा। अगर केवल नीतियों की ही बात करते रहेंगे, तो काम नहीं चलेगा और हमें तो यह भी मालूम है कि हमारे मन्त्री लोग नीति के संबंध में सबसे कम चर्चा करते हैं और केवल तबादले में लगे रहते हैं। अगर केवल तबादले में लगे रहेंगे और नीतियों के सम्बन्ध में अधिकारियों से वार्ता नहीं करेंगे तो प्रशासन कैसे अच्छा होगा। अगर अच्छा घुड़सवार घोड़े पर नहीं हुआ और घोड़े को यह मालूम हो जायगा तो वह दो दिन में उस सवार को उठाकर पटक देगा। यही धारणा अफसरों और नौकरशाही की है। जब वे जान लेते हैं कि कैसा मंत्री है। योग्य है, योग्यतम है या उससे कम है। ऐसी सूरत में मैं चाहूंगा कि विकेन्द्रित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासन हो जब आपने लोकतंत्र अपनाया है। लेकिन पिछले 20 वर्षों से हम केवल विकेन्द्रीकरण की कसम खाते हैं लेकिन विकेन्द्रित केवल दो-तीन प्रदेशों में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक में है। थोड़ा सा गुजरात और तामिलनाडु में है लेकिन उत्तर प्रदेश में न था और न अभी है। जितने मंत्री लोग हैं केन्द्री करण किये हुये हैं, अधिकारी-गण केन्द्रीयकरण किये हुये हैं और अगर आपने कोई अधिकार दे दिया मण्डलायुक्तों को तो उन्होंने केन्द्रीकरण कर रखा है।

इसी प्रकार कलेक्टर ने केन्द्रीकरण कर रखा है। थोड़ी सी विकेन्दित व्यवस्था जिला परिषदों और ग्राम सभाओं की थी वह अब कुछ नहीं है। आज मैं मेहता कमेटी की रिपोर्ट कीओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो दो महीने पहले संसद के सदनों में रखी गयी थी। मैंने चेष्टा करके उसे पढ़ा है मेरे सामने है भी। अगर उसे देखें तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में केन्द्रित शासन है। अगर प्रशासन को चुस्त करना है, कुशल करना है तो जनता को हर स्तर पर शामिल करना होगा। आमूल परिवर्तन किस तरह से होगा। अधिकारियों की ही बात लीजिए। आज उनकी संख्या में बेतहासा बढ़ोत्तरी हुई है। एक जिले में मैं नहीं जानता कितने माननीय सदस्य जानते है, लेकिन देवरिया, गोरखपुर और वाराणसी में, मैं यह तो नहीं कहता कि गैर जानकार हूं लेकिन यह भी नहीं कहता कि पूरी जानकारी है, फिर भी पचास फीसदी से ज्यादा अधिकारी ऐसे हैं जिनके ऊपर धन का अपव्यय किया जा रहा है और कोई काम का मापदण्ड नहीं है। नित्य नये-नये विभाग और नये-नये अधिकारी, कर्मचारी हो रहे हैं और उनके कार्य का कोई मापदण्ड नहीं है।

इसी सचिवालय में देखता हूं मान्यवर, कोई मापदण्ड नहीं है। जबकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेल भी है। लेकिन कौन कर्मचारी कितना काम करता है। कोई मापदण्ड नहीं है। किसी पर तो बड़ा बोझ है और वह आठ-आठ, दस-दस घन्टे काम करता है और किसी-किसी के पास एक घन्टे का भी काम नहीं है। कौशिक जी हंस रहे हैं वे तो आठ घन्टे काम करते है, यह तो योग्यतम लोगों में हैं। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि भ्रष्टाचार कोई विदेश से तो यहाँ नहीं आया है। वह इसी देश की देन है और फैला हुआ है। लेकिन उसको समझने की चेष्टा कहाँ कौन करता हैं। मंत्रियों की तो दरोगा और नायब तहसीलदार की पैरवी करने और गलत ट्रांसफर करने से ही फुरसत नहीं है। अभी जब वित्त मंत्री जी बोल रहे थे मालूम हो रहा था कि फुलझड़ी लगा रहे हैं बात तो अपवाद की कर रहे थे लेकिन नियमतः कुल गलत काम होता है। मैं मिसाल देना चाहता हूं।

श्रीमन, मुझे मालूम है कि किसी का ट्रांसफर जनवरी में हुआ, रोक दिया मंत्रियों ने, फिर फरवरी में हुआ और फिर रोक दिया और फिर अब मार्च में हो गया। यह मंत्री लोग करते हैं फिर एम 0एल0एज0 ये क्यों कहते हैं ? अब मंत्रियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि एम0 एल0 एज0 की भीड़ अब मंत्रियों की भीड़ हो गई है इसीलिये कैबिनेट अब कैबिनेट रूम को छोड़कर तिलक हाल में होने लगी है। ऐसी स्थिति में इस प्रशासन को चुस्त करने के लिये हमें, आपको दोनों को बैठना होगा। हमारी भी जिम्मेदारी है विरोधी दल के नाते लेकिन अगर आप हमसे कुछ पूछेंगे तो। हम केवल आपकी नुक्ताचीनी करने के लिये नहीं खड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि सौ रुपया अगर आज इस प्रदेश में खर्च हो रहा है तो उसमें से दस रुपया जनता के पेट में लग रहा है। 2200 करोड़ रुपये का इस वर्ष का आपका बजट है। 80 फीसदी राजस्व व्यय है और 20 प्रतिशत पूंजीगत व्यय है और पूंजीगत व्यय में 50 प्रतिशत और अगर अतिश्योक्ति न हो तो केवल 10 फीसदी जनता के पेट में लग रहा है।

दूसरी ओर आप कहते हैं कि हम नये टैक्स लगायेंगे। आप यह क्यों नहीं देखते हैं कि कहाँ हमारे अधिकारी कर्मचारी ज्यादा लगे है, कहाँ पर किस तरह से हम खर्च कम करें। पिछले मंत्रिमंडल में भी कुछ योग्य मंत्री थे और इस मंत्रिमंडल में भी कुछ योग्य मंत्री है; उनकी छाप पड़ती है उनके विभागों पर। लेकिन आप छांट-छांट कर रखेंगे जैसे कि एक

[श्री श्याम धर मिश्र]

गिद्ध होता है, अगर वह 200 मील पर पूड़ी दिखाई दे और मलाई दिखाई दे और बढ़िया मिठाई दिखाई दे तो उसकी ओर नहीं जाएगा लेकिन सड़ा माँस दिखाई दे तो वह दौड़ता है। वैसे ही जनता पार्टी का शासन हो गया है। रद्दी से रद्दी चीज उठाई जाएगी, रद्दी से रद्दी लोग छांटकर रखे जायेंगे और अच्छे लोग नहीं रखे जायेंगे। मान्यवर, मैं केवल नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं लेकिन मैंने बार-बार कहा है, आप सुनें न सुनें, इतिहास ने हमें नहीं माफ किया, भविष्य आपको नहीं माफ करेगा। भूतपूर्व हम हो गये, आश्चर्य की बात नहीं कि भूतपूर्व आप हो जायेंगे और आप तो बिना हमारे बनाये भूतपूर्व बन जाते हैं। हमें तो जनता ने भूतपूर्व बनाया और आप अपने को ही भूतपूर्व बनाते हैं। और कितनी बार बनायेंगे यह इतिहास देखेगा। तो इस इतिहास की कहानी में अगर आप इस प्रशासन को योग्य और चुस्त बना सकें तो हमें खुशी होगी और अगर हमसे मदद माँगेंगे, समिति के रूप में हमसे सलाह माँगें राजनीति को छोड़ कर, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम, देव बहादुर, राम आसरे वर्मा, कांग्रेस (आई) की तो बात मैं नहीं करता, बाकी हम सब लोग आपके साथ शरीक होकर, कंधे से कंधा मिलाकर आपको बतायेंगे कि कहाँ क्या गलती है। लेकिन उस भावना से बतायेंगे कि आप सुनें और समझें कि कहाँ क्या गलती है लेकिन अगर आपको हमारी बात कड़वी लगे तो फिर हमारे सलाह देने से कोई फायदा नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय देव बहादुर सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी जिस प्रकार से शब्दों का जाल फैलाकर उत्तर देते हैं, माननीय कौशिक जी जिस प्रकार से शब्दों का जाल फैलाकर उत्तर देते हैं उस तरह के नकारात्मक उत्तर न देकर, सोच समझ कर स्वीकारात्मक ढंग से उत्तर देंगे जिसमें कि हम उनको बधाई दे सकें।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं ठाकुर देव बहादुर सिंह और मिश्र जी का बड़ा आदर करता हूं और समाधर के साथ मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि उनकी नियत पर शंका करूं। लेकिन एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमने प्रजातंत्र को अपनाया। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता में ही होती है। 19 महीने सारे देश को जेल में रखने के बाद जनता ने स्वयं आमूल परिवर्तन कर दिया आप समिति बनाने की बात कर रहे हैं। जनता ने एक बड़ा परिवर्तन किया और उस परिवर्तन के बाद सरकार इस प्रदेश और देश में आई। यह जनता पार्टी की सरकार है जो सत्ता में आते ही स्वच्छ और कुशल प्रशासन देने की बात करती है। जो हमारी नीतियाँ हैं और उन नीतियों के मातहत हम कार्य कर रहे हैं और ये नीतियाँ हमारी परीक्षा की घड़ी है हम सफल होंगे, तब समिति के द्वारा सफल या असफल होने का प्रश्न नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब इस दल ने अपनी नीति बना ली हो, अपना लक्ष्य बना चुकी हो, समिति बना कर आप कौन सी दीक्षा देने वाले हैं। यह भावना आप की ठीक है लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि परीक्षा की घड़ी में आपकी मदद नहीं चाहिए जनता पार्टी स्वयं सक्षम है इस परीक्षा में सफल होने के लिए। समिति बनाने से आप को कोई भत्ता मिल जाय, सरकार पर आर्थिक बोझ पड़े—मैं आपकी नियत पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं .....

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, समिति में इनको भी रखा जाय भत्ता चाहिए।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

बाबू देव बहादुर सिंह भी समिति में रहे हैं, मैं भी रहा हूं। जब 12 महीने भत्ता मिलता था तो 12 महीने में कितनी बैठकें होती थीं और आज दुगुना मिलता है तो कितनी बैठकें होती हैं। रिकर्ड देख लीजिए। मैं कह रहा था कि समिति बना कर स्वच्छ प्रशासन नहीं दिया गया। कभी घटकवाद की बात कही जाती है, कभी कम्युनिस्ट शामिल हो गये, कभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह शामिल हो गये। यह तरीका विचारों को विचलित करने का है। इसीलिए मैं थोड़े शब्दों में श्रीमन् देव बहादुर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि समिति की जरूरत नहीं है। हमारी नीति बन चुकी है, स्वच्छ और कुशल प्रशासन की नीति बन चुकी है, आपका सहयोग आमंत्रित है। हमने आपको छूट देदी है, विचार स्वातंत्र्य की छूट है। कर्म की छूट नहीं है। कुछ साथियों को गलतफहमी हो। कर्म की छूट नहीं दी गयी है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमको परखिये, अगर आप चाहें तो लोहे की तरह हमको अग्नि में तपाइये और उस परीक्षा में हम अच्छे निकलेंगे, प्रस्ताव को वापस लीजिये।

*श्री रामदत्त जोशी--

उपाध्यक्ष महोदय, देव बहादुर सिंह जी ने जो संकल्प आज प्रस्तुत किया है मैं बधाई देता अगर वह इसे उस समय पेश करते जिस समय वह इस सदन में शासक दल की ओर बैठते थे और उनको उस समय विकेन्द्रीयकरण तथा स्वच्छ प्रशासन की बात सूझती। यह बात उनको आज सूझी है। खैर देर आयद दुरुस्त आयद। मैं उनकी दूरन्देशी की तारीफ करता हूं। हिन्दुस्तान के राजनीतिक इतिहास में जहाँ तक सत्ता विकेन्द्रीकरण की बात है सभी जानते है कि डा0 राम मनोहर लोहिया ने चौखम्भे राज्य का नारा दिया था और कहा था कि केन्द्र से लेकर गाँव तक सत्ता विकेन्द्रित की जाय। इस लिये देश में आन्दोलन होते रहे लेकिन उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने सत्ता को चरम सीमा तक एमरजेंसी के दौरान केन्द्रित किया और तानाशाही के दौर से यह मुल्क गुजरा। उस समय उनमें से एक ने भी नहीं कहा और सत्ता दिल्ली की महारानी के हाथों में कैद होते देखते रहे और नारायणदत्त तिवारी जैसे योग्य मुख्य मंत्री पुत्रवत संजय गाँधी के पैर छूने को विवश हुए।

श्री उपाध्यक्ष--

जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित न हो उनके बारे में न कहा जाय।

श्री राम दत्त जोशी--

सत्ता के विकेन्द्रीकरण तथा स्वच्छ प्रशासन की बात है। उसी के बारे में अर्ज कर रहा हूं कि उस समय देश में तानाशाही थी, सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात उन्हें तब क्यों नहीं सूझी और उस समय के मुख्य मंत्री चरण छूने को विवश क्यों हो गये ?

श्री देव बहादुर सिंह--

आप भी वही करना चाहते हैं क्या ?

श्री रामदत्त जोशी--

बिलकुल नहीं करना चाहते। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात जनता सरकार ने न केवल जबानी तौर पर सिर्फ कही है बल्कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है। जितनी ग्राम सभायें है उनको ग्राम स्तर पर, अधिक से अधिक प्रशासकीय अधिकार देने की व्यवस्था जनता सरकार करने जा रही है। लिहाजा यह कहना कि जनता सरकार विकेन्द्री करण की ओर नहीं जा रही है, सही नहीं है।

नौकरशाही की बात कही गयी नौकरशाही का भी फैलाव इस सीमा तक एमरजेन्सी के दौरान ही हुआ है और यह नौकरशाही जनता सरकार को विरासत में मिली है। श्री श्यामधर मिश्र जी कुछ जिलों में 7, 8 ए0 डी0 एम0 होने की बात कह रहे थे। ये आज नहीं पैदा हो गये। आपके जमाने में भी थे। इस सारी नौकर शाही के लिये एक मात्र जिम्मेदारी श्रीमती इन्दिरा गाँधी का रावण राज्य था। आज शासन इस सदन की राय से चलता है और इस प्रकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है। श्री श्यामधर जी ने कहा कि वह उधर बैठे है और भूतपूर्व उनको हमने बनाया। लेकिन माननीय सम्पूर्णानन्द जी तथा बहुगुणा जी को किसने भूतपूर्व बनाया था। आप लोगों ने ही बनाया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामदत्त जोशी]
दल में आन्तरिक परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वह आपने भी की और हमने भी की और यह कोई आलोचना का विषय नहीं है (व्यवधान) हमने अपने यहाँ दल में परिवर्तन किया तो इसमें आपको क्यों परेशानी है। हमारे यहाँ साल में भले ही 5 परिवर्तन हो जायं लेकिन इसमें आपका नम्बर आने वाला नहीं है।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)---

उपाध्यक्ष महोदय, श्री देव बहादुर जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। सत्ता का भी एक कर्त्तव्य होता है अगर विपक्ष से कोई सही बात कही जाय तो उसको एक स्वर से उसका समर्थन करना चाहिये। एक आमूल परिवर्तन की शासन में आवश्यकता है और इसी गारन्टी के ऊपर देश की जनता ने इतना अपार बहुमत जनता पार्टी को दिया था। लेकिन जिस दिन से जनता पार्टी दिल्ली से लेकर सारे सूबों में विराजमान हो गयी है तब से ही गड़बड़ी शुरू हो गयी है। आपके कर्मों में और कांग्रेस के कर्मों में कोई फर्क नहीं है। चारों तरफ से स्थिति भयावह हो गयी है। आपने आज इतना बड़ा मंत्रि-मंडल बना दिया है, एक फौज भरती कर ली है जिससे कोई भला होने वाला नहीं है। आज चारों तरफ फिजूलखर्ची दिखाई देती है, पहले भी फिजूलखर्ची होती थी और आज भी फिजूलखर्ची होती है। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन बड़े दुख के साथ और दावे के साथ कहता हूं कि मैं जनता पार्टी के सिद्धान्तों का विरोधी नहीं हूं लेकिन हमारे माननीय शम्भूनाथ जी चौधरी जो कि हल्ला करते थे कि हम स्वच्छ प्रशासन लायेंगे, वे दम भर रहे थे कि हम इसके लिये सक्षम हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप अयोग्य है, निष्क्रिय है, निकम्मे है, और नौकरशाही में नंगा नाच कर रहे हैं। इसकी मिसाल देहातों में देख लीजिये।

आज जो गुरुतर जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने आपको दी थी उसके कारनामे हमको भी वहाँ सुनने पड़ते हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। न ही हम इंदिरा गाँधी से याचना करने के लिये गये थे। आप भी टिकट पाये है और हमें भी मिला है। जनता ने हमको यहाँ भेजा है, हम स्वच्छ प्रशासन देने के लिये जिम्मेदार है तो आज आपको क्यों खल रहा है जब एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसके लिये एक समिति बनायें। हमें खेद है कि आप आमूल परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं और नौकरशाही पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। इससे सदन को अधिकार दिया जा रहा है कि वह इस नौकरशाही में अंकुश लगा सके तो क्यों नहीं आप समिति बनाते हैं। इस पर निर्णय का अधिकार होना चाहिए। मेरे जिले का एक आदमी मंत्री बना दिया गया। अभी उनको एक महीना नहीं हुआ है। जब इस देश में इमरजेन्सी लगा दी गई थी तो बहुगुणा को ले आये थे, ये लोग माफी माँगने वाले हैं।

आज स्थिति सारे सूबे में बिगड़ गई है। 20 सों बार वे जेल में गये। कौशिक जी को जेल मंत्री बना दिया गया होता तो अच्छा होता। इन्होंने तो जेल के भय से माफी माँगी थी, माफी नामा ले आये थे और तब इन लोगों को मंत्रिमंडल में रखा गया। तो आज आवश्यकता आमूल परिवर्तन की है कि कैसे स्वच्छ प्रशासन बनाया जाय। जनता के सामने आ ने वायदा किया था कि हम उसे स्वच्छ प्रशासन देंगे। मैं चाहता हूं कि जनता पार्टी के सारे लोग यह महसूस करते है कि नौकरशाही हमारा पालन करे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत से मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना अधिकारी लोग कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा था कि मैं मानवीय दृष्टि से ट्रांसफर रोकता हूं। अगर कोई विधायक मंत्री जी से कहता है कि ट्रांसफर रोक दो तो मंत्री जी नहीं सक्षम है उसके लिए वह निर्णय नहीं कर सकते हैं और अधिकारियो को बुलाते हैं तो अधिकारी कह देते हैं कि यह नहीं हो सकता। तो आज सारा सारा काम नौकरशाही कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि श्री देव बहादुर सिंह का जो प्रस्ताव है वह बहुत सामयिक है, ऐतिहासिक है। इसमें जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और किसी पार्टी की दलगत भावना का सवाल नहीं है। सब लोगों को एक मत से इस पर सहमत हो कर स्वीकार करना चहिये कि नौकरशही पर अंकुश लगाया जाय, भ्रष्टाचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खत्म किया जाय। हमें बुनियादी सवालों पर विचार करने की आवश्यकता है तभी हम स्वच्छ प्रशासन दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने सत्ता के मद में चूर न होकर विवेक से इस बात को स्वीकार करें। एक समिति माननीय सदस्यों की बनायें जो स्वच्छ प्रशासन देने के बारे में सुझाव दे। श्री देव बहादुर सिंह जी के प्रस्ताव को आपको स्वीकार करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसे समाप्त करें इस पर चर्चा अगले दिन जारी रहेगी। केवल 5 मिनट रह गये हैं। (श्री पुरुषोत्तम कौशिक के खड़े होने पर) अगले दिन चर्चा जारी रहेगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

15 मिनट का समय बढ़ा दें इस पर हम लोगों को भी समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है इसके ऊपर अगले दिन चर्चा जारी रहेगी।

श्री राम दत्त जोशी—

सदन का समय एक घंटा बढ़ा दीजिये।

एक सदस्य—

बहुत से लोगों को घर जाना है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

जैसा मान्यवर, आपने निर्देश दिया इस पर चर्चा जारी रहेगी। माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह बाद में बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत मुझे 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें से सर्वश्री शफीकुर्रहमान वर्क, सुलतान सिंह, अकबर हुसैन और श्री नारायण ने जो सूचना दी है उसको स्वीकार किया है। शेष सूचनायें अस्वीकार की हैं।

श्री औसान सिंह के निलम्बन पर आपत्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष जी, आज इस आदरणीय सदन में एक माननीय सदस्य को निष्कासित किया गया। मान्यवर, उसके पहले जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण थी उसका भी सदस्य समर्थन नहीं करेंगे। उससे हम सब का मस्तक लज्जा से झुक जाता है। माननीय सदस्य आपस में इस प्रकार लड़े लेकिन उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात जो हुई वह यह है कि नियमों की पूरी तरह से अवहेलना करके एक सदस्य माननीय यादव को तीन दिन के लिए निलम्बित कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसको लिख कर दे दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

लिख कर दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर हम विचार कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

उस पर आप आज व्यवस्था नहीं देंगे तो दो दिन के लिए सदन बंद हो रहा है तो उस आदेश की भावना समाप्त हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने लिख कर दे दिया है तो उस पर हम विचार कर लेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

नियम 51 में हमने भी सूचना दी थी एक भीषण अग्नि काँड के बारे में। ऐसा अग्निकाँड इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। आखिर कौन सा माप दंड है स्वीकार करने का, मैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं देता। लेकिन इस वर्ष प्रदेश में हमारे यहाँ पडरौना में जो भीषण अग्निकाँड हुआ है उस तरह का भारत में कभी नहीं हुआ होगा जिसमें 50 हजार लोग बेघर हो जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

एक ही मैंने स्वीकार किया है नियम 51 में।

अब हम उठते हैं और 26 ता0 को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 55 मिनट पर सोमवार, 26 मार्च, 1979 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
23 मार्च, 1979

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी (क)

(देखिए अल्पसूचित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 742 पर)

कर्मचारियों की मांगें	शासन द्वारा कृत कार्यवाही
(1) कोषागारों के वर्तमान वेतनमानों का पुनरीक्षण ।	वर्तमान वेतनमान पूर्व गठित वेतन आयोग की संस्तुति पर निर्धारित है तथा किसी एक वर्ग के लिए स्वीकृत वेतनमानों के पुनरीक्षण पर अलग से विचार करना सम्भव नहीं पाया गया है ।
(2) कोषाधिकारियों के पदों पर होने वाली सम्पूर्ण रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा न करके प्रधान लिपिकों की पदोन्नति द्वारा सारे पदों को भरा जाय। यदि वर्तमान में यह सम्भव न हो तो 50 प्रतिशत पदों का आरक्षण मुख्य लिपिकों के लिए किया जाय।	कोषागारों के 67 प्रधान लिपिकों के वित्त एवं लेखा सेवा में रु0 550–1,200 के वेतनमान में 12–1/2 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया जा रहा है । इस प्रकार वर्तमान में 15 पदों के स्थान पर 24 पद उपलब्ध हो जायेंगे जो प्रधान लिपिकों के संवर्ग का 35 प्रतिशत है जबकि सामान्यता यह प्रतिशत 25 होता है । उपर्युक्त वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारियों से भी पदोन्नति की जाती है । अतः होने वाली सम्पूर्ण रिक्तियों अथवा 50 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखने की मांग स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है ।
(3) उपकोषागारों में उपकोषाधिकारी की नियुक्ति की जाय तथा यह पद प्रधान लिपिकों की पदोन्नति द्वारा भरे जायं।	उपकोषाधिकारी के 14 पद प्रधान लिपिकों की पदोन्नति द्वारा भरे गये हैं। वर्ष 1979–80 में कुछ अतिरिक्त पदों का सृजन विचाराधीन है जिसके फलस्वरूप प्रधान लिपिकों के संवर्ग के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को प्रोन्नति के पद उपलब्ध हो जायेंगे ।
(4) प्रति 6 कर्मचारी के अनुपात पर एक अतिरिक्त मुख्य लिपिक की नियुक्ति की जाय।	प्रधान लिपिक के पदों की आवश्यकता निर्धारित करने के हेतु नियंत्रक की आवश्यकता, कार्यभार इत्यादि के आधार पर विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है । वर्तमान में 18 लिपिक के अनुपात में प्रधान लिपिक का अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।
(5) प्रशिक्षण में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को 25 रुपया प्रतिमास विशेष वेतन के रूप में दिया जाय तथा हानिप्रद अनुच्छेदों को समाप्त किया जाय।	कोषागार लिपिकों को तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उत्तीर्ण होने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि देने की व्यवस्था है । प्रशिक्षण में रुचि उत्पन्न करने के लिए यह प्राविधान है कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का स्थायीकरण अथवा पदोन्नति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना नहीं

कर्मचारियों की माँगें	शासन द्वारा कृत कार्यवाही
	किया जायगा। चूंकि उपयुक्त अग्रिम वृद्धि का लाभ वेतनमान के अन्तिम सोपान पर पहुंचने पर कर्मचारियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण से अवमुक्त करने के आदेश दिये गये हैं।
(6) कोषागार कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम, सवारी प्रसाधन अग्रिम की व्यवस्था अलग से की जाय।	समस्त मण्डलायुक्तों को अग्रिम के प्रयोजन हेतु आवंटित धनराशि में से कोषागार कर्मचारियों को अग्रिम की स्वीकृति हेतु उचित व्यवस्था करने के आदेश दे दिय गये हैं।
(7) कोषाधिकारियों की सीधी भर्ती में कोषागारों में कार्यरत स्नातकों को आयु सीमा में छूट देकर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाय।	मांग में प्रस्तावित आधार पर यह सुविधा किसी भी सेवा संवर्ग को उपलब्ध नहीं है यह प्रश्न व्यापक नीति से संबंधित है तथा इसके लिए लोक सेवा आयोग की प्रतिक्रिया प्राप्त करना आवश्यक हैं।
(8) वास्तविकता के आधार पर कोषागारों में कार्य के नार्म्स निर्धारित किये जायं।	प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से इस संबंध में विस्तार पूर्वक अध्ययन करके कार्य के नार्म्स निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

पी0 एस यू0 पी0–एल0 15 वि0 सभा (25)–1979–835 1